खण्ड-196, अंक-3
गुरूवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1880
(7 अगस्त, 1958 ई0)

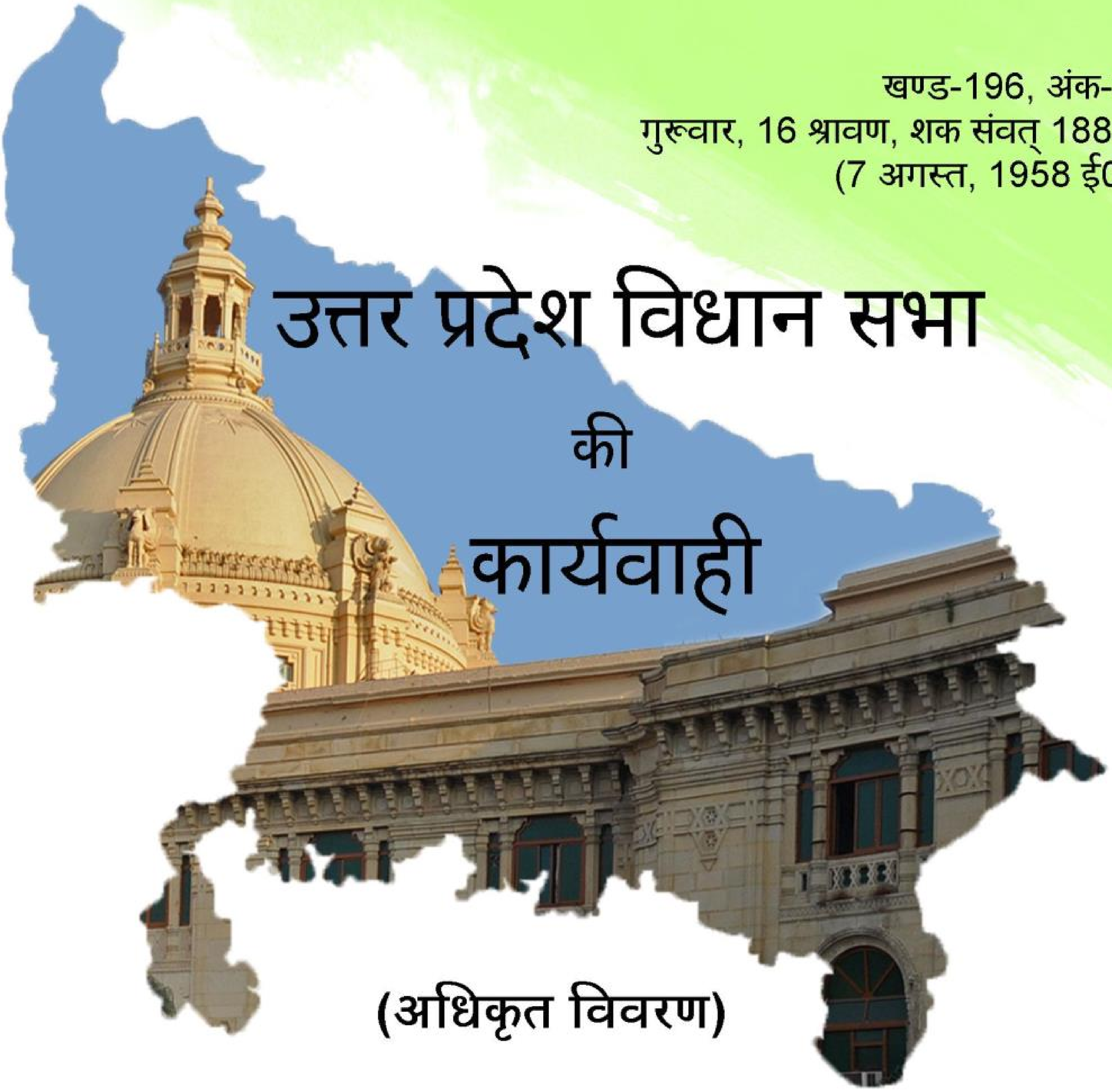

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 196 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1958

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१६७–१७१
प्रश्नोत्तर	१७१–१८७
शपथ-पत्रों पर अधिक मूल्य के स्टाम्प लगाने से सम्बन्धित आदेश के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	१८७–१८८
बदायूं जिले में सोत, एरियल, गंगा राम गंगा, और महावा में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	१८८–१८९
जिला खीरी तथा बोलीभीत में वन विभाग द्वारा जमीन लिये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	१८९
उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, पर विवाद जारी)	१९०–२०३
गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	२०३
जौनसार बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८ (विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	२०३
उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, पर विवाद जारी)	२०४–२३२
नस्थियां	२३३–२४१

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार ७ अगस्त, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुललतीफ नोमानी, श्री
अब्दुरसमी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईन्दी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय , श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश , श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भजनलाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मजूहलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खा, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महालाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त , श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर , श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यावतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
मोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार ७ अगस्त, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अल्मोड़ा जिले में रामपुर कटयूड़ा निवासी श्री कमलसिंह के मकान पर पुलिस द्वारा गोलीकांड

**१--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, १९५८ के आखिरी सप्ताह में गेवाड-द्वाराहाट में श्री कमल सिंह के मकान में पुलिस ने हमला किया जिसमें कुछ व्यक्ति मरे तथा घायल हुए ? यदि हां, तो क्या सरकार घटना का पूर्ण विवरण देने की कृपा करेगी तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही में से अवगत करायेगी ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--जून, १९५८ के आखिरी सप्ताह में कोई ऐसी घटना नहीं घटी। १४ जुलाई, १९५८ को ऐसी घटना घटी जिसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ पर २३३ पर।)

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस पार्टी पकड़ने गयी उसमें क्या जिला अधिकारी भी थे ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, जिलाधीश, डी० एस० पी० और एस० डी० एम० थे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि मकान की छत उखाड़ने के बाद उस आदमी को गोली मारी गयी जो मरा है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं।

श्री हरिदत्त कान्डपाल (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी पुलिस पार्टी उस दिन मौजूद थी और उसने कितने राउन्ड गोलियां चलायीं ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, घटना जिस रूप में है यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बयान कर दूं। एक श्री कमलसिंह लोक सहायक सेना में थे। उनको वहां से पदच्युत किया गया। उनके पास एक बन्दूक थी जिस बन्दूक का लाइसेंस १९ फरवरी को रद्द कर दिया गया

और पटवारी को यह आदेश दिया गया कि वह उन से कहे कि यह बन्दूक जमा कर दें। पटवारी के तमाम प्रयत्न निष्फल रहे। तो २ जुलाई को एस० डी० एम० ने पटवारी को आदेश दिया कि वह उनको गिरफ्तार कर लें। लेकिन उस पर भी पटवारी सफल नहीं हुआ। फिर १० तारीख को पटवारी को कहा गया कि वहां जा कर वह उन पर एक सम्मन तामील करे कि वह १५ जुलाई को एस० डी० एम० की अदालत में हाजिर हो जायं। जब पटवारी वहां गया तो उसके साथ सभापति भी थे। उन्होंने पटवारी के ऊपर हमला किया। सभापति के बीच में पड़ने से पटवारी की जान तो बच गयी, लेकिन उसका झोला वगैरह वहीं रह गया। एस० डी० एम० को जब यह पता चला तो उन्होंने नायब तहसीलदार के साथ कुछ कांस्टेबिल्स भेजे और उनसे यह कहा कि वहां जाकर बन्दूक जब्त कर लीजिये। जब यह लोग वहां पहुंचे तो श्रीमन्, इन लोगों पर हमला किया गया, उन पर पत्थर फेंके गये और यह लोग लौट आये। इसकी सूचना जिलाधीश को भेजी गयी तो जिलाधीश, एस० डी० एम० और पुलिस पार्टी को लेकर आये। गांव में आकर उन्होंने खबर भेजी कि वह आत्मसमर्पण कर दें और जो हथियार उनके पास हैं वह दे दें। श्रीमन्, इस खबर के पहुंचने पर कमल सिंह ने यह कहा कि न मैं हथियार दूंगा और न कुछ और, और पुलिस मुझ से बन्दूक नहीं ले सकती और यह कह कर वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची उसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने होशियारी के साथ अपने को दो पार्टियों में तकसीम कर लिया और उसका घर घेरने की कोशिश की। वह खुद सामने आ गया और उसने पुलिस पर बन्दूक तानी और तब पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसमें तीन व्यक्ति घायल हो गये और एक मारा गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मन्त्री जी को ऐसी इत्तला है कि कमलसिंह की तरफ से कोई गोली या बन्दूक एक बार भी चलाई गई थी ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी हां, उनके पास से गोलियां चलायी गई थीं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गिरफ्तारी का वारन्ट पटवारी के मार्फत क्यों भेजा गया, थानेदार के मार्फत क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वहां पटवारियों को पुलिस के अधिकार हैं। पहाड़ी इलाकों में यही प्रबन्ध है।

श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि कमलसिंह के अस्पताल में बन्द होते हुए उसके बाल-बच्चों का सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसे लोगों के लिये जो अपराध करते हों उनके लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कमलसिंह और उसकी पार्टी द्वारा हमले में पटवारी को कोई चोट भी लगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सौभाग्य से उसे चोट नहीं लगी क्योंकि उसके साथ सभापति वगैरह आये थे जिन्होंने बीच बचाव किया और पटवारी वहां से हट गया।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--जो यह कहा जाता है कि कमलसिंह ने पुलिस पर गोली चलाई उसमें पुलिस की ओर से कितने घायल हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--घायल कोई नहीं हुआ। पहाड़ की चोटी पर कमलसिंह का मकान है और नीचे से जब पुलिस वाले चढ़ते थे तो वह ऊपर से गोली चलाते थे और रैजिस्ट करते थे, इसलिये वहां से उनको वापस आना पड़ा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या मन्त्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि कमलसिंह ने तो गोली चलाई, लेकिन उसके बच्चों और स्त्री को कैसे चोटें लगीं ? क्या वे भी साथ में थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जब पुलिस ने इनका घर घेरा तो उन लोगों ने मकान को भीतर से बन्द कर लिया और रेजिस्ट करते रहे। बार-बार यह कहने पर भी कि मकान से बाहर निकल आओ, उन्होंने निकलने से इन्कार कर दिया। ऐसी दशा में पुलिस को उनके मकान को ऊपर से छेद कर फायर करना पड़ा और जब वे निकल कर बाहर आये उसमें उन्हें चोट लगी।

श्री प्रतापसिंह--कमल सिंह की बन्दूक का लाइसेंस १९-२-५८ को कैंसिल हुआ और १०-७-५८ को बन्दूक लेने गये, तो इतनी देर का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उसके बाद उनको जमा कर देनी चाहिये थी, लेकिन करीब ५ महीने तक उन्होंने जमा नहीं किया। ६ महीने का टाइम रहता है जिसमें वह बेच भी सकता है। बहरहाल, उसने जमा नहीं की। तब हुकुम लेकर पटवारी गया कि जमा करो। उसके ऊपर हमला किया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब कमलसिंह के बच्चे किस परिस्थिति में और कहां हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बच्चों की कोई सूचना मेरे पास नहीं है। जो घायल हैं वे अस्पताल में हैं।

श्री हरिदत्त कांडपाल--१४ तारीख के बाद १६ तारीख तक क्या इन लोगों का कोई इलाज हुआ या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१४ तारीख की घटना है, उस दिन पानी बहुत बरस रहा था और उनको रानीखेत नहीं पहुंचाया जा सकता था। बाद में उन्हें वहां ले जाकर उनकी दवाई की गई।

श्री मोहनसिंह मेहता (जिला अल्मोड़ा)--इस गोलीकाण्ड के पहले कमलसिंह एस० डी० एम० पाली के पास गये थे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बन्दूक जमा करना चाहता हूं और एस० डी० एम० ने कहा कि हम अब आर्डर जारी कर चुके हैं। क्या यह बात सही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन यह बात सही इसलिये नहीं मालूम होती है कि जब पुलिस गई तो वह उसे जमा कर देते न कि उसके ऊपर फायर करते।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या जिस घर में छत तोड़कर पुलिस ने गोली चलाई उसमें कमलसिंह भी मौजूद थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, वह घर के भीतर थे।

तारांकित प्रश्न

गोबर गैस यंत्र, माडल चूल्हा, फ्लश वाटर सील लैटरिन के व्यापक प्रयोग के लिये सुझाव

*१--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिये अत्यन्त उपयोगी प्रगतिशील

प्रोजेक्ट्स जैसे गोबर गैस यन्त्र (cow dung gas plant), बख्शी तालाब माडल चुल्हा, फ्लश वाटर सील लेटरिन का अधिक से अधिक प्रचार करने की कोई व्यापक सरकारी योजना है ?

*२—यदि हां, तो क्या ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—गोबर गैस यन्त्र अभी प्रयोगात्मक अवस्था में ही है । अतएव इसके व्यापक प्रचार का प्रश्न अभी नहीं उठता । बख्शी तालाब माडल चूल्हा के प्रचार के लिये खंडों को आदेश भेजे जा चुके हैं ।

फ्लश वाटर सील लैटरिन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आदेश कब भेजा गया है और वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष—अगर आदेश बड़ा हो तो उसका खुलासा बता दें, छोटा हो तो पढ़ दें ।

श्री सुल्तान आलम खां—१५ अप्रैल, सन् १९५७ ई० को एक खत असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर की तरफ से भेजा गया है । यह प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव अफसर और ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों के नाम है । उनको बतलाया गया है कि डाक्टर रामदास, ओ० एस० डी० ने एक चूल्हा ईजाद किया है, और उनसे कहा गया है कि वे हर ब्लाक में कम से कम दो चूल्हे नमूने के तौर पर मंगवायें । इनकी कीमत ७०, ७५ रुपये तक है । उनसे कहा गया है कि कोशिश करें कि यह चूल्हे रायज किये जावें ।

श्री मुक्तिनाथ राय—प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक इस प्रकार की चीजें लोग बनवा सकें, इसके लिये कारीगरों की ट्रेनिंग के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री सुल्तान आलम खां—पहले यह कोशिश की जा रही है कि जो चूल्हे बनाये गये हैं वे बेचे जावें । उसके अच्छी तरह से रायज होने पर इस मसले पर गौर किया जायगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—वाटर सील लेटरिन का व्यापक प्रचार करने के लिये क्या सरकार ने कुछ आदमी ट्रेन्ड किये हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये जरूरी कार्यवाही की जा रही है और जिस वक्त हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसे हम रायज करें और इसके लिये आदेश दें तो उस वक्त उसके लिये भी आदेश दे दिये जावेंगे ।

श्री उग्रसेन—वाटर सील लेटरिन के लिये किस-किस प्रकार के आदेश अभी तक जारी किये गये हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—क्या मन्त्री जी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि ७० रुपये के चूल्हे कितने घरों में लग सकेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इससे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे और मैं भी यह समझता हूं कि कुछ लोग जरूर ऐसे निकल आवेंगे जो इस तरह का चूल्हा अपने यहां रायज कर सकें ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—जो बी० डी० ओ० बख्शी के तालाब पर ट्रेनिंग पाकर जाते हैं क्या उनको आदेश है कि वे अपने हल्के में जा कर गांव-गांव में ऐसे चूल्हे बनवावें ?

श्री सुल्तान आलम खां—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या सरकार ने अपने विशेषज्ञों के जरिये इस बात की जांच करायी है कि जो चीजें बनायी गयी हैं उनका सामाजिक उपयोग बड़े पैमाने पर और सस्ते दर पर हो सकता है ?

श्री सुल्तान आलम खां---सरकार ने अभी तक जो आदेश दिये हैं वह सिर्फ उस चूल्हे के लिये दिये हैं जो डा० रामदास ने बनाया है।

*३---श्री मुक्तिनाथ राय---[हटा दिया गया।]

*४---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---[२१ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*५---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---[हटा दिया गया।]

*६---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---[१३ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत अस्वीकृत हो चुका है।]

तहसीलों में सब-रजिस्ट्रार के चुनाव के नियम

*७---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसीलों के सब रजिस्ट्रार का चुनाव किन लोगों में से तथा किन नियमों के आधार पर होता है ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---सब रजिस्ट्रारों की भर्ती का नियम यह है कि कुल रिक्त जगहों में से ७५ प्रतिशत जगहों की भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है और शेष २५ प्रतिशत जगहों की पूर्ति रजिस्ट्रेशन कार्यालयों और इन्सपेक्टर जनरल आफ रजिस्ट्रेशन के कार्यालय के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा की जाती है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या वह रजिस्ट्रार की पोस्ट को सुपीरियर ग्रेड का मानती है ?

डाक्टर सीताराम---रजिस्ट्रार की पोस्ट तो सीनियर ग्रेड की होती है। जिलों में जो जज होते हैं वे रजिस्ट्रार कहलाते हैं लेकिन यहां प्रश्न सब रजिस्ट्रार का था।

श्री लक्ष्मणराव कदम---जब कि सरकार सब रजिस्ट्रारों का ग्रेड सुपीरियर ग्रेड मानती हैं।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो रजिस्ट्रारों को सुपीरियर ग्रेड का माना है आप पहले सब-रजिस्ट्रारों के बारे में पूछ लीजिये।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या सब-रजिस्ट्रार की पोस्ट भी सुपीरियर ग्रेड की है ?

डाक्टर सीताराम---उनका ग्रेड १५० रुपये से ३५० रुपये तक का है। इसको आप जो मानें वही कहा जा सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सब-रजिस्ट्रारों को सीनियरिटी के आधार पर प्रोमोट किया जाता है या मेरिट के आधार पर ?

डाक्टर सीताराम---सीनियारिटी और मेरिट दोनों के आधार पर।

उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश पर चलने वाली बसों से लेविल प्वाइंट टैक्स लेना

*८---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की एक दूसरे की सीमाओं पर चलने वाली प्राइवेट बसों के संबंध में दोनों प्रदेशों की सरकारों में यह तय हो गया है कि उन पर Single Point टैक्स लिया जाय ? यदि हां, तो अब टैक्स की क्या दरें होंगी ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या इस संबंध में प्रदेशीय सरकार का केन्द्रीय सरकार से कोई पत्र-व्यवहार हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, मध्य भारत सरकार से इस संबंध में सितम्बर, सन् १९५७में बातचीत हो चुकी है तथा केंद्रीय सरकार से बातचीत चल रही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मध्य भारत सरकार से जो बातचीत हुई थी उसका क्या परिणाम निकला ?

डाक्टर सीताराम—उसका परिणाम यह निकला कि लेविल प्वाइंट टैक्स तय किया गया उसी के आधार पर दोनों सूबों की बसेज चल रही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—परिणाम निकलने के बाद केंद्रीय सरकार से बातचीत करने की क्या आवश्यकता रही ?

डाक्टर सीताराम—जैसा कि सिंगिल प्वाइंट टैक्स के बारे में प्रश्न किया गया है, उस संबंध में केंद्रीय सरकार से बातचीत की जा रही है।

विभिन्न उद्योगों में सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र

*९—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में Small Scale Industries की ग्रांट के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये और किन-किन उद्योगों के लिये लोगों ने सहायता की मांग की ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—१९५७–५८ में Small Scale Industries की ग्रांट के लिये २५९ व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र आये। जिन-जिन उद्योगों के लिये लोगों ने सहायता की मांग की उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३४ पर)

*१०–११—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[२१ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

अल्पबचत योजनान्तर्गत एकत्रित धन

*१२—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में कितनी धनराशि जमा की गई है ?

श्री सुल्तान आलम खां—तीन-वर्षों में (१९५१–५२ से १९५३–५४) जब केवल भारत सरकार अल्पबचत योजना को इस प्रदेश में चला रही थी, कुल १५.३५ करोड़ रुपया जमा हुआ और ४ वर्षों में (१९५४–५५ से ३१ मार्च, १९५८ तक) जब प्रदेशीय सरकार ने योजना में हाथ बंटाया कुल ४१,१६,६३,१३३ रुपया जमा हुआ।

*१३—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपया उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत जिलों में जमा की गयी धनराशि की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—जिलों में जमा की गई धनराशि की सूची* माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

---

* सूची छापी नहीं गयी।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकार के पास कोई ऐसी तालिका है जिससे यह पता चल सके कि अब तक जो धनराशि अल्प बचत योजना के अन्तर्गत जमा हुई उसका कितना अंश केंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश को निर्माण कार्य के लिये दिया गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां---इस वक्त मेरे पास इसकी सूचना तो नहीं है। अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो इसका जवाब भी मंगा कर दे दिया जायगा।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर, वाराणसी, और लखनऊ आदि में ५४-५५ और ५५-५६ की अपेक्षा ५६-५७ में इस योजना के अन्तर्गत कम रुपया जमा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुल्तान आलम खां---माननीय सदस्य की मेज पर एक सूची रख दी गयी है जिसमें जिलेवार यह दर्ज है कि किस-किस जिले में कितना-कितना रुपया जमा हुआ। इससे ज्यादा तो मैं समझता हूं कि कुछ कहने की जरूरत है नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सस्ते गल्ले की दूकानों का एलाटमेंट करते समय फी दूकान १,००० रुपये और ५०० रुपये इस अल्प- बचत योजना में लिया गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां---सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है। जिसने खुशी से रुपया जमा किया होगा, उसका वह रुपया जमा कर लिया गया होगा।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अल्पबचत योजना में जितना रुपया जमा हुआ उन्हीं दिनों उसमें से कितना रुपया विदड्रा कर लिया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां---इसकी सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---यह जो जमा होता है पोस्ट आफिसेज में सेविंग्स बैंक एकाउन्ट में यह भी अल्पबचत योजना में सम्मिलित है ?

श्री सुल्तान आलम खां---जी हां।

बलिया जिले में निर्मित कूपों के लिए स्वीकृत धन की नियोजन विभाग से अदायगी न होने की शिकायत

*१४---श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या यह सही है कि पिछले कई वर्षों से नियोजन विभाग, बलिया द्वारा हरिजन एवं किसानों द्वारा निर्मित कुंओं के स्वीकृत धन की पूर्ण अदायगी नहीं हुई है ? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने मामले नियोजन कार्यालय में कब से पड़े हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---जी नहीं।

लखनऊ पोलिटेक्निक की अनएम्पलायड यंग रिलीफ स्कीम के अन्तर्गत टाइपराइटर मेकेनिक्स का प्रशिक्षण

*१५---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक लखनऊ पोलिटेक्निक की Unemployed young Relief Scheme की टाइपराइटर मैकेनिक कक्षा से कितने छात्र प्रशिक्षण लेकर निकले हैं और उन पर कितना रुपया अब तक खर्च हुआ है ?

नोट---तारांकित प्रश्न १५-१७ श्री भगवतीसिंह विशारद ने पूछे।

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--सन् १९५४-५५ से लेकर १९५७-५८ तक लखनऊ पोलीटेक्निक की Unemployed Youngmen Relief Scheme की टाइपराइटर मैकेनिक कक्षा से २८ छात्र प्रशिक्षण लेकर निकले है और उन पर लगभग ४३,११६ रुपया १४ आना २ पाई खर्च हुआ है।

श्री भोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--माननीय मंत्री जी ने जो अभी २८ लड़कों पर ४३ हजार रुपया खर्च बताया, इसके काम को देखते हुये क्या इस पर पुनः सुधार करने की बात सोच रहे हैं कि इतने ज्यादा खर्चे में ज्यादा विद्यार्थी शिक्षण पा सकें?

श्री रऊफ जाफरी--२८ जो लड़के निकले हैं उनमें ४३ हजार बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जो ये विद्यार्थी पास हो कर निकले ह यह काम पर लगा दिये गये या नहीं?

श्री रऊफ जाफरी--इसकी सूचना नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन विद्यार्थियों के प्रशिक्षण काल का समय कितना है?

श्री रऊफ जाफरी--बारह महीने की ट्रेनिंग होती है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो विद्यार्थी शिक्षा पाकर वहां से निकले उनको अपना काम करने के लिये कितना अनुदान या लोन दिया गया?

श्री रऊफ जाफरी--यह कोई जरूरी नहीं है कि सबको अनुदान दिया जाय। उनमें से अगर किसी ने दरख्वास्त दी होती कुछ काम करने के लिये तो उस पर गौर किया गया होता।

काशीपुर केन फैक्टरी से गन्ने का भुगतान न होने की शिकायत

*१६--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार एवं केन कमिश्नर के पास शिकायत आयी है कि काशीपुर केन फैक्ट्री कई हफ्तों से काश्तकारों को गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--जी नहीं।

राजकीय रोडवेज संगठन के संबंध में बैलेंस शीट न होना

*१७--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि रोडवेज के संगठन के सम्बन्ध में अभी तक कोई बैलेंसशीट नहीं बनायी जाती? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम--जी हां। रोडवेज में सिंगल ऐंट्री सिस्टम आफ एकाउन्टिंग चालू है जिससे ठीक बैलेंस शीट नहीं बन सकती। मगर १९५७-५८ के लिये बैलेंस शीट बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने पिछले सालों में बार-बार सिफारिश की है कि यह बैलेंसशीट बनायी जाय?

डाक्टर सीताराम--जी हां, सिफारिशें की हैं। लेकिन जो सामने दिक्कत है वह भी मैं प्रश्नोत्तर में बतलाने का प्रयास कर चुका हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--यह बैलेंसशीट जो मंत्री जी बनाने को कहते हैं यह कब तक बन कर तैयार हो जायगी?

डाक्टर सीताराम--अभी तक जो तरीका रहा है यही रहा है कि जो एकाउन्ट मेंटेन किया जाता है उससे स्टेटमेंट आफ अफेयर्स बनता है और साथ ही साथ उसके मुताबिक प्राफिट ऐंड लास निकाला जाता है। बैलेंस शीट बनाने के लिये बाटलीबाय के अनुसार डबुल इंट्री सिस्टम बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब बातों के रहते हुये ए० जी० से रिक्वैस्ट की गयी है कि अगर वह इस पर अनुमति दे दें तो बैलेंसशीट बनायी जायेगी। ए० जी० ने राय दे दी है और इलाहाबाद रीजन की बैलेंसशीट बनायी भी गयी है और और रीजनों की बैलेंस शीट बनाने की पूरी कार्यवाही की जायगी।

शीरा बोर्ड का धन

*१८--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ ई० में शीरा बोर्ड (Molasses Board) के पास कितना धन आया?

डाक्टर सीताराम--१९५७ ई० में शीरा बोर्ड के पास कुछ भी धन नहीं आया।

*१९--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--वह धन कहां-कहां और कैसे खर्च किया गया?

डाक्टर सीताराम--प्रश्न नहीं उठता।

*२०-२१--कुंवर श्रीपालसिंह--[२१ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२--श्री गरीबदास (जिला जालौन)--[६ अगस्त, १९५८ में प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत अस्वीकार हो चुका है।]

गवर्नमेंट आर्ट ऐंड क्राफ्ट स्कूल, लखनऊ में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की भर्ती

*२३--श्री गरीबदास--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट आर्ट ऐंड क्राफ्ट स्कूल, लखनऊ में ५७-५८ ई० में कितने व्यक्ति भरती किये गये? उसमें कितने परिगणित तथा बैकवर्ड थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५७-५८ में गवर्नमेंट आर्ट ऐंड क्रैफ्ट स्कूल लखनऊ में कुल १११ छात्र भर्ती किये गये जिसमें परिगणित जाति के दो तथा बैकवर्ड जातियों के ८ छात्र थे।

श्री गरीबदास--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि १११ छात्रों में परिगणित जाति के केवल २ छात्र ही क्यों भर्ती किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वहां जो लड़के भर्ती किये जाते हैं वे किसी जात-पांत के आधार पर भर्ती नहीं किये जाते हैं। प्रवेश के लिये इम्तिहान होता है और जो लड़के क्रमशः नम्बर पर आते हैं उनको भरती किया जाता है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि इस भर्ती के कम्पीटीशन में कितने परिगणित जाति के छात्र बैठे थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो दरख्वास्त का फार्म है उसमें जात-पांत का कोई कालम नहीं है। जो लड़के पढ़ते हैं उनसे तो अवश्य जात-पांत पूछ ली जाती है, लेकिन मैं यह नहीं बतला सकता कि कितने लड़के परिगणित जाति के कम्पीटीशन में बैठे थे।

कानपुर जिले में जाजमऊ टीले की खुदाई से प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलना

*२४--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के निकट जाजमऊ टीले की खुदाई से जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनसे अतीत की जानकारी में वृद्धि करने वाली विशेष किन-किन बातों की जानकारी हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जाजमऊ टीले की खुदाई में अब तक प्राचीन वास्तुकला के अवशेष सामने आये हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि जाजमऊ का क्षेत्र बहुत प्राचीन है। अब तक की खुदाई से मुसलमान कुषाण एवं शुंग काल तक की सभ्यता के अवशेष मिले हैं।

वाराणसी जिलान्तर्गत शहीदगांव राजकीय खादी केंद्र द्वारा चालू चरखों से उत्पादित सूत

*२५--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला वाराणसी, तहसील चन्दौली के शहीद गांव राजकीय खादी केन्द्र द्वारा कितने चर्खे अब तक चलाये गये हैं और उनसे मासिक कितना सूत तैयार हो रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(क) ९७५ चर्खे,

(ख) औसतन साढ़े आठ मन।

*२६-२८--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--[हटा दिये गये।]

*२९-३०--श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)--[हटा दिये गये।]

*३१--श्री लक्ष्मणराव कदम--[पांचवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थनान्तरित किया गया।]

बाराबंकी जिले में खोले गये उद्योग धंधे

*३२--श्री जंग बहादुर वर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग की ओर से बाराबंकी जिले में कहां-कहां पर कौन-कौन से उद्योग धंधे खोले गये हैं और प्रत्येक उद्योग में इस समय कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं?

श्री रऊफ जाफरी--वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २३५ पर)

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी वह सूचना सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--यह तो बहुत ब्योरे का प्रश्न होगा कि प्रत्येक उद्योग में क्या-क्या काम हों और कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। संक्षेप में आप सूचना दे सकते हों तो दे दें।

श्री रऊफ जाफरी--औद्योगिक शिक्षालय योजना के अन्तर्गत हरहा और बाराबंकी में इन्स्टीट्यूशन चल रहे हैं। ऐसे ही रूदौली, मसौली और रामनगर में काष्ठकला और चाकू बनाने का काम हो रहा है जो सिखाया जाता है इसके साथ ही साबुन बनाने का काम भी सिखाया जाता है। इसी तरह से हथकरघा और मैकेनिकल काम भी सिखाया जाता है। यह हथकरघे का काम कई जगह चल रहा है। ४, ५ जगह इसके प्रोडक्शन सेन्टर हैं। मसौली और दाराहारा में बिक्री घर और रंगाई घर है। इसके अलावा गुड़ योजना के अन्तर्गत बहुटा और बहादुरगढ़ में काम हो रहा है। यही सब मुख्तसर से काम हो रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन शिक्षण संस्थाओं में जो काम चल रहा है उनमें कुल कितने आदमियों को काम मिल सकता है।

नोट--तारांकित प्रश्न ३२ श्री उग्रसेन ने पूछा।

श्री रऊफ जाफरी---हर जगह पर कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है इस वक्त उसकी सूची मेरे पास नहीं हैं। नोटिस की आवश्यकता है।

झांसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग विभाग में हरिजन कर्मचारी

*३३---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि झांसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिस तथा ब्लाकों के केन्द्र पर क्लर्क, चपरासी, पंचायत कर्मचारी और अधिकारियों में हरिजनों का नौकरियों में कितना प्रतिशत है ?

श्री सुल्तान आलम खां---९ प्रतिशत है।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार बतलायेगी कि झांसी में क्लर्क, चपरासी, पंचायत कर्मचारी और अधिकारियों में उनका प्रतिनिधित्व कितनों में कितना है ?

श्री सुल्तान आलम खां---ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर कुल ३२७ हैं और असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसर १५०२ हैं इनमें ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर में २७ और असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसर में ५३, एक में ८ फीसदी और दूसरे में ३ फीसदी हैं।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जो उनका १८ फीसदी कोटा पूरा नहीं हुआ है तो माननीय मंत्री ऐसे आदेश भेजने की कृपा करेंगे जिससे उनका १८ फीसदी कोटा पूरा हो जाय ?

श्री सुल्तान आलम खां---सरकार हमेशा यह चाहती है कि १८ फीसदी जो कोटा है वह पूरा होता रहे। दिक्कत उस वक्त पड़ जाती है जब मौजूं और मुनासिब उम्मीदवार उस जगह पर मुकर्रर करने के लिये नहीं मिलते, इसलिये कि एफिशियेंसी का सवाल भी सामने रखना बहुत जरूरी है।

श्री उग्रसेन---इन विभागों में चपरासियों में हरिजनों का कितना प्रतिशत है ?

श्री सुल्तान आलम खां---१३८ आदमी झांसी जिले में कुल काम कर रहे हैं। सब मिला कर उनमें १३ हरिजन हैं जिनका प्रतिशत ९ फीसदी है।

राबर्ट्सगंज दुद्धी में उद्योग-धंधों की व्यवस्था

*३४---श्री आनन्द ब्रह्मशाह (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार लाह के खेतिहरों को प्रोत्साहन देने के लिये रावर्ट्सगंज दुद्धी में ग्रामीण उद्योग धंधों की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां।

श्री आनन्द ब्रह्मशाह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये ग्रामोद्योग धंधे कब शुरू होंगे ?

श्री रऊफ जाफरी---इसमें से बहुत से काम चल रहे हैं जैसे लेदर का काम है टेनिंग का और कुछ वहां ट्रेनिंग प्रोडक्शन सेंटर्स हैं लोहारी के और खादी सेंटर भी वहां चल रहा है। यह सब उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है।

*३५---श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)---[हटा दिया गया।]

समस्त प्रदेश में नशाबन्दी कानून का प्रवर्तन न हो सकना

*३६--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कितने दिनों में सारे प्रदेश में prohibition लागू कर दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम--यह निश्चित रूप से कहना असम्भव है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् १९४८ में इसको लागू करते समय सरकार ने प्रदेश की जनता को यह आश्वासन दिया था कि सारे प्रदेश में नशाबन्दी की जायगी इसलिये यह बिक्री-कर लगाया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम--इसकी तो मुझे इस वक्त इत्तला नहीं है ।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सन् १९४८ में सरकार की ओर से स्पष्ट यह आश्वासन दिया गया था कि बिक्री-कर इसलिये लगाया जा रहा है कि शराबबन्दी से जो सरकारी योजना में कमी होगी उसकी पूर्ति की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह मुझे याद तो नहीं है लेकिन यह जाहिर है कि बिक्री-कर से जितनी आमदनी की उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई है । जिस वक्त बिक्री-कर से इतनी आमदनी हो जायगी जितनी की उम्मीद थी तब यह सवाल आयेगा ।

श्री राजनारायण--जिन ११ जिलों में शराबबन्दी लागू है उन ११ जिलों में इस शराब से जितने पैसे की वसूली होती थी उससे ८ गुना ज्यादा बिक्री-कर की वसूली हो रही है ?

डाक्टर सीताराम--बिक्री-कर के बारे में मुझे इत्तला नहीं है ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पूरे प्रदेश में प्रोहिबीशन लागू करने में पैसे के अलावा और कोई कारण है, यदि है तो क्या ?

डाक्टर सीताराम--श्रीमन्, पहले भी इस सदन के समक्ष यह प्रश्न आ चुका है और उसमे यह बतलाया जा चुका है कि ११ जिलों में और ३ धार्मिक स्थानों में यह योजना लागू है । उस संबंध में आपके द्वारा सदन से मुझे यह रिक्वैस्ट करना है कि वहां पर जब तक पूर्णरूपेण कामयाबी न हो जाय तब तक अन्य जिलों में यह योजना लागू करना ठीक नहीं प्रतीत होता । धनाभाव तो एक कारण है ही, लेकिन दूसरी बात यह है कि स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने यह आंकड़े पेश किये हैं कि ३९ फीसदी लोगों को इससे लाभ हुआ है और उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है । तो जितनी हम लोगों को उम्मीद थी कि उसमें तरक्की होगी वह धीरे-धीरे हो रही है । जब तक उन सब बातों की अच्छी तरह से जानकारी न हो जाय और जिन जिलों में यह लागू है उनमें पूर्ण कामयाबी न हो जाय तब तक दूसरे जिलों में फैलाना ठीक नहीं प्रतीत होता । इसी कारण से यह योजना अभी आगे नहीं बढ़ाई जा सकी है ।

मैनपुरी जिले में निजी नलकूपों के लिये तकावी

*३७--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में मैनपुरी जिले में सरकार की सहायता से कितने निजी नलकूप बने हैं और हर नलकूप को क्या सहायता दी गयी है ?

श्री सुल्तान आलम खां--प्रथम पंचवर्षीय योजना में मैनपुरी जिले में सरकार की सहायता से पांच निजी नलकूप बने । पहले नलकूप पर ६,२९० रुपये, दूसरे और तीसरे पर ५,००० रुपये, ५,००० रुपये चौथे पर १०,००० रुपये और पांचवें पर ४,००० रुपये तकावी के रूप में वितरित किए गए ।

नोट--तारांकित प्रश्न ३६ श्री राजनारायण ने पूछा ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो नलकूपों को तकावी दी जाती है उसके वसूल करने का क्या कायदा है ?

श्री सुल्तान आलम खां--कायदा तो यही है कि उसकी किस्तें मुकर्रर कर दी जाती हैं और वह पाबन्दी के साथ अदा की जाती हैं। अगर किस्तों की अदायगी से इनकार हो या देर की जाय तो जो कायदे की कार्यवाही है वह इस सिलसिले में की जाती है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो नलकूपों को तकावी दी जाती है वह किनकी सिफारिश पर दी जाती है ?

श्री सुल्तान आलम खां--उसके लिए तो नियम बने हुए हैं। उन नियमों के मातहत जो दरख्वास्तें आती हैं उन पर गौर होता है और जो मुस्तहक होते हैं उनको दी जाती है।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो नलकूपों को तकावी दी गई उस पर कोई सूद था या नहीं था ?

श्री सुल्तान आलम खां--इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जो तकावी दी जाती है वह किस विभाग की ओर से दी जाती है, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग या प्लानिंग विभाग से ?

श्री सुल्तान आलम खां--सब विभागों की तरफ से तकावी दी जाती है और प्लानिंग विभाग की ओर से भी दी जाती है ?

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ५ नलकूपों को किस विभाग से तकावी दी गई है ?

श्री अध्यक्ष--अब यह इम्तहान मत लीजिए। उन्होंने बता दिया कि सब विभागों की ओर से दी जाती है।

श्री भगवती सिंह विशारद--क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि १० हजार रुपये की तकावी किन सज्जन को दी गई है ?

श्री सुल्तान आलम खां--मेरे पास नाम तो नहीं है। माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो इसकी इत्तला उनको दे सकूंगा।

*३८--कुंवर श्रीपालसिंह--[२१ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों को पक्की करने के लिये स्टीम रोलर की मांग

*३९--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने ऐसी कोई योजना बनाई थी कि विकास क्षेत्रों वाले हर एक जिले को गत पांच वर्षों में श्रमदान द्वारा बनाई गई सड़कों को पक्की करने के लिये एक-एक स्टीम रोलर दिया जाय ? यदि हां, तो वह योजना अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं हुई ?

श्री सुल्तान आलम खां--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह उक्त सड़कों को पक्की कराने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां--पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इस बात पर गौर कर रहा है और वह कोशिश कर रहा है कि जहां तक हो सके इन सड़कों को पुख्ता कर दे।

श्री गज्जूराम--क्या यह सही है कि जो श्रमदान द्वारा सड़कें बनायी गई हैं और मिट्टी डाली गई और उसका अनुदान सरकार ने दिया वह मिट्टी सब बह चुकी है और सड़कें सब बरबाद हो गईं ?

श्री सुल्तान आलम खां--हो सकता है कहीं कोई ऐसी शिकायत हो। अगर माननीय सदस्य मेरे नोटिस में लायेंगे तो मैं उसकी जरूर जांच करूंगा।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार उक्त सड़कों को पक्की करने के लिये प्रत्येक जिले को एक स्टीम रोलर देने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री सुल्तानआलम खां--इसमें तो बहुत रुपये की जरूरत होगी। अगर रुपया मिल सका तो जरूर गौर करेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सड़कें श्रमदान द्वारा पक्की की गई हैं उनके पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा मेन्टिनेन्स के बारे में सरकार अनुदान देने पर विचार कर रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां--हां, सिर्फ पक्की सड़कों के लिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कें ली गई हैं तो श्रमदान द्वारा बनायी गई सड़कों को पक्का करने के लिये सरकार ने क्या इंतजाम किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय सदस्य बजट को देखें तो उनको पता लगेगा कि जहां सड़कें ली गई है उनके साथ-साथ कुछ रुपया इस काम के लिये है। जितनी श्रमदान की सड़कें है सबको पक्की नहीं कराया जा सकता है, कुछ सड़कों को पक्का करने का प्रबन्ध है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यदि किसी स्टीम रोलर को दिये जाने की बात सोची जा रही है तो उसका क्या आधार माना जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--किसी जिले को स्टीम रोलर देने की बात नहीं सोची जा रही है। उत्तर में यह कहा गया है कि यदि रुपया होता तो जरूर इस बात पर गौर किया जा सकता था कि स्टीम रोलर दिये जायं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--श्रमदान द्वारा जो सड़कें बनायी जाती हैं उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी किस पर है, गांव सभाओं पर या जिला बोर्डों पर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह कहना बड़ा कठिन है।

जौनपुर जिले में नियोजन विभाग द्वारा हैण्ड पाइप तथा कूप निर्माण संबंधी कार्य

*४०--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७-५८ में जौनपुर जिले में कितने नये कूपों का नियोजन विभाग द्वारा निर्माण कराया गया, कितने पुराने कूपों की मरम्मत कराई गई और कितने हैन्ड पाइप लगाये गये ?

श्री सुल्तानआलम खां--जौनपुर जिले में १९५७-५८ में नियोजन विभाग द्वारा निम्न-लिखित कार्य किया गया:--

१--कूप निर्माण	१९५
२--कूप मरम्मत	५९४
३-- हैन्ड पाइप	१९७

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतायेगी कि यह जो १९७ हैंन्ड पाइप लगाये हैं इसके लिये क्या दरख्वास्तें मांगी गई थीं ? यदि हां, तो कितनी दरख्वास्तें कुल आयी थीं ?

श्री सुल्तान आलम खां--मेरे पास इसकी तो सूचना नहीं है । लेकिन इसके लिये नियम बने हैं, उसकी मार्फत दरख्वास्तें मांगी गई थीं और उन्हीं दरख्वास्तों के ऊपर रुपया दिया गया ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो हैंन्ड पाइप दिये गये हैं वे सार्वजनिक स्थानों में लगाने के लिये दिये गये हैं या व्यक्तिगत घरों में ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह तो सार्वजनिक तौर पर लगाने के लिये दिये गये हैं ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतायेगी कि जौनपुर सदर तहसील में १९७ में से कितने सार्वजनिक स्थानों में लगाये गये ?

श्री सुल्तान आलम खां--मेरे पास एक लिस्ट है उसे पढ़कर सुनाये देता हूं । प्लानिंग विभाग से १०८ लगाये गये, केराकत एन० ई० एस० ब्लाक-२५, बादशाहपुर एन० ई० एस० ब्लाक-१३, धोबी एन० ई० एस०, ब्लाक-१०, रामपुर एन० ई० एस० ब्लाक-३, शाहगंज एन० ई० एस० ब्लाक-३५, और मछली शहर एन० ई० एस० ब्लाक-३ ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या उनको इस किस्म की कोई इत्तला है कि कुछ लोगों ने सार्वजनिक जगहों पर नल लगाने की दरख्वास्तें दी थीं और उन्होंने अपने घरों में लगवा लिये हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार इस प्रश्न को सूचना समझ कर इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां--अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जरूर जांच कराने की कोशिश की जायगी ।

जौनपुर जिले में औद्योगिक विकास के लिये ऋण वितरण

*४१--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में औद्योगिक विकास के लिये ऋण एवं अनुदान देने के लिये जिला उद्योग विभाग के पास कितना रुपया है ?

श्री रऊफ जाफरी--"ऋण एवं अनुदान योजना" के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ऋण तथा अनुदान देने के लिये कोई निश्चित धनराशि नहीं रक्खी जाती है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--यह ऋण और अनुदान प्राप्ति के लिये क्या सरकार जिलों से दरख्वास्तें मंगाकर, सब लोगों को ऋण देती है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जौनपुर जिले में कितनी दरख्वास्तें ऋण और अनुदान की पड़ीं और कितनी दरख्वास्तों पर वह दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी--कितनी दरख्वास्तें आईं और कितनी पर दिया गया यह सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सन् १८५७-५८ में ४०,५०० रुपया वहां पर लोन के तरीके पर दिया गया है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह का ऋण और अनुदान एक ही आदमी को कई चीजों का उद्योग खोलने के लिये दिया जा सकता है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, अगर कोई अलग-अलग काम करता है और अनुदान लेने के कायदों के अन्दर दरख्वास्त आती है तो वह दिया जाता है और अलावा इस रकम के आठ-आठ हजार रुपया कमिश्नर के द्वारा भी प्लानिंग विभाग को दिया गया है, वह भी वहीं बटा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग के संबंध में अनुदान देने के लिये कोई परामर्शदात्री समिति भी कायम है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, एक लोन्स ग्रान्ट कमेटी है।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह ४०,५०० रुपया किन-किन उद्योगों के विकास के लिये दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी--किन-किन उद्योगों के लिये दिया गया है वह फेहरिस्त मेरे पास नहीं है।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जौनपुर जिले में एक ही आदमी को साबुन बनाने के लिये ऋण और अनुदान दोनों दिये गये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, दिये गये हैं और कायदे से दिये जा सकते हैं।

इण्डियन शुगर सिण्डीकेट, कानपुर पर सरकारी बकाया

*४२--राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इंडियन शुगर सिण्डीकेट, कानपुर जो कि अब लिक्वीडेशन में है उसके ऊपर सरकारी रुपया कितना बाकी है और किस-किस मद का ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इंडियन शुगर सिण्डीकेट के ऊपर केवल शीरे की बिक्री आय (sale proceeds of molasses) की मद के अन्तर्गत ९,०७,८६२ रु० १५ आ० १ पाई बाकी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या यह सही है कि सरकार के पास यह रिपोर्ट आई है कि शुगर सिंडीकेट के लिक्वीडेशन में चले जाने के कारण ९ लाख रुपया राइट आफ किया जायं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे--इन ९ लाख रुपये की वसूली के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सिंडीकेट १९५० में लिक्वीडेशन में चला गया है और इसको आठ साल हो चुके हैं। अदालत की तरफ से लिक्वीडेटर मुकर्रर हो गया है। उनका काम है कि जिनका रुपया बाकी है, वसूल करके उनको दें। वह इस काम को कर रहे हैं। मालूम नहीं, कब तक वह इस काम को पूरा कर सकेंगे। यह भी नहीं कह सकते हैं कि सरकार को कितने रुपये मिलेंगे। यदि आमदनी कम हुई तो शायद कम मिले।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--यह जो ९ लाख रुपये सरकार के बकाया है वे कितने साल के टैक्सेज के बकाया हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ये सब १९५० से पहले के बकाया है।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे--इसके लिक्वीडेशन में जाने से पहले वर्ष प्रति वर्ष रुपया क्यों नहीं वसूल किया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी कि इसके क्या कारण हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार बतायेगी कि सिंडीकेट की कार्यवाही क कब तक खत्म हो जाने की उम्मीद है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—निश्चय कहना तो बड़ा मुश्किल है—क्योंकि अदालत में मुकदमा चल रहा है—जब तक फैसला न हो। फिर भी एक बड़ी भारी बात यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के १८ लाख रुपये बाकी है उसको भी पहले दिये जायंगे।

श्री उग्रसेन—अब तक कितना धन मिल चुका है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कुछ नहीं।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके लिक्वीडेशन में जाने से पहले जब बकाया की रकम सरकार की बहुत बढ़ गई तो इसकी वसूली का विशेष प्रयास क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये वह जबाब दे चुके हैं कि उनको नोटिस चाहिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार इसकी जानकारी करायेगी कि किसकी जिम्मेदारी थी जिसके कारण इतना रुपया बाकी रह गया और सरकार को हानि उठानी पड़ी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—एक बात है कि इसमें दो आने फी मन के हिसाब से जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देना पड़ा, इसके लिये अगर कोर्ट फैसला दे दे तो आज ही वसूल हो जाय। लेकिन चैलेन्ज किया जा रहा है और कोर्ट से ही यह हो सकता है। अगर यह हो जाय तो गवर्नमेंट का भी रुपया वसूल हो जाय और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रुपया आसानी से वसूल हो जायगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। मेरा प्रश्न यह था कि जो टैक्स वसूल न करने के कारण सरकार को घाटा हो रहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्या सरकार इसकी जांच करके बतायेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, किसकी जिम्मेदारी है यह नहीं कहा जा सकता है। इसलिये कोआपरेटिव बैंक में रुपया जमा था, वह कितना रुपया था और किसका था इसको चैलेन्ज किया जा रहा है। अदालत से फैसला हो जाय तो मालूम हो। अगर चैलेन्ज न हो तो रुपया आसानी से मिल जाय। गवर्नमेंट की तरफ से किसी का कसूर नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके असेट्स की क्या पोजीशन है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके असेट्स वैसे ही हैं जैसे कि पहले थे, सिवाय लखनऊ के एक मकान के जो बिका है और रोजाना का जो खर्चा है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है।

शपथ-पत्रों पर अधिक मूल्य के स्टाम्प लगाने से संबंधित आदेश के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कुछ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। पहला श्री राजनारायण जी का है। वह मैं पढ़कर तो सुना देता हूं, लेकिन उसका विषय ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई कामरोको प्रस्ताव आ सके। उसमें कोई अर्जेन्सी का सवाल नहीं मालूम होता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—आप कृपा करके हमसे भी पूछ लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—वह पढ़ने से ही पता लग जायगा। वैसे मैं इसे पढ़ता नहीं लेकिन इसलिये पढ़ रहा हूं जिससे मालूम हो जाय कि किस तरह के सवाल कामरोको प्रस्तावों के जरिये उठाये जाते हैं। कामरोको प्रस्ताव इस तरह से है :—

"सरकार के एक हाल के आदेश-पत्र द्वारा मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में दाखिल होने वाले हलफनामा के पत्रों पर एक रुपये के रेवेन्यू स्टाम्प की जगह अब तीन रुपये का नोटीरियल स्टाम्प लगाना पड़ता है। इस आदेश से गरीब साधारण जनता में बड़ी बेचैनी पैदा हो गयी है और लोग इन्साफ पा सकने में असमर्थ हो रहे हैं, इससे अदालतों में आम जनता में व्यापक असन्तोष पैदा हो गया है। सरकार ने ऐसा आदेश भेजकर जिस प्रकार न्याय को महंगा तथा असम्भव बना दिया है। उस पर विचार करने के लिये यह सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

अब यह हलफनामे के पत्रों पर एक रुपये के स्टाम्प के बजाय तीन रुपये के लगाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव है। इसमें शब्द 'हाल के' लिखा हुआ है। यह कहीं कुछ नहीं आया है कि कब आदेश जारी हुआ और मैं समझता हूं कि आदेश निकला होगा तो उसको भी महीना पन्द्रह दिन जरूर हो गये होंगे।

श्री राजनारायण—हमको कल ही जानकारी हुई है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—जानकारी तो आपको पहले ही हासिल कर लेनी चाहिये थी। अगर आप हासिल नहीं करते शीघ्रता से तो उसमें आपकी दिलचस्पी प्रतीत नहीं होती है।

श्री राजनारायण—आप मंत्रिमंडल के लोगों से भी पूछेंगे तो वे यह नहीं बता सकेंगे कि कब जारी हुआ ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। जो नियम है वह यही है कि जब कोई घटना हो जाय तो उस विषय पर कामरोको प्रस्ताव लाना हो तो वह शीघ्र ही सदन के सामने आ जानी चाहिये। अब सूचना प्राप्ति के लिये आप सवाल कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका और आपको बताता हूं कि यदि ऐसा महत्व का विषय हो तो उस पर प्रश्नोत्तरों के पश्चात् आध घंटे की बहस हो सकती है, लेकिन यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। इसमें कोई अर्जेन्सी दिखाई नहीं देती और यह कोई महत्व का विषय भी नहीं है।

बदायूं जिले में सोत, एरियल, गंगा, रामगंगा और महावा में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव टीकाराम जी का है :—

"जिला बदायूं में सोत, एरियल, गंगा, रामगंगा या महावा नदियों में भीषण वर्षा के कारण भयंकर बाढ़ आयी है जिस के कारण जिले का दो तिहाई भाग पानी में डूब गया है, लाखों रुपये की फसल बरबाद हो गयी है, हजारों मकान गिर गये है। सरकार की उपेक्षा और समुचित सहायता न पहुंचने के कारण लोगों का जीवन दुर्लभ तथा असम्भव हो गया है और जिले भर में घोर असन्तोष व्याप्त है और विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है।

अतएव इस आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

अब इस सम्बन्ध में मैं टीकाराम जी से यह जानना चाहूंगा कि यह बाढ़ कब आयी ?

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—श्रीमन्, मैं आज सबेरे ही आया हूं और यह नकशा आपकी खिदमत में भिजवा चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, नकशा तो आपने भेजा है, लेकिन बाढ़ कब आयी, यह आप बता दें।

श्री टीकाराम--मैं आज ही सबेरे आया हूं।

श्री अध्यक्ष--आप तो आज आये लेकिन बाढ़ कब आयी ?

श्री टीकाराम--पानी कल भी बरसा, परसों भी बरसा।

श्री अध्यक्ष--बाढ़ शुरू कब हुई ?

श्री टीकाराम--एक हफ्ते से शुरू हो गयी है, महाराज।

श्री अध्यक्ष--क्या माननीय वित्त मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

*वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि यह बात सत्य है कि सोत, एरियल, गंगा और रामगंगा में बाढ़ आ गयी है। बदायूं जिले में वर्षा बहुत हुई है। ६४ गांव गुन्नौर तहसील में, ५५ गांव सहसवान तहसील में, ७२ गांव दातागंज तहसील में और ३२ गांव बदायूं तहसील में प्रभावित हुये हैं। इनमें से ६ गांव गुन्नौर तहसील में पानी से घिरे हुये हैं। लेकिन वहां के जिलाधीश ने दूसरे राज्य कर्मचारियों की इम्दाद से इवैकुयेशन का काम शुरू कर रखा है और वह काम चल रहा है। ६७ हजार एकड़ भूमि को अब तक के अनुमान के मुताबिक नुकसान पहुंचा है और ३१,००० आदमियों पर इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह लिखा है कि अब नदियों का पानी घट रहा है और वह इस बात से भी साबित है कि माननीय टीकाराम जी आज वहां से आ सके, वरना निकल न पाते और उन्होंने उस मामले को इतना अर्जेंट नहीं समझा कि वह वहां रहते।

श्री अध्यक्ष--मैंने सूचना के लिये माननीय मंत्री जी से कहा था कि वह उसकी सूचना दे दें। लेकिन इस पर विचार करने के बारे में जो कहा गया कि वहां सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, और उसके कारण परिस्थिति गंभीर हो गई है, ऐसी कोई बात निश्चित नहीं है और इस वजह से मैं इसकी अनिश्चितता के कारण इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--सरकार ने क्या किया, यह तो बतलाया नहीं।

श्री अध्यक्ष--आप उसके लिये प्रश्न पूछियेगा।

जिला खीरी तथा पीलीभीत में वन विभाग द्वारा जमीन लिये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री बंशीधर शुक्ल जी का है कि "जिला खीरी तथा पीलीभीत के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा जो किसानों की प्राचीन पट्टेदार भूमि सरकारी सर्कुलर नम्बर ६२०/१४, दिनांक ७ जुलाई सन् १९५८ ई० के अनुसार जबरन छीनी जा रही है" यानी ७ जुलाई, १९५८ को एक सर्कुलर निकला उस से जमीन छीनी जा रही है और उससे जो परिस्थिति पैदा हुई उसके कारण यह प्रस्ताव है। तो ७ जुलाई के बाद २१ जुलाई से यह सदन बैठा और उस के बाद कितनी ही बहसें हुईं और माननीय सदस्य ने इसका कोई महत्व अब तक नहीं समझा और न उसका जिक्र ही अपने भाषणों में किया।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--जिक्र किया था।

श्री अध्यक्ष--जिक्र किया था तो दुबारा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। कामरोको प्रस्ताव द्वारा इसको फिर से सदन में नहीं लाया जा सकता और यह बात खत्म हो गयी है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--कल श्री ब्रजनारायण तिवारी जी अपना संशोधन प्रस्तुत कर चुके थे और अपना भाषण कर रहे थे, वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कल लिस्ट पर तीन संशोधन थे और मेरा संशोधन तीसरे नम्बर पर था। आज चार संशोधन हैं और मेरा संशोधन चौथे नम्बर पर आ गया है। तो यह किस नियम के आधार पर है अथवा आपकी कोई व्यवस्था है कि जिसके आधार पर यह किया गया है। यह शिवप्रसाद जी नागर का संशोधन आज बीच में जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष--उनका संशोधन दोनों सदनों की प्रवर समिति को भेजने के सम्बन्ध में है। पहला तो जनमत के लिये है। तो अगर वह स्वीकार नहीं होता तो दूसरा प्रश्न आता है कि दोनों सदनों की प्रवर समिति में विधेयक भेजा जाय अथवा नहीं। फिर यदि दोनों सदनों को न जाने का निश्चय हो जाय तो फिर प्रश्न उठेगा कि एक ही सदन की प्रवर समिति में भेजा जाय। इसलिये नागर जी का बीच में डाल दिया गया है जो 'इन आर्डर' है। कल यह अमेंडमेंट सदन के सामने था ही नहीं, क्योंकि जितने समय का अमेंडमेंट के लिये नोटिस होना चाहिये था कल वह समय बीता न होगा। आज उतना समय पूरा हो गया इसलिये आ गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--जब कोई बिल विचारार्थ ले लिया जाता है तो उसके ३६ घंटे पूर्व ही कोई अमेंडमेंट लिया जाता है। उसके बाद मेरा संशोधन तो नहीं लिया जाता।

श्री अध्यक्ष--अमेंडमेंट आते रहते हैं और उनको एजेन्डे पर रखा जाता है क्रम से। तो यह जब आया था उसके बाद कल तक इसको ३६ घंटे नहीं हुए होंगे, आज हो गये और चूंकि अमेंडमेंट अभी पूरे उपस्थित किये नहीं गये थे इसलिये आज उनका संशोधन एजेन्डे पर आ गया।

श्री राजनारायण--मेरा मतलब यह है आप यह देख लें कि यह अमेंडमेंट कब आया था?

श्री अध्यक्ष--मैं देख कर बता दूंगा।

श्री राजनारायण--इस के पूर्व जो विधेयक यहां चल रहा था उसमें मैंने कई संशोधन दिये, लेकिन आप के कार्यालय से यह कह दिया गया कि ३६ घंटे का समय पूरा नहीं होता है और दूसरे दिन भी हमारे अमेंडमेंट नहीं छपे। तो मैं श्रीमन् से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सम्यक् दृष्टि से आप के विभाग के द्वारा ....

श्री अध्यक्ष--आप कोई मुझे उदाहरण बताइये तब मैं जांच करूंगा, केवल गोल बात कहना ठीक नहीं है।

श्री बृजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--श्रीमन्, यह उपस्थित विधेयक जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय, इस बारे में मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका हूं। अगर इस विधेयक को गौर से देखा जाय तो मालूम होगा कि यह सरकार, यह सत्तारूढ़दल, जब शासन में नहीं था तब ऐसा समझता था कि जनता के हित के लिये ही यह संगठन बना हुआ है और यही उसका मुख्य कर्त्तव्य था, लेकिन श्रीमन्, हुकूमत प्राप्त करने के बाद सरकार इस पर से जनता के आर्गेनाइजेशन्स का, जनता के संगठनों का और जनता द्वारा चुने हुए नुमाइन्दों का विश्वास उठता जा रहा है। कारण कि जो विधेयक इस सदन के सामने उपस्थित होते हैं उनमें या तो किसी ऐसे प्राधिकारी या आफीसर की नियुक्ति कर दी जाती है जिसको पूर्णरूप से

* ९ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

अधिकार प्रदान किये जायं अथवा किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है और उसको सब अधिकार प्रदान कर दिये जाते हैं और इस प्रकार से जनता के अधिकारों का अपहरण होता है। अब सरकार का केवल यही काम रह गया है ।

अब मैं इस विधेयक के खंडों पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। जहां नियंत्रित प्राधिकारी का प्रश्न उपस्थित हुआ है उसको अगर आप देखें तो आपको उपधारा (२) में ३ व्यक्तियों को नामजद करने का प्रावीजन किया गया है। मैं नहीं समझता कि जब इस जनतंत्र प्रणाली में सारे काम जनता की नुमायंदगी के द्वारा होते हैं तब इस काम में क्या कठिनाई पड़ी कि अलहदा से ३ व्यक्तियों को नामजद किया गया । उनकी नामजदगी किस प्रकार से होगी और उनके क्या अधिकार होंगे, इन बातों को अगर हम देखें तो केवल उसका यही अर्थ होता है कि सरकार अपनी भावनाओं के अनुरूप किसी भी कार्य को करने के लिये मनमाने तरीके से ३ आदमियों को नामजद करना चाहती है।

इसके आगे अगर आप देखें तो आप को मालूम होगा कि धारा ३ में जहां विनियमन क्षेत्रों का सवाल है वहां निर्माण कार्य के लिये क्षेत्र घोषित किये जाते हैं। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी आबादी भी उस क्षेत्र में हो, कोई मकान बन रहा है, या पूर्ण हो चुका है, तो वहां भी यही नियम लागू होगा। कहीं पुरानी बस्ती है, जहां पुराने ढंग से मकान बने हुए हैं तो उनको भी इस अधिनियम के मुताबिक सरकार गिरा सकती है, रोक सकती है और इस प्रकार से जनता के अधिकारों की अवहेलना कर सकती है।

इसके आगे धारा ७ के अनुसार जो क्षेत्र विनियमित घोषित हो चुके हैं उनमें निर्माण करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जाने का विधान है। अब उसमें देखा जाय कि नियत अधिकारी को कैसा अधिकार दिया गया है कि इन्क्वायरी करने के बाद जिसको वह चाहे इजाजत दे सकता है और जिसको न चाहे नहीं दे सकता। दूसरे, इसके लिये कोई अवधि भी नहीं रखी गयी है कि दरख्वास्त दिये जाने के कितने दिन बाद तक उसको उसकी आज्ञा से सूचित कर दिया जायगा। आप किसी निर्माण को शुरू करना चाहते हैं, आपने साधन इकट्ठा कर लिये हैं, सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और उसके लिये आपने प्रार्थना-पत्र दिया, लेकिन उसके लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की गई कि इतने दिनों में इन्क्वायरी करने के बाद वह इजाजत दे देगा या न दे देगा। कम से कम सरकार को कोई अवधि तो मुकर्रर कर ही देनी चाहिये थी कि जब प्रार्थना-पत्र दे दे तो उस निश्चित अवधि के अन्दर, जरूरी इन्क्वायरी करने के बाद जो भी समझ में आये, निर्णय देगा।

श्रीमन्, अब धारा ९ को ले लीजिये। जहां यह बताया गया है कि नियत प्राधिकारी की मर्जी के खिलाफ यदि कोई काम शुरू कर दे तो वह इस अधिनियम के मुताबिक आज्ञा का उल्लंघन समझा जायगा तो जरा गौर किया जाय, श्रीमन्, कि उस पर जुर्माना क्या रखा गया है। १०,००० रुपया तो उसके ऊपर जुर्माना आदेश के उल्लंघन करने के रूप में होगा और अगर वह बराबर उल्लंघन करता जाता है तो फिर ५०० रुपया रोज जुर्माना बढ़ता जायगा। श्रीमन्, जरा सोचिये कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि जो आदेश दिया जाय उसके खिलाफ वह अपील दायर कर सके, कहीं चाराजोई कर सके। नियंत्रक प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा, वह जो चाहे आदेश दे सकता है। अगर कोई उस आदेश का उल्लंघन करे तो जुर्माना इस प्रकार से होगा जैसे यह गवर्नमेंट समझती है कि उस देश में लखपति से कम कोई है ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां बसे हुये कुछ लोगों की हैसियत १०,००० रुपये से कम की भी हो, लेकिन जुर्माना उनके ऊपर १०,००० रुपया होगा और आदेश का उल्लंघन करने पर सुरसा के पेट की तरह से ५०० रु० रोज बढ़ता जायगा।

आगे धारा ९ की उपधारा (२) (३), और (४) में जहां एक व्यक्ति के लिये प्रतिबन्ध है वहां किसी कम्पनी के मैनेजर के लिये यह सुविधा प्रदान की गयी है कि अगर वह नियंत्रक अधिकारी की आज्ञा का उल्लंघन करे तो वह इससे बरी हो सकता है। मैं पूछता हूं कि कम्पनी की जगह पर वहां किसी व्यक्ति के लिये क्यों नहीं रख दिया गया कि चाहे

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

कोई भी व्यक्ति हो, जो इस बात को साबित कर दे कि उसकी जानकारी में इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ है तो वह बरी हो सकता है और दोनों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिये। यहां पर श्रीमन्, एक व्यक्ति के लिये कोई प्राविजन नहीं है, लेकिन कम्पनी के लिये ऐसा लिखा हुआ है।

आगे धारा १० में जिक्र आ चुका है कि पुराने मकानों को गिरवाने का आदेश भी नियत प्राधिकारी दे सकता है और इसमें लिखा हुआ है कि यह काम जनहित में होगा। इस तरह से नियत प्राधिकारी किसी बने बनाये मकान को गिराने की आज्ञा दे सकता है और यह लिखा है कि उसके गिराने का खर्चा भी उसी मकान मालिक से मालगुजारी की तरह वसूल किया जायगा।

श्रीमन्, इस देश में जो जन-संख्या है उसका तीन चौथाई कृषक ही है और उन्हीं किसानों के बल पर आज यह सरकार सत्तारूढ़ है। उन्हीं के वोट से, उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के चन्दे से और उन्हीं के मुठिये से यह सरकार यहां आयी है और उन्हीं को सरकार ने अपना एक मापदंड बना लिया है कि कोई भी विधेयक हो उस में यह जरूर लिखा रहता है कि इस रुपये को बकाया मालगुजारी की भांति सरकार वसूल करेगी। इसका परिणाम यह होगा कि जो अदा करने वाले होंगे वे भी इस सरकारी आदेश की पाबन्दी नहीं करेंगे।

धारा १४ में लिखा है कि अगर नियत प्राधिकारी फंसा रहे तो वह अपने पावर को डेलिगेट कर सकता है। श्रीमन्, इस लिये तो मैंने कहा कि पावर को डेलीगेट करना, नामिनेशन किसी कमेटी में करना और फिर किसी अदालत में सुनवाई न करना, ये तीन धारायें मुख्य रूप से इस विधेयक में ऐसी हैं जिनको इसमें से निकाल देना चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि पावर डेलिगेट करने का जो नियम बना है उस को ऐसा बना दिया जाय कि ग्रुप के एक आदमी के जिम्मे यह काम न दिया जाय, फिर आप का काम बहुत हो जायगा और पावर को डेलीगेट करने का कोई प्रश्न नहीं उठेगा।

श्रीमन्, इसी तरह से धारा १५ में अपील करने की इजाजत नहीं दी गयी है। मैं चाहता हूं कि इसका अधिकार होना चाहिये कि हम अपने हकों की रक्षा के लिये किसी अदालत में चाराजोई कर सकें। आपने तो नियम में यह जोड़ दिया है कि नियत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और न तो उसके लिये रिवोजन किया जा सकता है, न अपील दायर की जा सकती है और न किसी दूसरी अदालत में मामला ही जा सकता है।

अब मैं एक अन्तिम धारा १६ का जिक्र करना चाहता हूं, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई काम करने वाला आदमी, उसकी सद्भावना हो अच्छा काम करने की, तो वह सभी काम से बरी हो सकता है। कानून में सद्भावना का कहीं मेल नहीं खाता है। ऐसा मालूम होता है कि दफा १६ ऐसे लोगों के लिये बनाई जा रही है जो सरकार के विश्वासपात्र हों, सरकार की गुडविल में हों, सरकार के हिमायती हों, उनकी रक्षा करने के लिये धारा १६ जोड़ी गयी है। आपकी आज्ञा से मैं यह धारा १६ पढ़ देना चाहता हूं—"कोई वाद, अधियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं हो सकेगी जो इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित विनियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या जिसको उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो।" इस धारा के अन्तर्गत, श्रीमन्, कोई आदमी सद्भावना से कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि "सद्भावना" का क्या अर्थ है।

श्री अध्यक्ष—इसका यह अर्थ समझते हैं कि सद्भावना से कोई व्यक्ति यदि मकान बना ले तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी?

श्री ब्रजनारायण तिवारी—सद्भावना का ऐसा व्यापक अर्थ है, यही मैं समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर दें, इसमें गलतफहमी हो सकती है।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—धारा १६ में "सद्भावना" का अर्थ यह है कि अगर कोई आफिसर सद्भावना से कोई कार्य कर डालता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य, अब इस स्पष्टीकरण के हिसाब से बहस करें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अन्त में यह निवेदन करता हूं कि यह विधेयक आम लोगों के विषय में है, इस दृष्टि से मैं जरूरी समझता हूं कि इसे जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि इसी सेशन के अन्त तक अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और यह ढूंढ़ने की जरूरत पड़ी कि किस कारण से यह विधेयक लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के लाने में कुछ गूढ़ रहस्य छिपा मालूम होता है और अब कुछ ऐसा दिखलाई पड़ता है कि सरकार की तरफ से बड़े अंट-संट विधेयक आने लगे हैं और उनके अन्दर कुछ तत्त्व नहीं मालूम होता है।

अभी एक अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक आया था। ऐसा मालूम होता था कि मंत्री महोदय ने अपने दल के किसी सदस्य से उस सम्बन्ध में पूछताछ नहीं की जिसका उधर के सदस्यों ने खुला विरोध किया और कल भी इस सदन में इसी प्रकार का गोवध (संशोधन) विधेयक आया और उसका भी कांग्रेस की ओर से खुलकर विरोध हुआ। उसको पढ़ने से ऐसा मालूम हुआ, पार्टी के अन्दर जो द्वन्द्व मचा उसको देखने से भी ऐसा मालूम हुआ कि धीरे-धीरे ट्रेजरी बेंचेज का मन्त्रिमण्डल पर से विश्वास उठता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—यह असंगत बात है।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं उसी पर आ रहा हूं। इस विधेयक को देखने से मालूम होता है कि किसी मंत्री, किसी उप-मंत्री या किसी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या किसी सेक्रेटरी का कोई लड़का पढ़ लिख कर तैयार हुआ है और उसको कहीं न कहीं एकमोडेट करना है, इसलिये शायद यह विधेयक लाया गया है।

श्री अध्यक्ष—मैं इस तरह के आक्षेप करने की इजाजत नहीं दे सकता। इस तरह के वैयक्तिक हमले की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं आपकी आज्ञा से यह शब्द वापस लेता हूं, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें तमाम नागर क्षेत्र और देहात के क्षेत्र सभी सम्मिलित कर लिए गए हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा १७४ में रूल्स और बाई-लाज बनाने का पूरा अधिकार है। इसका जो मंशा और उद्देश्य लिखा गया है उसमें स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि भवन निर्माण-कार्य केवल म्युनिसिपैलिटियों तथा नोटीफाइड एरियाज के भीतर ही विनियमित किया जा सकता है और इन नागर क्षेत्रों के बाहर इन निर्माण कार्यों को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जब यह चीज स्वीकृत है कि निर्माण कार्य विनियमन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड और नोटीफाइड एरिया के अन्दर होने लगते हैं, जहां इसका प्राविजन है, तो कोई कारण नहीं था कि नागर क्षेत्रों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता। इसके साथ-साथ १७४ धारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट के अन्दर रूल्स और बाई-लाज बनाने का अधिकार है और १८२ में प्राजीक्यूशन का भी अधिकार है।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

म्युनिसिपल ऐक्ट में भी १८६ में इस बात का पूरा प्राविजन है कि अगर कोई शख्स अनथराइज्ड कांस्ट्रक्शन कर रहा हो तो उसे नोटिस दिया जाय और उसको मना कर दिया जाय। अगर उस नोटिस का पालन कोई नागरिक न करे तो दफा १०७(ए)और(बी) की कार्यवाही की जा सकती है जिसमें कि म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा उसे गिरवा दिया जाय और उसकी लागत वसूल कर ली जाय और इस प्रकार से कार्यवाही न करे तो अदालत में वाद प्रस्तुत करक उसका चालान कर दिया जाय और उस पर जुर्माना हो सकता है। ये सब बातें जब तमाम नागर क्षेत्रों के ऐक्टों में मौजूद हैं तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है कि इस तरह से एक नया मुहकमा खोला जाय और एक नया मुहकमा खोलकर उन लोगों के ऊपर एक नयी आपत्ति तैयार कर दी जाय।

इसमें अध्यक्ष महोदय, एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां पर यह लिखा गया है कि उद्योग-धंधों के लिए भी इस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ उद्योगपतियों के हिमायत में भी हमारी सरकार कार्य करन जा रही है। बात यह है कि जहां-जहां बड़े-बड़े भवन और बड़ी-बड़ी बस्तियां होंगी वहां पर एक इस तरह का प्राधिकारी नियुक्त कर दिया जायगा और वहां पर कोई कारखाना खोलने की बात सामने रखी गई तो मेरा खयाल है कि वह बड़े-बड़े भवन गिरवा दिये जायेंगे और बड़े-बड़े पूंजीपतियों को इस बात का मौका दिया जायगा कि वे वहां पर अपना कारखाना खोलें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान धारा ४ के खंड २ के उपखंड (३) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट को भी इस विनियमित समिति का एक सदस्य मान लिया गया है। आप इस पर गौर करें कि धारा ४ के खंड २ के अन्दर जो कमेटी बनायी जा रही है इस कमेटी में केवल ३ ही सदस्य वह होंगे जो कि बाई डेजिगनेट होंगे और ३ सदस्यों को सरकार नामजद करेगी। तो तीन सदस्यों को सरकार नामजद करेगी और ३ ही सदस्य डेजिगनेट होंगे, लेकिन इसमें कोई एम० एल० ए० उस क्षेत्र का नहीं रखा गया है। जिस क्षेत्र में इतना बड़ा अनर्थ हो जाय, जिसको चाहा उजाड़ दिया, जो चाहा बसा दिया, वहां उस पर कोई अंकुश नहीं है कि कोई उस क्षेत्र का एम० एल० ए० भी उसका सदस्य हो ताकि वहां पर यदि कोई बात ऐसी हो तो उसको वह सदन में उपस्थित कर सक।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उपखंड (५) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार नियंत्रक प्राधिकारी के लिये ऐसे लिपिकवर्ग तथा अन्य कर्मचारीवर्ग की व्यवस्था करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे। इससे बिल्कुल साफ, प्रतीत होता है कि एक नया मुहकमा खुलने वाला है। उसके लिए बहुत से कर्मचारी भी होंगे, भवन होगा, कार्यालय होगा और दूसरी सारी सुविधाएं और आवश्यक प्राविजन्स बिलकल नये होंग। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान धारा ७ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा गया है कि प्रत्येक "व्यक्ति जो धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करना चाहता हो, नियत प्राधिकारी के पास ऐसे आकार में तथा ऐसी सूचना सहित जो विकास, भवन, खोदाई अथवा रास्तों के सम्बन्ध में, जिससे कि प्रार्थना-पत्र सम्बद्ध हो, नियत हो, लिखित प्रार्थना-पत्र देगा।" इसका अर्थ यह है अध्यक्ष महोदय, कि उस एक नकशा बनाना पड़ेगा और उसको इजाजत के लिए दरख्वास्त भी देनी पड़ेगी। और जब नक्शे और दरख्वास्त को इजाजत हासिल हो जायगी तभी कोई कार्यवाही कर सकता है। अगर नागर क्षेत्र में इस तरह का प्रावीजन हुआ तो हर आदमी को दो नक्शे बनवाने पड़ेंगे, एक नकशा म्युनिसिपल बोर्ड को भेजा जायगा और एक प्रति उस नक्शे की प्राधिकारी को देनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड ने उस नकशे को पास कर दिया और प्राधिकारी ने उसको खारिज कर दिया, जिसका कहीं वाद प्रस्तुत नहीं

कर सकता तो आखिर उस आदमी की क्या दशा होगी जिसके मकान का सारा सामान जुटा पड़ा है और अपना भवन निर्माण करना चाहता है? आपकी इस अड़ंगेबाजी में अगर ४, ६ महीने गुजर गये तो सारे का सारा मसाला, ईंटा बरबाद हो जायगा। ऐसी दशा में वह कौन से रास्ते से गुजरेगा यह भी तो मंत्री जी बतायेंगे।

इसके अलावा मैं धारा ९ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--इस समय तो आप विधेयक के सिद्धान्तों पर ही जाइये, हर धारा के ऊपर टीका न कीजिए।

श्री शिवप्रसाद नागर--इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि दोनों सदनों की सेलेक्ट कमेटी में जाय। इसलिये मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह चीजें असंगत हैं।

श्री अध्यक्ष--आप सभी खण्डों को असंगत कह सकते हैं परन्तु हर खण्ड पर बहस करना ठीक नहीं है। इस समय तो मूल जो सिद्धान्त है उन्हीं पर विचार हो सकता है। आपको हर एक खण्ड के पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर--मैं धारा ९ की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस धारा में १०,००० रुपये का जुर्माना रखा गया है। भवन गिरवा दिया जाय और फिर जुर्माना हो और उसके बाद भी ५०० रुपये रोज का जुर्माना किया जाय। इसलिये मैं कहता हूं कि यह बड़ा अन्याय है, इसे ध्यान से देखना चाहिये।

धारा ३ में जो कम्पनी की बात की गई है, उसमें ऐसा मालूम होता है कि कम्पनियों के साथ बड़ी रियायत की जा रही है। कम्पनियों से मतलब कारखानेदारों से है। उनमें से अगर कोई व्यक्ति इस बात का सबूत दे सके कि इसके हम जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मजदूर जिम्मेदार है, या मैनेजर जिम्मेदार है, या कोई नौकर जिम्मेदार है तो वह बरी हो सकता है। और अगर कोई आदमी कारखानेदार नहीं तो वह सजा भोगे क्योंकि वह किसी दूसरे को तो जिम्मेदार ठहरा नहीं सकता, अकेला आदमी मकान बनवाने वाला ठहरा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी धारा रखी गई है जिससे गरीबों का हनन होगा और पूंजीपतियों का पोषण होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं धारा १५ की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां यह लिखा है कि: "१५ (१) धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन अनुज्ञा देने या न देने की कोई आज्ञा, उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगी और उस पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।"

आज स्वतन्त्र भारत में हर मनुष्य को इस बात का अधिकार होना चाहिये कि अगर कोई अधिकारी या प्राधिकारी गलत कार्यवाही करता है तो उसका बाद न्यायालय में प्रस्तुत करके निर्णय अपने पक्ष में करा सकता है। मैं समझता हूं कि एक ऐसी चीज प्रस्तुत की जा रही है जिसके द्वारा कहीं वाद प्रस्तुत करके कोई निर्णय प्राप्त कराने का अधिकार नहीं है।

अब धारा १५ (२) की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूं "१५ (२) धारा ७ के अधीन अनुज्ञा देने या न देने की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसी आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है और नियंत्रक प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।"

अब अगर प्राधिकारी महोदय की किसी बड़े मिल ओनर से सांठ-गांठ हो गई और उसके लिये उसने हमारा भवन, मकान या जमीन एक्वायर कर ली हो तो उसके ऊपर हम कोई बाद

[श्री शिवप्रसाद नागर]

प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हमें उसके यहां से न्याय पाने की भी आशा नहीं है। इसलिये हम इस विधेयक का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि गरीबों की रक्षा के लिये यह विधेयक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

इसके अलावा दफा १६ में जहां सद्भावना की बात की गई है, अगर कोई जमीन या भवन या दीवाल गिरवा दी जाय और यह बहाना लिया जाय कि हमने तो सद्भावना के साथ ऐसा किया है, तो हमारा तो मकान गिर जाय, १०,००० रु० जुर्माना हो जाय फिर ५०० रु० रोज जुर्माना भी हो, लेकिन फिर भी हमारे साथ यह सद्भावना ही मानी जाय। सद्भावना के साथ मकान गिराये जायं, जमीन एक्वायर की जाय, सद्भावना के साथ दीवार गिराई जाय, सद्भावना के साथ दरवाजे बन्द कर दिये जायं। हमारे दरवाजे बन्द हो जाय हमारी दीवारें गिरा दी जायं, जमींन एक्वायर कर ली जाय और यह सब सद्भावना के साथ किया जाय तो यह अच्छी सद्भावना हुई। ऐसी सद्भावना गरीबों के हित में कभी नहीं हो सकती वह तो हमेशा पूंजीपतियों के हित में जायगी जिनके द्वारा सरकार को हर समय पर मदद मिल सकती है, जब कभी भी सरकार मोर्चे में आती है तो बड़ी-बड़ी मदद उनसे मांगती है। मेरा खयाल है कि धारा १६ में जो सद्भावना की बात रखी गई है वह गरीबों के हित में न होकर बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हित में जायगी। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, इससे पहले कि मैं अपना सुझाव पेश करूं कि मैं इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव क्यों कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि यह पहला विधेयक हमारे सामने सदन में प्रस्तुत हुआ है। इससे सम्बन्धित कुछ कागजात मैंने मंत्री जी के कार्यालय से मांगे जिनके आधार पर यह विधेयक ड्राफ्ट किया गया है, लेकिन दुःख के साथ मुझे यहां कहना पड़ता है कि वह कागजात मुझे नहीं दिये गये। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह चाहा गया है कि इसके द्वारा बड़े-बड़े नगरों में जो हाउसिंग प्राबलम है उस को रेगुलेट किया जाय, लेकिन जिस तरह से कि यह बिल हमारे सामने आया है उस तरह से इतने अधिक अधिकार यदि हम सरकार के हाथ में दें तो यह बड़ा अनुचित होगा। मैं आपका ध्यान कैबिनेट वर्किंग की ओर दिलाऊंगा, जिस सरकार की यह आदत हो गई हो कि वह हर समय अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है उसके हाथ में इस विधेयक के द्वारा इसे ऐक्ट का रूप देकर इतने अधिकार देना भारी भूल होगी। इस सरकार के केबिनेट वर्किंग में कोई जाकर मंत्री जी के कान में कह दे वरबली तो कितने ही स्कूलों को ग्रान्ट फौरन बन्द हो सकती है, किन्हीं सरकारी अधिकारियों को भी निकाला जा सकता है। यही नहीं अगर कोई सड़क २ फर्लांग बनने जा रही हो और उन को मालूम हो जाय तो वह २ मील भी बन सकती है, क्योंकि उस तरह से वह उन के गिरोह वाले व्यक्ति के घर से गुजरने वाली है। इस तरह का कैबिनेट वर्किंग जहां का हो वहां अधिकार देना उचित नहीं है। अब मैं इस विधेयक की कुछ खामियों की तरफ सदन का ध्यान दिलाऊंगा और मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि मैंने केवल खड़े होकर बोलने के लिये ही यह संशोधन नहीं दिया है, बल्कि मैंने इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि यह ख्वाब कहां से आया है।

दिल्ली रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशंस ऐक्ट, १९५५ का हवाला आपने उद्देश्य और कारणों में दिया है, उसी के अनुरूप इस को बनाया गया है, नकल उसकी जरूर की गई है, लेकिन जो उस की अच्छाइयां है उन को कहीं नहीं लिया गया है। हमारी सरकार विधेयक

लाती है लेकिन उस को पता नहीं होता कि जिस चीज को हम करना चाहते हैं उसके लिये हमारे पास मशीनरी भी है या नहीं। हमारे यहाँ लखनऊ में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है जिसने यहां दस साल पहले नोटिस दिया था, यहां से सौ कदम की दूरी पर कंधारी बाजार है वहां पर कि जो मकान बनाये जायं वह नियमों के अनुसार बनें, वर्ना अगर गलत बनेंगे तो पनिशमेंट दिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसका पालन कराया गया? क्या आपके पास कोई मशीनरी है जिसके आधार पर आपने उस आदेश का पालन कराया? ऐक्ट पास करना तो सरल है, लेकिन क्या यह भी सोचा है कि रेग्यूलेट करने के लिये कोई मशीनरी है या नहीं?

इसके बाद श्रीमन्, प्रत्येक चीज की प्लानिंग होती है और इस हुकूमत के जो सब से बड़े शाहन्शाह हैं वह प्लानिंग पर बड़ा जोर देते हैं। वे कहते है कि मुल्क का प्लानिंग होना चाहिये, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई भी प्लानिंग नहीं है। जो ऐक्ट ला रहे हैं क्या उसका कोई प्लानिंग है? सिर्फ आप यह कह रहे हैं कि शहरों के बाहर म्युनिसिपल लिमिट के बाहर लोग मकान बना देते हैं, इसको रेग्यूलेट करना चाहते हैं। बिना किसी स्कीम के या बिना किसी प्लानिंग के इस बिल को ऐक्ट का रूप दे देना, मैं समझता हूं कि लोगों की बुद्धि पर कुठाराघात करना है, बिना प्लानिंग के या किसी स्कीम के यह लिख दिया गया है कि म्युनिसिपल सीमा के बाहर लोग मकान बनाते हैं उन पर म्युनिसिपल ऐक्ट लागू नहीं होता है। लिहाजा इस बिल को रेग्यूलेट करने की बात कही गई है।

जहां तक प्लानिंग की बात कहते हैं। मैं लखनऊ की ही बात कहता हूं। हमारे पुराने शहर कानपुर, इलाहाबाद वगैरह हैं। आप पुरानी स्कीम को देखिये कि चार-चार फरलांग की दूरी पर ड्रेनेज हैं, अगर बारिश हो जाय तो क्या मजाल है कि कहीं पानी रुक जाय? पुराने और नये शहरों में क्या फर्क है। यही कि अगर बारिश हो जाय तो पुराने शहरों में कहीं पानी रुका हुआ नहीं मिलेगा। इलाहाबाद में एक टैगोर टाउन है और सुलेमसराय एक जगह है वहां एक घंटे भी पानी पड़ जाता है तो रास्ता बन्द हो जाता है। एक घंटे हजरतगंज में पानी पड़ जाता है तो पानी भर जाता है। यह वह जगह है जहां कि बाहर के लोग देखने आते हैं। दारुलशफा के सामने रोज देखते हैं कि पानी भर जाता है। जरा बारिश हुई कि वहां तालाब बन जाता है। इसी तरह से निशातगंज में तालाब बन जाता है। क्या कारण है कि लखनऊ का पुराना हिस्सा जो है वहां अगर पानी गिरता है तो उसका कहीं पता नहीं चलता है। पुरानी प्लानिंग के अनुसार नालियां अन्दर से बनी हैं। लोगों को पता नहीं चलता है कि कहां से पानी कहां जा रहा है? लेकिन हमारी इस सरकार का कोई प्लानिंग नहीं है और वह बहुमत के आधार पर किसी भी बिल को ऐक्ट का रूप दे सकती है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं।

श्रीमन्, यह भी कहा गया है कि गांवों में भी मकानों को रेग्यूलेट करेंगे। मान्यवर, ३० साल से हमारे गांवों से लोग शहरों में आ रहे हैं और ३० साल से लेकर आज तक एक सेंसस ले लें तो अगर गांवों में दस फीसदी आबादी बढ़ी तो शहरों में १०० फीसदी से ज्यादा आबादी बढ़ गई है। हम गांवों का इंतजाम ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि शहरों के मकानों की हालत ठीक की जाय।

श्रीमन्, अन्य बाहर के देशों में भी हम देखें कि वहां पर शहरों की आबादी को बढ़ता हुआ देखकर लोगों का ध्यान उधर गया है। श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से एक लाइन पढ़ देना चाहता हूं। यह रूरल एंड अरबन एरियाज के हाउसिंग के संबंध में है। इसमें कहा गया है कि:—"

"In the United Kingdom, the problem of overcrowding has attracted the attention of the housing authorities to an increasing degree."

यानी १९३५ से ही दूसरे मुल्कों में जरूरत समझी गयी कि हमारे यहां गांवों से लोग शहरों में आ रहे हैं, लिहाजा गरीब से गरीब आदमी चाहे वह मिल का मजदूर हो या बाबू हो सबको

[श्री प्रतापसिंह]

मकान मिल सके और इसका असर गरीब लोगों पर न पड़े। इस बात को देखते हुये यह रिपोर्ट तैयार की गई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इधर ध्यान दें कि हम इसको रेग्यूलेट कर सकते हैं। इसलिये म्युनिसिपल ऐक्ट में ही संशोधन करने की जरूरत है। श्रीमन्, यह बिल आज आ रहा है, लेकिन दस साल पहले सरकार एक आदेश जारी कर चुकी है लखनऊ शहर वालों के लिये कि बिना म्युनिसिपलिटी की इजाजत के कोई मकान नहीं बनेगा। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस आदेश का पालन हुआ है? श्रीमन्, रिश्वत का बाजार गर्म हुआ। लोगों ने खूब रिश्वतें खायीं। लोगों को डराया धमकाया गया। लोगों को रहने के लिये मकान चाहिये इसलिये लोगों ने रिश्वत दी, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से इसका जवाब चाहता हूं और दरख्वास्त करना चाहता हूं कि दस साल पहले के इस आदेश का क्यों नहीं पालन कराया गया और इसको कार्य रूप में परिणत करने की क्यों नहीं कोशिश की गयी। सैकड़ों शिकायतें सरकार के पास आयीं, प्रार्थना-पत्र आये, स्वायत्त शासन विभाग में भी आये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप सिद्धांत को लीजिये। अगर इस तरह से बार बार उदाहरण देंगे तो ठीक नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, मैं तो यह कह रहा था कि दस साल पहले एक सरकारी आदेश जारी हुआ।

श्री अध्यक्ष--आप तीन दफा कह चुके हैं। इसलिये मैं कह रहा हूं कि आप बार-बार न कहें।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, इसके अलावा कंट्रोलिंग अथारिटी बनायी गयी। वहां कमिश्नर से शुरू किया गया है और डिप्टी तक उतार दिया गया है। माननीय मंत्री जी इसको पढ़ें और देखें कि दिल्ली का जो यह बिल्डिंग आपरेशंस बिल है इसमें कंट्रोलिंग अथारिटी कौन है। इसमें चीफ कमिश्नर कंट्रोलिंग आथारिटी है। दिल्ली इतना बड़ा शहर है। क्या उसके चीफ कमिश्नर को कोई और काम नहीं रहता होगा? उसको क्यों कंट्रोलिंग अथारिटी बनाया गया? इसीलिये कि कंट्रोलिंग अथारिटी एक जिम्मेदार शख्स होना चाहिये, जो अपने अधिकारों का सही-सही प्रयोग कर सके। मैं इसलिये इसका नाम ले रहा हूं कि उसके उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि इसी के आधार पर इस ऐक्ट को लाया गया है। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अगर दिल्ली के बिल के आधार पर हमारे यहां इस बिल को लाया गया है तो उसकी बातें माननी चाहिये।

यही नहीं। इसमें एक कमेटी बनेगी, श्रीमन्। कमेटी के बारे में बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन मैं एक अथारिटी रखना चाहता हूं आपके सामने। वह यह है कौंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ दि रजिस्टर्ड आर्कीटेक्ट्स अगर आप की इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं?

"It is, therefore, suggested that an expert committee consisting of representative of local authorities, building employers and operatives and the principal professional bodies should be set up under judicial or legal chairmanship. Committee's terms of reference might be drawn in some such way as follows:

"To consider legislation related to building and the orders and directions connected therewith and the practices that have developed under this legislation and these orders with a view to ascertaining which are essential to sound post-war progress....".

यानी एक कमेटी आफ एक्सपर्ट्स होनी चाहिये जैसा कि श्रीमन् ने आदेश दिया है। मैं उसके अन्दरूनी विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन इस कमेटी में कोई एक्सपर्ट नहीं है। कंट्रोलिंग अथारिटी को प्लानिंग का अनुभव नहीं है। कैसे वह हाउसिंग को रेगुलेट करेगा?

(व्यवधान)

आपने याद दिला दी। इस कमेटी में एक टाउन प्लानर का नामिनी होगा। नामिनी वह हो सकता है जो वहां पर न रहता हो। तो क्या राय वह दे सकता है तो वहां पर हाउसिंग किस तरह से रेगुलेट होगा ?

दूसरे, सेक्शन ३ में यह एरिया कंट्रोल्ड घोषित किया जायगा। हम सहमत हैं कि कंट्रोल्ड एरिया घोषित कर दें। लेकिन सेक्शन ५ में एक बड़ी मजेदार चीज है। उसके दो साल के बाद कंट्रोलिंग आथारिटी नियुक्त होगी। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जवाब चाहूंगा जब तक कंट्रोलिंग अथारिटी इजाजत न दे तब तक कोई मकान नहीं बना सकता और कंट्रोलिंग अथारिटी नियुक्त होगी दो साल के बाद तो दो साल के अन्दर जो लोग रह रहे हैं वह क्या करेंगे ? जिस दिल्ली ऐक्ट, १९५५ के अन्तर्गत इस ऐक्ट को बनाया जा रहा है उसी को पढ़िये। उसमें पहले कंट्रोलिंग अथारिटी बन जायगी तब कंट्रोल्ड एरिया घोषित होगा, लेकिन इसमें क्या है ? पहले कंट्रोल्ड एरिया घोषित हो जायगा और उसक दो साल के बाद कंट्रोलिंग अथारिटी नियुक्त होगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस ऐक्ट के अनुसार काम हो। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो मैं सुझाव पेश करूंगा कि यह भी साथ-साथ हो। कंट्रोल्ड एरिया घोषित करने के साथ-साथ आप कंट्रोलिंग अथारिटी भी अप्वाइन्ट करें तो इसमें जनता को ज्यादा सहूलियत होगी।

दूसरी बात यह है कि जिस ऐक्ट को आप ला रहे हैं यह पहले बड़े-बड़े शहरों में लागू होना चाहिये। देहात में इसके लागू करने की आवश्यकता नहीं है इसलिये कि ५० साल पहले देहातों में सैटिलमेंट हुआ था। जो पहले वहां पर हालत थी अब वह बदल गई है और अब वहां पर भीड़ हो गई है। वहां पर जितनी जगह थी और आदमियों के पास आराजी थी वह अब उनके लिये कम है। जिसके घर में पहले ५ आदमी थे अब उसके घर में ५० आदमी हो गये हैं। उसको मकान रहने के लिये बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर इस ऐक्ट को ऐसा ही हमने पास कर दिया जैसा कि आप लाये हैं तो वे मकान बना नहीं सकते हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस ऐक्ट को गांवों में लागू न किया जाय। इसलिये हम यह चा ते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि वहां पर हम विचार करें। जिस रूप में सरकार अधिकार लेना चाहती है उस रूप में हम देना नहीं चाहते हैं।

एक चीज इस ऐक्ट में ऐसी है जिस पर हमको आश्चर्य होता है। इसमें कहा गया है कि कोई पक्की सड़क नहीं बना सकता है। अगर कोई अपना पैसा खर्च करके भी बनाना चाहे तब भी वह नहीं बना सकता है। इसमें आपका क्या नुकसान है ? आप कहते हैं कि कच्ची सड़क बना सकता है अगर उस रास्ते से बैल जा सके। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब आप आदमियों के लिये इन्तजाम नहीं कर पा रहे हैं तो बैलों की नौबत कहां से आ गई ? खेतों पर जाने के लिये बैलों का तो आप इन्तजाम करना चाहते हैं, लेकिन आदमियों की कोई क़दर नहीं है। आप बैलों को याद रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं मैं इस बात में जाना नहीं चाहता। मैं नहीं समझता कि इस तरह का विधेयक आज तक यहां आया हो कि जिसमें यह कहा गया हो कि पक्की सड़क नहीं बन सकती है, लेकिन कच्ची सड़क बन सकती है जिस पर बैल जा सके। यह आप विधेयक के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें। मेरा कहना है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। मैं जानता हूं कि जब कभी इधर से सुझाव दिये जाते हैं तो वे बहुत कम माने जाते हैं या बिल्कुल नहीं माने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज जो हम सुझाव पेश क रहे हैं उनको माना जाय। सरकार का सबसे पहला कर्तव्य हाउसिंग के बारे में क्या है इसके बारे में न्यूजीलड की हाउसिंग ऐन्ड टाउन प्लानिंग की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि :

"It is generally accepted that the welfare and happiness of any community are dependent to a considerable degree on the existence of a sufficient number of houses to accommodate the population in health and comfort, hence in New Zealand it is an important part of Government policy to provide dwelling accommodation for the population".

[श्री प्रतापसिंह]

वहां पर नागरिकों को किस तरह से सुविधा दी जाती है यह इसमें बतलाया गया है । उनको सब तरह की फैसिलिटी भी वहां मिलती है । यही नहीं इसके अलावा गवर्नमेंट आफ इंडिया की भी रिपोर्ट है जिसको मैं समय कि कमी की वजह से पढ़ना नहीं चाहता । उसमें भी उन्होंने यह लिखा है कि जिम्मेदार सरकार पहले यह सोचे कि पहले सर्वे कराना जरूरी है । जहां पर इस ऐक्ट को लाग करना हो वहां पर पहले सर्वे कराया जाय । बहुत से लोग ऐसे हैं जो मकानों को किसी दूसरे काम में भी लाते हैं यानी बिजनेस के काम में लाते हैं । बिजनेस भी जरूरी है, लकिन पहले लोगों के रहने के लिये इन्तजाम होना जरूरी है जिस तरह से कि न्यूजिलैंड की यह रिपोर्ट मैं जो पढ़कर सुनाई है । यू० एन० ओ० की कमेटी की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि सरकार को चाहिये कि हाउसिंग के बारे में पहले नान आफिशियल की एक कमेटी बनाये उसकी रिपोर्ट आने के बाद हाउसेज को रेगुलेट किया जाय । इन शब्दों के साथ में सरकार से निवेदन करूंगा कि जो मेरा सेलेक्ट कमेटी का सुझाव है उसको मान लिया जाय । इसलिये नहीं कि मैं एक महज सुझाव के तौर पर कह रहा हूं । मैं इस विधेयक का स्वागत करूंगा उस दिन जिस दिन मेरे ये सुझाव पूर्ण रूप से मान लिये जायेंगे और उस के बाद एक सही विधेयक यहां पर पास हो । इस के लिये जरूरी है कि इसको एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, ताकि हम विस्तार से इस पर विचार कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे सेलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को मानने की कृपा करें ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, यह एक संसदीय परम्परा है और जिस परिपाटी पर हम चल रहे हैं उसमें पार्टी-पद्धति है और यह देखा जाय कि इस विधेयक पर पहले तीन संशोधन--जनमत संग्रह का, संयुक्त प्रवर समिति का और प्रवर समिति का एक ही पार्टी के सदस्यों के हैं । तो इसी तरह से हम अपनी पार्टी के २५ सदस्यों को प्रवर समिति के संशोधन दिला कर बोलने के लिये खड़ा कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--परिधि बढ़ाने की बात को लेकर केवल चार प्रकार के संशोधन हो सकते हैं ।

श्री राजनारायण--तो चार ही को लेकर इस सामान्य विवाद को दो, तीन दिन तक चलाया जा सकता है और दूसरी पार्टी के लोगों को मौका नहीं मिल सकता । तो आप देखें कि अगर इस तरह से चलेगा और हम आंख बन्द करके प्रवर समिति का संशोधन दे दिया करें तो पार्टी सिस्टम के माने क्या ? पार्टी सिस्टम में तो यह बात निहित है कि पार्टी के लोग बैठ कर सोच लें और जो संशोधन आने हैं उन पर विचार-विमर्श हो जाय, वरना एक ही पार्टी को अगर संशोधन देना है तो तीन जगह और तीन तरह की वोटिंग हो सकती है । इसलिये मैं चाहूंगा कि भविष्य में कैसे चलेगा इस पर आप अपनी कोई व्यवथा दें ।

श्री अध्यक्ष--मैं व्यवस्था तो नहीं दूंगा, लेकिन आपका जो यह कहना है कि इसके औचित्य के सम्बन्ध में अवश्य कह सकता हूं । उसका जिक्र कर सकता हूं । यह बात सही है कि एक ही पार्टी के तीन तरह के संशोधन देने से, मैं समझता हूं कि, दूसरों के जो संशोधन देने के अधिकार हैं उनका कुछ हनन सा होता है । इसलिये जो संशोधन कोई पार्टी वैध और उचित समझती हो उसे चाहिये कि वही उपस्थित करे । लेकिन मैं किसी व्यक्ति को संशोधन भेजने से रोक नहीं सकता हूं क्योंकि मैं जो यहां बोलने की या संशोधन उपस्थित करने की इजाजत देता हूं तो वह किसी पार्टी को नहीं वरन् व्यक्ति को देता हूं, जो कि सदन का सदस्य है । इसलिये मैं कोई निर्णय नहीं देता, लेकिन मैं समझता हूं कि जो राजनारायण जी ने बात कही है, यह उचित है, क्योंकि जहां पार्टी सिस्टम मौजूद है वहां पार्टियों को एक दूसरे की सहूलियत देखकर कार्य करना चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह--इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि राजनारायण जी ने एक बार कहा था कि हमारी पार्टी एलर्टनेस जाहिर करती है। यह हमारी पार्टी की एलर्टनेस है।

श्री राजनारायण--हमारी पार्टी का हमेशा एक संशोधन रहा है। यह गलत बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--अगर इस बात का भविष्य में खयाल रहे तो उचित होगा। इस के लिये कोई व्यवस्था नहीं होगी। मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो उचित बात हो इसे हर एक पार्टी के नेता अपनी पार्टी को हिदायत देकर अमल में लावेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो सदन को अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर दे दे।

श्रीमन्, जहां तक विधेयक की मंशा का सवाल है वह अच्छा है। सभी चाहेंगे कि सुनियोजित ढंग से हमारे गांव व शहर बसें। लेकिन विधेयक को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसमें बहुत ही कमजोर कल्पना और अतिव्याप्त तथा अव्याप्त उद्देश्यों से यह विधेयक परिपूर्ण है।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--प्वाइंट आफ आर्डर सर। श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि जहां तक माननीय राजनारायण जी कहते हैं मैं उससे कतई सहमत हूं, लेकिन रामस्वरूप जी जो संशोधन उपस्थित कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में इसी विधान सभा में उसी स्थान से यह रूलिंग्ज हुई हैं और ऐसे अमेंडमेंट्स को पेश करने की इजाजत नहीं दी गई है। वे बोल सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट मूव नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष--यह कहां निर्णय हुआ है ?

श्री अवधेशप्रतापसिंह--यह नियम का पालन किया गया है।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। अगर किसी ने प्रवर समिति का संशोधन रखा है उसमें किसी ने २५ रोज का, किसी ने १५ रोज का और किसी ने ३० रोज का कि इतने दिनों के अन्दर उसकी रिपोर्ट आ जाय तो इस तरह के संशोधनों के प्रकार तो सैकड़ों हो सकते हैं। उसके लिये मैं इजाजत नहीं देता। उसके लिये मैंने यह कहा कि अगर प्रवर समिति को भेजने का संशोधन स्वीकृत हो जाय तो उसको कितने रोज के लिये भेजा जाय, उसके लिये एक संशोधन बाद में पेश हो सकता है और बाद में आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन जहां तक परिधि बढ़ाने का कोई संशोधन होगा तो वह तो मूल संशोधन ही कहलायेगा और मौलिक भी होगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--श्रीमन्, मैं इसी केस के लिये नहीं कह रहा हूं। आइन्दा भी एक संशोधन संयुक्त प्रवर समिति का आ सकता है और उसमें उसके बाद कहा जायगा कि उसको परिधि बढ़ाने का अधिकार दिया जाय। तो आप आइन्दा जो भी नियम स्थापित करेंगे उसमें आप की ही कठिनाई बढ़ेगी। इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--अमेंडमेंट मूव कर सकते हैं। इसके लिये मैं कह सकता हूं कि प्रताप-सिंह जी के अमेंडमेंट में अमेंडमेंट की तरह से पेश कर दें। यह भी एक तरीका हो सकता है। यह दूसरी बात है लेकिन इसका अमेंडमेंट तो आयेगा। ऐसे ही संयुक्त प्रवर समिति में भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

परिधि बढ़ाने का अमेंडमेंट आ सकता है । इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है । तो इस तरह चार प्रकार हो जायंगे और एक जनमत के लिये घुमाने का, यानी पांच से अधिक प्रकार नहीं हो सकते ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, मेरे साथी को कुछ भ्रम हो गया था । यह तो बहुत मौलिक संशोधन है ।

तो मैं कह रहा था कि यह विधेयक साधारण कल्पना तथा अतिव्याप्त और अव्याप्त उद्देश्यों से परिपूर्ण है, क्योंकि इसकी प्रस्तावना में प्रारम्भ में ही दिया गया है कि अनियोजित विकास को रोकने के लिये है । तो अनियोजित विकास को रोकने का ही काम सरकार का है या कि विकास करने का भी । हमारा इसमें स्पष्ट मत है कि यह विधेयक सरकार सिर्फ अपने हाथ में ताकत लेने और उसका दुरुपयोग करने के लिये ला रही है । इसका कोई ऐसा मंशा नहीं है कि जिससे गांवों और शहरों का निर्माण हो सके । अनियोजित निर्माण को रोकने के साथ साथ मंत्री जी ने इसमें यह क्यों नहीं रखा कि सुनियोजित निर्माण होगा, क्योंकि अनियोजित निर्माणों को रोकने के बाद यह कल्पना नहीं की जा सकती कि सुनियोजित निर्माण हो जायगा । यह दिन के बाद रात की तरह का रिलेटिव टर्म नहीं है । सापेक्ष नहीं निरपेक्ष है । इसलिये इस संबंध में जरूरी है कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाय और उसके साथ-साथ उसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार दिया जाय । और भी बहुत सी बातें परिधि बढ़ाने के संबंध में हैं । इस विधेयक में सरकार की ओर से कोई ऐसी स्वस्थ कल्पना नहीं दिखाई पड़ी जिससे मालूम होता हो कि उसके पास कुछ नक्शा है जिससे प्रदेश के गांवों और नगरों को अच्छे ढंग से बनाया जाय । इसमें ग्राम्य शब्द आया है और हमारे सूबे में एक लाख गांव हैं । क्या सरकार के पास आज तक कोई ऐसी कल्पना है जिसके आधार पर वह इस सदन को अवगत करा सके कि उसके पास यह नक्शा है और उसके अनुसार गांव बनाये जावें ? ऐसी एक भी कल्पना सरकार के पास नहीं है ।

श्रीमन्, मैं आपके समक्ष लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की सन् १९५६-५७ की रिपोर्ट में से निवेदन करना चाहता हूं । हमको अंग्रेजी की ही मिल सकी है, इसलिये हम उसमें से पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन उसका आशय यह है कि गांव और नगरों के नियोजन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है । सन् १९५६-५७ के अक्तूबर तक एक भी कार्यवाही ऐसी नहीं है जो गांव के संबंध में हो । सरकार ने सन् १९५०-५२ के करीब एक कमेटी बनाई इंजीनीयर्स की कि वह यह बतलावें कि कैसे अच्छे और सस्ते मकान बनाये जावें और किस तरह से गांव और नगर बसाये जावें, ताकि सरकार उस पर बिचार करे, लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक बतलाना चाहता हूं कि आज तक उस कमेटी ने एक भी नक्शा ऐसा तैयार नहीं किया है या पेश नहीं किया है जिसके अनुसार यह सरकार कह सके कि हमारे गांव इस तरह से बसने चाहिये । फिर कैसे समझा जाय कि सरकार का यह मंशा सही है कि वह गांव के अनियोजित विकास को रोकना चाहती है ? इसमें कोई तथ्य प्रतीत नहीं होता है । इससे साफ मालूम होता है कि सरकार केवल अधिकार लेना चाहती है कि बाद में वह जैसे चाहे उसे इस्तेमाल करे ।

श्रीमन्, इसमें लिखा है "यह इष्टकर है नागर एवं ग्राम्य क्षेत्रों के अनियोजित विकास को रोकने के उद्देश्य से" । पहला हमारा इस संबंध में कहना यह है कि इस बिल के द्वारा सरकार अपने हाथ में वह अधिकार प्राप्त करना चाहती है जिसे वह अपनी पार्टी के हित के लिये या विशेष अवसरों पर अपने स्वार्थों के लिये खास तौर से इस्तेमाल कर सके और जनता को परेशान कर सके ।

दूसरी बात हमें यह कहनी है कि सुनियोजित योजना जब सरकार बनायेगी तो एक मोटी सी बात है कि सरकार का मंशा इस बिल में सिर्फ अधिकार लेने का है, कर्त्तव्य का नहीं है । सिवाय दण्ड विधि संग्रह या निर्माण के कोई भी बिल ऐसा नहीं होता, जिसमें सरकार

के कर्त्तव्य और अधिकारों का समन्वय न होता हो । इस विधेयक में एक भी कर्त्तव्य की बात नहीं लिखी गई है । कैसे गांव का नियोजन होगा ? क्या सरकार गांव में मकान बनाने के लिये ईंटों के लिये कोयला देगी, क्योंकि हमारे प्रदेश में काफी लकड़ी नहीं है ? जरूरी है कि कोयला ऐश मिलनी चाहिए । परन्तु दुख की बात है कि आज तक इस सरकार ने कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं किया कि देहात के लोगों को वह राखी, कोयले की, निश्चित मूल्य पर मिल सके । स्वायत्त शासन मंत्री जी बैठे हुये हैं, वह बतला दें । ईंट पाथने वालों के लिये कोयले का कोई इन्तजाम नहीं है और उस पर तुर्रा यह कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाईलाज पास कर रखे हैं कि जिला बोर्ड भट्ठे के लाइसेंस पर कर लगा सकते हैं । इस नियम का इस्तेमाल आज-कल तमाम जिला बोर्ड कर रही है । कहीं कोई गरीब आदमी अपने परिश्रम से २, ४ ईंटे फूस इत्यादि से पका भी ले तो भी सरकार का वह नियम लागू हो जाता है । सरकार का नियोजन का मंशा इस बिल से स्पष्ट नहीं होता है । एक तरफ तो वह विकास की बात करती है और दूसरी ओर स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत ही जिला बोर्ड की ओर से भट्ठा लगाने पर लाइसेंस है कि कोई २ हजार ईंटें पकावे तो ५ रुपया फीस दो, २५ हजार से ज्यादा पकावे तो ४ आना सैकड़ा और दो । अजीब बात है । गरीब आदमी पहले अपनी हिफाजत कर सकता था अगर इस तरह के बोझल टैक्स डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने नहीं लादे होते । यही नहीं कि वे यहीं रुक जावे । एक गांव की जिसकी आबादी एक हजार होगी वहां ४०,४५ आदमियों की फर्जी नोटिस देकर कि तुमने भट्ठा लगाया है पैसा वसूल किया जाता है । गांव का आदमी समझता नहीं है कि यह कानून कैसे आ गया । उस पर मुकद्दमा चला दिया जाता है और वहां जुर्माना हो जाता है, नहीं तो आम तौर से २५, ३० रुपये खर्चे के वसूल कर लेते हैं । इस तरह से यह जरिया जिला बोर्डों ने आमदनी का बना रखा है । यह जनहित के कामों को रोकना है ।

श्री अध्यक्ष—जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका है उसका जिक्र आप कर रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—कानपुर के जिला परिषद् में हमने पूछा और उन्होंने कहा कि लाइसेंस हम समाप्त नहीं करना चाहते हैं । इसलिये मैं कह रहा हूं कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम सुनियोजित विकास करना चाहते हैं और दूसरी ओर जिस चीज के लिये प्राथमिकता आवश्यक है, यानी ईंट, उस पर टैक्स लगाती है । हाई कोर्ट की ३, ४ रूलिंग्स की मिसाल मैं दे सकता हूं जहां हाई कोर्ट ने अवैध ठहराया है कि भट्ठा लाइसेंस न लगाया जाय, लेकिन क्या बताऊं ? ऐसी निर्लज्ज है कि सरकार उसे खत्म ही नहीं करता है . . . .

श्री अध्यक्ष—आप सवा दो बजे अपना भाषण जारी रखेंगे ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८

सहायक सचिव, विधान सभा—मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २३७–२३९ पर)

जौनसार बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८

सहायक सचिव, विधान सभा—मैं १९५८ ई० का जौनसार बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २४०–२४१ पर)

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार के काम नियोजित कल्पना को लेकर नहीं हुए हैं। इसी संबंध में मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्री जी ने गांवों के निर्माण के बारे में इस बिल में कोई नियोजित व्यवस्था नहीं रखी है। मैंने यह भी निवेदन किया था कि भट्ठों के लाइसेंस जैसे गंदे कानून को लागू करके जनता पर जो बोझा लाद दिया गया है, वह अवैध है। आपके द्वारा मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया कि वह बहुत ही अनुचित है। वह इसलिये भी अनुचित है कि जब सरकार किसी चीज पर टैक्स लगाये तो उसको यह भी चाहिये कि उसके लिये कुछ सुविधाएं भी प्रदान करे। एक ओर तो सरकार गांवों के पुनर्निर्माण की बात कहती है लेकिन उस पुनर्निर्माण के जो साधन हैं उन पर दूसरी ओर, प्रतिबंध लगाती है। फिर यह कैसे समझा जाय कि वह निर्माण करना चाहती है? भट्ठों पर टैक्स तो लगाया गया, लेकिन भट्ठों को कोई सुविधा न तो मिट्टी के लिये स्थान की दी जाती है और न पाथने वालों की दी जाती है। लोग अपने खेतों से ही मिट्टी लेकर ईंटे पाथते हैं और बिना एक्सपर्ट पाथने वालों के ही काम करते हैं। इन दोनों सुविधाओं के अभाव में भी सरकार कानून बना कर उनसे टैक्स वसूल करती है।

यह चीज सार्वजनिक हितों के खिलाफ है। जबसे भट्ठों पर टैक्स लगाया गया है निर्माण का कार्य बहुत हद तक रुक गया है और इस निर्माण-कार्य के रुकने की जिम्मेदारी सरकार पर है। इस टैक्स के बोझ से लोग गरीबी में कराह रहे हैं।

पक्के मकानों को जब सरकार देखती है तो उसकी ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि उनकी हैसियत बढ़ गयी। अगर किसी ने १००, ५०० या २,००० ईंटें लगा भी लीं तो क्या उसकी हैसियत बढ़ गयी। यह बड़ी विडम्बना है कि गगनचुम्बी अट्टालिकाओं पर उसी अनुपात से टैक्स नहीं बढ़ाया जाता। कच्चे मकानों की मरम्मत में हर साल बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और अब आम-तौर पर लोगों का यह विचार होता जा रहा है कि दुबारा बरसात में घुल जाने वाली और खराब हो जाने वाली दीवार के बजाय यदि एक बार पक्की दीवार बना दी जाय तो उससे खर्चा भी बच जायगा जो हर साल होता है और समय का सदुपयोग हो सकेगा। और भविष्य में समय भी कम लगता है। इसलिये सरकार को बदमगजी न हो जाय कि चूंकि ईंट लगाने से उनकी हैसियत बढ़ जाती है, इसलिये उन पर टैक्स लगाया जाय। मैं समझता हूं कि सरकार की समझ में जो इस तरह की बात भरी है उसको वह दुरुस्त कर ले और उस अन्धकार से अपने को विमुक्त कर ले। इसमें हैसियत बढ़ने का कोई सवाल नहीं है, बल्कि इसमें दो प्रकार की बातें हैं, एक तो यह कि थोड़े परिश्रम से ईंटे लगा कर मकान पक्का बन जाय और दूसरा यह कि जो काम कृषि के या दूसरे उद्योग-धंधे हैं, उनमें लगा जाय।

अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह कह रहा था कि सरकार को जब यह बिल लाना था तो पहले एक परिकल्पना कर लेनी थी कि हम गांवों को कैसे बना सकते हैं। इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है। बिल की धारा १८ (ख) में यह लिखा है कि गांवों में तो यह कानून लागू होगा ही नहीं, यानी जो माल विभाग के अभिलेख में वर्णित आबादी है उस आबादी पर यह विधेयक लागू नहीं होगा, उसके लिये यह एक अपवाद है। मैं इसकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर सरकार का ध्यान इन गांवों की दुर्दशा की ओर रहा होता और साथ ही साथ गावों की जिन्दगी जो आज बदतर से बदतर होती जा रही है उसकी ओर ध्यान होता तो इस प्रकार के अपवाद की कोई आवश्यकता नहीं थी कि हम अपने गांवों को क्यों न बनावें, हम अपने गावों की सड़कों को क्यों न बनवायें? आज हालत गावों की यह है कि एक आदमी का मकान एक जगह है तो उससे एक फर्लांग दूर उसकी पशुशाला है और उस मकान से दो फर्लांग दूर खेती के सामान रखने की जगह है, अगर कहीं दो भाई हैं, तो एक भाई के पास इतनी कम जगह है कि वह उस मकान में रह नहीं सकता। साथ ही साथ जब हम गांवों की गन्दी हरिजन बस्तियों की ओर देखते हैं जो आज भी हमारे लिये

कलंक हैं, उसी गांव में तो गगनचुम्बी अट्टालिकाएं हैं जिनमें बहुत से माननीय सदस्यों की भी होंगी और उनके बगल में ही हरिजनों की गन्दी झोपड़ियां हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जो योजना है, जो पंचवर्षीय योजना का ढिंढोरा पीटा जाता है, उससे यही हो रहा है कि एक तरफ तो अमीरी बढ़ती है और दूसरी ओर गरीबी का विस्तार होता जाता है। अगर इस प्रकार की योजना सरकार के सामने होती और जो कमेटी इंजीनियरों की ६, ७ साल से बैठी हुई है और साथ ही साथ इस सरकार की भी दृष्टि इस बिल के ऊपर होती तो इस बिल में इस प्रकार का अपवाद नहीं रखा गया होता।

साथ ही साथ मैं आपके द्वारा बहुत मोटी-सी बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री महोदय यह उत्तर में कह दिया करते हैं कि मुश्किल तो इस बात की है कि हमें तमाम देश को बनाना है, लेकिन हमारे पास जो आर्थिक साधन हैं वे बहुत कम हैं। मैं इस संबंध में कोई शंका नहीं रहने देना चाहता हूं कि सरकार ने जो पैसे की बात कही वह बिलकुल बेबुनियाद है क्योंकि भारतवर्ष में आज ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं जिनके जरिये यह मुल्क बहुत आगे बढ़ सकता है। इसके लिये एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। यह सर्वविदित बात है कि गांवों से जो परिचित हैं वे इस बात को जानते हैं और अधिष्ठात्री महोदया, आपको भी शायद इसका पता होगा कि हमारे गांवों में ९५ फी सदी मातायें और बहनें घर के बाहर टट्टी करने लिये जाती हैं। जब गांव के लोगों का आवागमन होता है तो उनको अपनी लज्जा बचाने के लिये बार-बार उठना पड़ता है और अपने उस वेग को रोकना पड़ता है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि उस वेग को रोकने का परिणाम क्या हो सकता है। उसका निश्चित रूप से परिणाम यह होता है कि ऐसे-ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे हमारी मातायें और बहनें बीमार हो जाती हैं, और मरने की संख्या इसलिये उनकी ज्यादा है। इस ओर हमारे मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। १०–१२ वर्ष इस सरकार को हो गये। १२ साल के अन्दर उस तरफ जिससे हमारी माता-बहिनों को दुख हो, हमारे देश का स्वास्थ्य बिगड़े और भावी संतान पर असर पड़े और पारिवारिक झगड़े बढ़ें उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया। यह कहा जा सकता है कि इतने पाखाने कौन बनवायेगा? इस बिल में एक योजना के अनुसार व्यवस्था की जा सकती थी जिसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब तक इस विधेयक की परिधि नहीं बढ़ेगी तक तक यह विधेयक किसी काम का नहीं है, रद्दी की टोकरी के काबिल है।

मान्यवर, इस दुख-दर्द को दूर करने के लिये माननीय मंत्री जी ने अगर कुछ व्यवस्था की होती तो यह प्रतीत होता कि मंत्री जी ने चाहे एक संयोजित गांव की कल्पना न की हो, लेकिन जो दुख-दर्द गांव में व्याप्त है उसकी छाया तो कम से कम इस बिल में मौजूद है। हमारे सूबे में १ लाख गांव हैं और उनमें ७२ हजार से कुछ ज्यादा पंचायतें हैं। अगर ५० पाखाने एक गांव में हों और एक गांव की आबादी ५०० की मान लें तो कुल मिला कर हमको ५० लाख पाखाने बनाने होंगे, क्योंकि ५ करोड़ के करीब आदमी गांवों में निवास करते हैं। एक सवाल बख्शी के तालाब पर वाटरसील लेट्रिन्स के सिलसिले में किया गया था, लेकिन जो उत्तर सुना उससे बहुत निराशा हुई। जो वाटरसील लेट्रिन्स हैं वे प्रयोगावस्था में हैं या प्रयोगावस्था को पार कर सफल हो चुकी हैं इसका कुछ पता नहीं। आदेश जाने के संबंध में बतलाया गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि और अधिक वाटरसील लेट्रिन्स बनी या नहीं बनी और उनका कार्यक्रम कैसे चल रहा है खैर, यह अलग बात है। उनका कार्यक्रम चल रहा है और मैं समझता हूं वह चलना चाहिये।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरफ तमाम देश के इंजीनियर्स का दिमाग जाना चाहिये कि गांव के लोगों के लिये पाखानों की व्यवस्था हो जिसमें बैठ कर वे सुविधापूर्वक पाखाना कर सकें और बार-बार उठने का सवाल न उठे और जो मल निकले उसका सदुपयोग हमारे देश के लिये हो सके, स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं, देश की तरक्की और अन्न उत्पादन की दृष्टि से भी यह परमावश्यक है कि यह काम शीघ्र हो।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

एक पाखाने की कीमत अगर ५० रुपये पड़ती है तो ५० लाख पाखानों की कीमत २५ करोड़ रुपये पड़ेगी। ५ वर्ष में इन २५ करोड़ रुपयों को वितरित किया जा सकता है यानी ५ करोड़ रुपये एक साल में। सवाल यह हो सकता है कि सरकार २५ करोड़ रुपये लायेगी कहां से? हमारा कहना है कि यह जो प्लान है उसी में यह योजना रखी जाती। लेकिन प्लान में तो कहीं जरा सा धक्का लगा नहीं कि गुस्सा आ जाता है। व्यक्तिगत दृष्टि से तो यह प्लान तैयार किया गया है। ५ साल में चन्द आदमी अमीर हो जाते हैं जहां ७०-८० लाख आदमी पहले से गरीब होते हैं वहां १०-२० लाख आदमी और गरीबी के दलदल में फंस जाते हैं और चन्द आदमी अमीर हो पाते हैं। यह तो अनियोजित योजना है। मेरी योजना के अनुसार अगर पाखानों का इन्तजाम किया जाता तो गांव की सफाई तो होती ही साथ ही साथ मुनाफा भी होता। मैंने बतलाया था चीन के डेलीगेशन की रिपोर्ट के अनुसार कि एक साल में एक आदमी का इतना मल होता है जितना कि १ मन अमोनियम सल्फेट से जमीन को नाइट्रोजन मिलता है। ५ करोड़ जनता देहातों में रहती है, अगर २० प्रतिशत का हिसाब छोड़ दें ८० प्रतिशत ही उन पाखानों में जा सकें, २० प्रतिशत नियंत्रित न हो सके, तो भी ८० प्रतिशत से ही ४ करोड़ आदमी होते हैं और ४ करोड़ आदमियों में ४० आदमियों पर १ टन अमोनियम सल्फेट मान लिया जाय, क्योंकि उसमें बच्चे भी होंगे, तो इस हिसाब से भी साढ़े दस लाख टन अमोनियम सल्फेट तैयार होता है। अब इस १० लाख टन अमोनियम सल्फेट का मूल्य लगभग साढ़े तैंतीस या ३५ करोड़ के पड़ता है। यह ३५ करोड़ की आमदनी अमोनियम सल्फेट से हुई। यह इतना अमोनियम सल्फेट सिर्फ उत्तर प्रदेश में होगा जबकि सारे भारत में इसका कितना उत्पादन है मुझे ठीक याद नहीं, लेकिन मेरा अनुमान है कि पन्द्रह-सोलह करोड़ से ऊपर की अमोनियम सल्फेट हिन्दुस्तान में नहीं बन पाती। तो ३५ करोड़ का अमोनियम सल्फेट बना और २५ करोड़ में कुल प्रदेश में पाखाने बन सकते ह। १० करोड़ का इसमें मुनाफा भी है, लेकिन सरकार इस योजना को कभी अपने ध्यान में नहीं लायी। इसके साथ-साथ अगर दो-दो आदमी फी गांव सरकार इस बात के लिये रख दे, इनकी सफाई करने के लिये और साथ-साथ खर-पतवार और नाबदानों आदि की सफाई के लिये तो दो लाख आदमी होते हैं। दो लाख आदमियों को रखने में सरकार को १२ करोड़ रुपया देना पड़ता है जिसमें से १० करोड़ रुपया तो उसमें से बचता है और २ करोड़ रुपया अगर सरकार प्लानिंग से दे दे तो इतने आदमियों को देहात में काम मिल जाय। और फिर यह तो मनुष्य के मल से बनने वाले अमोनियम सल्फेट का हिसाब लगाया गया। उसके साथ-साथ वह जो कम्पोस्ट बनेगा खर-पतवार और कूड़ा-करकट से उसका अनुमान लगाना तो बाकी ही है।

एक सदस्य--व्यवस्था का प्रश्न है। यह किस विषय पर बोल रहे हैं। यहां पर अमोनियम सल्फेट वगैरह को कैसे इसमें फिट कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप वर्मा--मैं बता रहा हूं गांव की प्लानिंग के बारे में।

श्री अधिष्ठाता--आप माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री रामस्वरूप वर्मा--तो मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार जो खर-पतवार और कूड़ा-करकट इकट्ठा होता है, उसकी सफाई भी होती, गलियां भी साफ रहतीं और पाखाने का भी इस्तेमाल होता या और जो साधन हैं उनका इस्तेमाल होता। इस तरह से मेरा अनुमान है कि ५० करोड़ रुपये से कम की खाद न बनती और उस खाद से हमारी कृषि की उपज दूनी के करीब हो जाती, क्योंकि चाइना का उदाहरण हमारे सामने है। वहां ६७ परसेंट जमीन को मनुष्य के मल से बनने वाली खाद दी जाती है और वहीं की पैदावार यहां से दुगुनी है। तो यह एक योजना मैं उदाहरण के लिये रख रहा हूं कि अगर ऐसी परिकल्पना कोई गांवों के बनाने के बारे में मंत्री जी के पास रही होती तो इस बिल में कहीं न कहीं उसका जरूर समावेश होता, लेकिन समावेश तो दूर रहा एक अपवाद कर दिया कि गांवों पर यह बिल लागू न होगा।

मैं तो यह कहता हूं कि यह बिल कहीं लागू नहीं होना चाहिये, क्योंकि इस बिल में है क्या ? सिर्फ यह कि सरकार के हाथ में जहां पहले से ही सारी ताकत मौजूद है और ताकत दे दो कि जिसका चाहें मकान गिरा दें, जहां चाहे मकान बना ले, किसी को साल छः महीने तक मकान बनाने का हुक्म ही न दे। तो इस रूप में तो इस बिल को पास ही नहीं होना चाहिये, क्योंकि तमाम पाबन्दियां लगाने के अलावा सरकार के एक भी कर्त्तव्य की परिभाषा इसमें मौजूद नहीं है। एक भी सरकार के कर्त्तव्य का वर्णन इसमें नहीं है। ऐसा बिल जो सरकार के हाथ में सारी शक्ति देता हो उसको पास करके क्यों हम अपने जन-जीवन को खतरे में डालें अगर इसमें परिवर्द्धन होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिये इसमें परिवर्द्धन आवश्यक है।

अब देखा जाय कि यह इस के खंड (१) में लिखा है कि इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। प्रसार तो समस्त उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन खंड ६ में लिखा हुआ है कि विनियमित क्षेत्र जो होगा उसको सरकार विज्ञप्ति द्वारा प्रसारित करेगी कि कौन-सा क्षेत्र ले लिया गया है जहां यह कानून लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश भर के लिये कोई कल्पना लेकर आये थे तो उत्तर प्रदेश भर पर लागू होना चाहिये था। क्यों नहीं गांव सभाओं को अधिकार दिया गया है या कोई ऐसी व्यवस्था की गई कि गांवों के मकान जो बन रहे हैं वह सुनियोजित ढंग से बनें, अगर कुछ मकान ऐसे बन रहे हैं जो अनियोजित ढंग से गांवों की जिन्दगी को दूभर किये हुये हैं उन तमाम चीजों को अगर आज बन्द करना था और मंत्री जी चाहते थे कि प्रदेश के गांवों का जीवन और नागरिक जीवन को सुनियोजित करें तो निश्चित रूप से इसको लागू करने के लिये तमाम प्रदेश था। यह प्रदेश भर में लागू तो होगा, लेकिन मंत्री जी जब कहेंगे तब लागू होगा और जहां चाहेंगे वहां लागू होगा। मुझे भय है कि कहीं ऐसे कोई क्षेत्र में न लागू कर दिया जाय जो किसी विरोधी सदस्य का रहा हो और वहां के लोग परेशान रहें। आप यह क्यों नहीं योजना बनाते कि तमाम गांव सभाओं को इसका अधिकार दे दिया जाय ?

मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार के पास प्लान मौजूद न हो तो सोशलिस्ट पार्टी के पास प्लान मौजूद है और आज से नहीं १९४९-५० में ही बना दिया गया था कि प्रदेश और देश के गांव कैसे बसें ? अगर उसको वह लेना चाहें तो लेकर गांव सभाओं के सभापतियों को अधिकार दे दें कि वे उस प्लान के अनुसार गांवों को सुनियोजित ढंग से बसायें। एक तरफ तो ग्राम जीवन को सुनियोजित विकास के लिये बिल में दिया हुआ है कि ग्राम्य क्षेत्र के अनियोजित विकास को रोकने के लिये और दूसरी तरफ कह देते हैं कि गांवों की आबादी जो नक्शे में इंदराज है उस पर कोई कार्यवाही होगी नहीं। वह तो अपवादस्वरूप है। फिर यह कहां कानून लागू होगा ? तो जरा इसको भी ध्यान से समझें और ऐसे विरोधों को दूर करें।

आगे इसमें प्रख्यापन की बात कही गई है कि क्षेत्र का प्रख्यापन सरकार करेगी कि कितने क्षेत्र में यह लागू हो। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रख्यापन की जरूरत क्या थी ? अगर आप प्रदेश में सुनियोजित नगर तथा गांव चाहते हैं तो आपको यह सोचना चाहिये था कि यह कानून किन संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा लागू हो और इसको कैसे चलायें। आप देखें खंड ४ के उपखंड (२) (क) में यह है:

"स्थानीय निकायों का कमिश्नर अथवा उस डिवीजन का कमिश्नर जिस में विनियमित क्षेत्र स्थित हो, अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी जिसका पद सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के पद से निम्न न हो" क्यों ? कमिश्नर ही होना चाहिये, उससे कम नहीं, क्योंकि आमतौर से जो कमिश्नरी बनायी गई हैं यह रहन-सहन और भाषा की दृष्टि से बनायी गई हैं, क्योंकि किसी प्लान के बनाने के लिये पहले कल्पना की जरूरत होती है, बिना कल्पना के कोई योजना नहीं बनती। अगर आप एस० डी० एम० को रखेंगे तो वह कैसे सुनियोजित कल्पना दे सकेगा ? जो प्लान बनाया जाता है उसको ऐग्जीक्यूट करने के लिये कल्पना की जरूरत होती है। हां, अगर किसी का इन्साफ करना है तो उसको निपटाने के लिये किसी मैजिस्ट्रेट की सहायता ले सकते थे, लेकिन जब कोई प्लान बनाये तो उसको ऐग्जीक्यूट करने के लिये कल्पना की जरूरत होती है, तो कोई ऐसा आदमी होना चाहिये

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

जो भौगोलिक स्थिति को किसी क्षेत्र की देख कर योजना बनाये । उसके लिये कमिश्नर ही उपयुक्त अधिकारी है । हां, ऐसी कमेटी में सरकारी आदमी रहना चाहिये, क्योंकि बहुत-सी बातें ऐसी हुआ करती हैं जिनका सम्बन्ध सरकार से होता है । और जब सरकार नियंत्रित करेगी और विकास करेगी तो उस के अधिकारी का रहना आवश्यक है, लेकिन वह कम से कम ऐसे पद का हो, कोई खास क्षेत्र हो, जिस की भौगोलिक सीमाओं को ध्यान में रखकर किसी प्रकार की वह एक निश्चित योजना दे सके । दूसरे यह कि राज्य सरकार द्वारा ४ नामांकित जिन में से एक उत्तर प्रदेश सरकार का टाउन प्लानर अथवा उस का नामांकिती होगा ।

कहां तक कहा जाय, इस सदन के सदस्यों ने हमेशा इस चीज का विरोध किया कि यह नामांकिती रखने की प्रथा न अपनाई जाय । यह जनतंत्र पर एक कलंक है इस को हटाया जाय, हर जगह उन को रखा जाता है । क्या सरकार को चुने हुये आदमी नहीं मिलते ? पता नहीं क्यों सरकार का चुने हुये आदमियों पर से विश्वास हट गया है, उन लोगों पर से उस का विश्वास हट गया है जिन के बल पर स्वराज्य पाया और जनता को शिक्षित किया, जिन में देशभक्ति की भावना थी और जो उन्हीं चीजों को लेकर जेल गये थे उन पर से सरकार विश्वास हटाती है तो दुख होता है । उस का विश्वास तो नामांकितो पर ही होता है । इस के एक अर्थ तो यह होते है कि सरकार चाहती है कि जो कमेटी भी बने उस पर सरकार ही पूरा रूल करे और उसकी सर्वेसर्वा बनी रहे । इसके अर्थ हैं कि लौट फिर के ताकत सरकार के हाथ में आ जाय । सरकार नियोजन नहीं चाहती है वह तो चाहती है कि उस का ही नियंत्रण अबाध गति से रहे, क्योंकि ऐसी कमेटी बनी और उसमें ऐसे चुने हुये आदमी आ गये जिन पर सरकार का विश्वास न हो तो वह नियंत्रण कुछ नहीं हुआ और इसलिये सरकार नामांकिती की व्यवस्था करती है ।

दूसरी बात यह हो सकती है कि चुने हुये आदमी ठीक काम न करें और सरकार शायद ऐसे आदमी खोज निकाले जो उनसे अच्छा काम करें । इसके अलावा और कोई तीसरी बात नहीं हो सकती । पहले ३ का प्राविजन था अब ४ का है जिन को सरकार नामांकित करेगी । मैं जानता हूं कि इस का औचित्य है, लेकिन चुने हुये आदमियों को मौका न देना ऐसी सरकार के लिये लज्जा की बात है जो जनतंत्र पर विश्वास करती है । इसलिये मेरा तो निश्चित मत और सुझाव है कि किसी हालत में भी चुने हुये आदमियों के अलावा और कोई आदमी न रखे जायं । लिहाजा आफिसर की तरह कुछ संख्या कम कर के सरकार अपने आदमी रख सकती है जो कानूनी अड़चनों को देखते रहें और उस को कार्यान्वित करने के अंग को भी देखते रहें । वह ऐसे पद का अधिकारी होना चाहिये जो एस० डी० ओज० वगैरह पर अधिकार रख सके ।

आगे देखा जाय कि अगर कोई दरख्वास्त देगा और उस पर यह फैसला होगा कि निर्माण नहीं कर सकते तो उसको लिखना चाहिये कि किन कारणों से उसकी दरख्वास्त नामंजूर की जाती है, कौन-सी गड़बड़ी है । कौन-सी ऐसी स्कीम है या कोई त्रुटि है जिसके कारण से उसकी दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाती, यह तो बताना चाहिये । खंड ७ के उपखंड (३) में लिखा है कि:

"यदि धारा ५ में उल्लिखित आदेशों के प्रचारित होने के पश्चात् अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी जाती है, तो पूर्वोक्त आदेशों के प्रकाशन अथवा ऐसे प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति, इन में से जो भी पश्चात् हो, के ९० दिन के भीतर ऐसे अस्वीकरण के आधार, ऐसी रीति से जो नियत की जाय प्रार्थी को संदिष्ट किये जायेंगे ।" ९० दिन के बाद यह लिखकर भेजते हैं कि इसलिये अस्वीकार कर दी गई आपकी दरख्वास्त, उसकी वजह यह है । अफसोस यह है कि वही गड़बड़ी है कि अनियोजित मामला है, दिमाग में कोई नक्शा नहीं है, पावर बराबर लेते जा रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता है, बंदूक और तलवार चलाना जानते नहीं हैं, लेकिन दोनों को मांगते हैं । जब कोई अधिकारी किसी अनुज्ञा को नहीं देगा तो जो वजह हो वह क्यों

न उसी दरख्वास्त में लिख दी जाय। ९० दिन के बाद क्यों यह लिखकर भेजा जाय कि फलां फलां कारणों से अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह किस मस्तिष्क से स्वीकार की जा सकती है? अगर किसी शख्स ने अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करना छोड़ दिया हो तो भी उसका ध्यान इधर चला जायगा। हां, यह हो सकता है कि अगर व्यक्तिगत दुश्मनी से इन्कार कर दिया गया है तो ९० दिन के अन्दर सोच-विचार कर कारण लिख दिये जायेंगे।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राकृतिक न्याय के आधार पर भी यह चीज नहीं रखी गई है, क्योंकि हमारे यहां एक प्रथा है कि यदि रिपोर्ट में देर हो जाय तो बिना किसी अभिव्यंजना के मुकद्दमा खारिज हो जाता है और कत्ल के केसेज इसीलिये खारिज हो जाते हैं। हुक्म पहले दे दिया गया और ९० दिन के बाद उसके कारण भेजे गये तो इसमें प्राकृतिक न्याय भी नहीं है। इस ओर मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य ध्यान दें।

श्रीमन्, शास्तियां (पेनल्टीज) का क्या होगा? अगर कोई शख्स नहीं मानता है तो उस पर दस हजार रुपया जुरमाना कर दिया जायं और माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हुये कि यह कानून गांवों में भी लागू होगा, पता नहीं कैसे रख दिया गया। यह दिमाग का विरोधाभास है या पागलपन से ऐसा हो गया। कैसे यह बात लिखी जाती है जबकि एक तरफ तो यह कानून गांवों में लागू होगा और दूसरी तरफ दस हजार रुपया जुरमाना होगा...

श्री रामस्वरूप यादव—मैक्जीमम जुरमाना है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह सोचकर रखा जाय कि यह ठीक से लागू किया जा सके क्योंकि गांवों में दस हजार के १०,२० आदमी भी नहीं मिलेंगे।

श्री रामस्वरूप यादव—गाजियाबाद के मिल मालिकों पर २०-२० हजार रुपया जुरमाना होगा तब भी वह नहीं मानेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह हो सकता है। अगर वह नहीं मानेंगे तो उसके लिये एक धारा और रखी हुई है। आपने जो भाव जाहिर किये, उससे हमें बड़ी खुशी हुई। अगर इसको व्यावहारिक रूप में आप लायेंगे तो हम आपको बधाई देंगे। मिल मालिक हैं उनके लिये आप एक लाख भी कर दें तब भी हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके लिये आप अलग से रख दें। मैं यह जानता हूं कि अगर यह इसी तरह पास हो गया तो इसका प्रयोग गांव वालों पर होगा। उन लोगों के ऊपर जिनसे वोट मिलना है आप अहसान लादेंगे या फिर उनको परेशान करेंगे। मैं यह कह रहा था कि अगर मिल मालिक नहीं मानेंगे तो उनके लिये ज्यादा रख दिया जाय और गरीबों के लिये १००-२०० रुपये रख दिये जायं, क्योंकि गरीब लोग तो वैसे ही डरेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि आप यह प्रिवेंटिव याने रोकने वाला कानून लाना चाहते हैं या सुधारवादी (रिफारमेटिव) कानून लाना चाहते हैं। अगर सुधारवादी लाना चाहते हैं तो आपका मुख्य काम होगा कि सरकार की ओर से जो इस योजना को लेकर जायेंगे और गांवों में घूमें फिरेंगे और लोगों का दिमाग बनायेंगे ताकि देश का विकास हो तो मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर अमीर लोग नहीं मानते हैं तो उनके लिये ज्यादा जुरमाना रखा जाय और गरीबों के लिये कम से कम जुरमाना रखा जाय नहीं तो सब धान बाइस पसेरी हो जायेंगे। अगर कानून बन जायगा तो मैजिस्ट्रेट इस बात पर ध्यान नहीं देगा। यह तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर है। अगर सही पता मैजिस्ट्रेट को न लगे और उसने पांच हजार जुरमाना कर दिया तो उसका पूरा घर कुर्क हो जायगा और वह सड़कों पर फिरेगा और मकान तो गिरा ही दिया जायगा। इसमें धारा १० है जिस के अन्तर्गत सरकार मकान गिरवा सकती है। सड़क बन रही हो तो रोक ही सकती है। अगर मकान बन रहा हो तो रुकवा सकती है। तो दस हजार की पेनाल्टी की क्या जरूरत है, खास तौर से जब कि यह कानून ग्रामों के लिये भी है? मकान गिरवाने के लिये आप हुक्म दे देंगे। आप किसी न किसी से यह दिखलवायेंगे, क्योंकि पांच आदमियों की जो कमेटी बनेगी वह कमेटी तो पूरे प्रदेश का इंतजाम करेगी नहीं। उसके लिये निश्चित रूप से चाहे आप गांव सभा के सभापति को रखें, टाउन एरिया का चेयरमैन

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

तो है ही, जिन को भी आप रखें, उनके द्वारा जो अनियन्त्रित काम होंगे उनको रोकने के लिये उनको कागनीजेंस लेना पड़ेगा। ऐसी दशा में यह जरूरी नहीं है कि इस धारा को रखा जाय और इस प्रकार की पेनाल्टीज जारी की जायं ।

इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वह यह है कि अतिव्याप्त और अव्याप्त दोनों दोष इसमें मौजूद हैं। उसी चीज को बार-बार दोहराया गया है। एक बार प्रख्यापित करेंगे फिर शासकीय गजेट में निकालेंगे। जब कि उत्तर प्रदेश भर में प्रसार होना है तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में किया जाता है ? इसलिये एक ही चीज को बार-बार अतिव्याप्त किया गया है। मैंने कहा इसमें कर्त्तव्य का कोई वर्णन नहीं है। इसमें क्यों नहीं लिखा गया कि नियोजित निर्माण कार्यों को विकसित करने के लिये ? कर्त्तव्य क्यों नहीं लिखा गया ? सरकार अगर अधिकार लेना चाहती है तो कर्त्तव्य भी ले। माननीय मंत्री जी बुद्धि विभ्रम में चले गये। अधिकार तो दे दिया जाय, लेकिन उसकी कारेस्पॉंडिंग्स ड्यूटी हो ही नहीं। इसलिये इसमें अव्याप्त दोष मौजूद है ।

इन तमाम बातों को रखकर मैं आशा करता हूं कि सदन इस संशोधन को स्वीकार करेगा। इसमें परिवर्द्धन भी किया जाय और प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, क्योंकि जिस शक्ल में यह विधेयक मौजूद है वह ऐसा अपर्याप्त है और विकृत रूप में है कि इससे प्रदेश का हित तो दूर रहा बहुत बड़ा अहित होगा। इसलिए मैं माननीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संशोधन को जरूर स्वीकार करेगा और साथ ही मंत्री जी भी हमारी इन बातों से सहमत हो गये होंगे कि इस बिल को प्रवर समिति को दिया जाय और साथ ही इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार भी दिया जाय ताकि उनके उपर जो आरोप आ रहे हैं कि इस में कल्पना की कमी है या गांवों का नियोजन नहीं हुआ या प्रसार सब जगह नहीं करना चाहते हैं इस प्रकार के जो आरोप हैं, उनको दूर करने का भी प्रयत्न करेंगे ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, जो बिल आपके सामने प्रस्तुत है इसमें संदेह नहीं है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश में जन संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और मकानों की कमी का सभी माननीय सदस्यों को अनुभव है। मकानों के निर्माण कराने में एक नियंत्रण, रेगुलेशन होना चाहिए और उससे हमारे यहां स्लम्स क्रिएट न हो इसकी व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ? विधेयक के अन्त में जो उद्देश्य और कारण दिये हुए हैं उसमें इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। सब जगह जहां पर चुंगी हैं मकान बनाने के सम्बन्ध में बाइ-लाज़ बने हुये हैं। किस उपनियम के अन्तर्गत मकानों का निर्माण होगा यह हर चुंगी ने अपने क्षेत्र में निर्धारित कर रखा है।

अब यह प्रश्न आता है कि चुंगी के बाहर भी मकान यदि बनें तो वह किस नियम के अन्तर्गत बनने चाहिये। मेरा खयाल यह है कि शायद यही समस्या सरकार के सामने है और इसी समस्या को सुलझाने के लिये यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। मकानों का अधिक से अधिक निर्माण करने की यदि आवश्यकता है तो इसके सम्बन्ध में मेरा खयाल यह है कि न तो माननीय मन्त्री जी को कोई विवाद होगा और न मेरे खयाल से विरोधीदल के सदस्यों को कोई विवाद होगा ।

हमारे देश में जिस तरह से मकानों की समस्या उत्पन्न हो गई हैं उसके कारण कई हैं। नये मकानों के बनाने में कई कठिनाइयां हैं। पूंजी की कठिनाई है। आज जो लोग पहले मकान बनाया करते थे किसी लाभ के लिये अर्थात् किराये को इकट्ठा करने के लिये वह दल मकान बनाने के लिये उत्सुक नहीं है। वह दल मकान बनाना नहीं चाहता है। छोटे वर्ग के लिये मकान बनाना बहुत ही असम्भव है। जो लोग मजदूरी पेशा करते हैं वह मकान एक व्यवस्थित ढंग से या सुनियोजित ढंग से बना सकें इसके लिये उनके पास साधन नहीं हैं।

मध्यम वर्ग भी आज बहुत कठिनाई में है । उसके पास भी वह साधन नहीं रह गये हैं जिससे वह मकान बनाने के लिये पूंजी को संचित कर सके । तो फिर कठिनाई यह है कि हमारे देश में जो मकानों की इतनी बड़ी आवश्यकता है उसकी कैसे पूर्ति की जाय । उसके लिये सरकार ने कुछ योजनायें बनाई हैं जैसे लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम (Low income group housing scheme) उसके बाद कुछ और भी ऐसे मकान बने, ऐसी योजनायें बनाई गईं, जैसे कि हरिजनों के लिये मकान निर्माण की व्यवस्था, उससे कुछ काम हुआ जिससे जनता को कुछ लाभ हुआ, लेकिन जो आवश्यकता है . . . .

श्री जगन्नाथ लहरी--महोदया, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि विभवजी इस विधेयक पर बोल रहे हैं या मकानों की आवश्यकता पर बोल रहे हैं । विधेयक यह नहीं कहता है कि सरकार द्वारा मकान बनाये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--वह विधेयक पर विषय के अन्तर्गत ही बोल रहे हैं ।

श्री देवकीनन्दन विभव--तो मैं यह कह रहा था कि यह एक बड़ी गहन समस्या है जिसके सम्बन्ध में सदन को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये । मेरा खयाल यह है कि जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता । यह विधेयक एक तरह से अपूर्ण है । उसमें यह व्यवस्था नहीं की गयी है कि जो नियंत्रक प्राधिकारी होगा वह किन नियमों के अन्तर्गत मकानों के निर्माण को नियंत्रित करेगा । मुझे आशा है कि जैसा नियम होता है इस विधेयक के पारित होने के बाद इसके उपनियम बनाये जायेंगे और उस उपनियम में यह उल्लेख किया जायगा कि किन-किन परिस्थितियों में वह नियंत्रक प्राधिकारी हस्तक्षेप करेगा । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय वे उपनियम बनावें तो विस्तारपूर्वक व्यवस्था करें जिससे मकानों के निर्माण करने की आवश्यकता में अनुचित बाधा न हो और हमारे शहरों के बाहर जो बस्तियां बसाने की आवश्यकता है विशेषरूप से छोटे-छोटे कस्बों के पास और दूसरी जगह, वहां हम व्यवस्थित तो कर दें, नियंत्रित तो कर दें, लेकिन उसमें रेड टेपिज्म या केन्द्रीकरण न हो, ऐसी चीज न हो जाय जिससे मकानों के निर्माण की आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति में बाधा पहुंचे ।

एक सदस्य--उन नियमों का विस्तार विधेयक में कर दिया जाय ।

श्री देवकीनन्दन विभव--वह विस्तार की चीज है जिसकी पूर्ति इस विधेयक में दो चार क्लाज बढ़ा देने से नहीं हो सकती ।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिला रहा था कि आप कहीं अधिकारों को ऐसा केन्द्रित न कर दें कि एक व्यक्ति की इच्छा पर यह अवलम्बित हो जाय कि जिस चीज को चाहे वह स्वीकृति प्रदान कर दे और जिसको न चाहे न दे । मेरी इस सम्बन्ध में थोड़ी-सी दिलचस्पी रही है और मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां हैं उनका मुझे अनुभव है । सरकार ने एक अमरीकन विशेषज्ञ की नियुक्ति पांच हजार रुपये मासिक पर की और जब विशेष रूप से उसने आगरे का मास्टर प्लान बनाया तो उसने ढाई-ढाई सौ फीट चौड़ी सड़कें रखने का प्रस्ताव उसमें किया । मैंने उनसे पूछा कि न्यूयार्क में कितनी सड़कें हैं जो ढाई सौ फीट चौड़ी हैं । मैंने न्यूयार्क का प्लान भी देखा है उसमें भी मेरा खयाल है कि मेजारिटी सड़कें ढाई सौ फीट चौड़ी नहीं हैं । तो मेरा कहना यह था कि हमारे देश की जैसी परिस्थिति है उसके अनुकूल हमको कार्य करना चाहिये ।

आवश्यकता इस बात की है कि नये मकान निर्माण किये जायं केवल कावाल टाउन्स में नहीं, केवल बड़ी-बड़ी चु[illegible] के क्षेत्रों में नहीं बल्कि छोटे-छोटे कस्बों में भी, सब-अरबन टाउन्स में भी मकानों का निर्माण हो[illegible] चाहिये ।

अब यदि आप बड़ी-बड़ी योजनायें रखें, यदि आप यह कहें कि फ्लश सिस्टम हो, बिजली भी लगायें और जल के लिये भी व्यवस्था करें तो जहां तक शहरों की बात है और जहां

[श्री देवकीनन्दन विभव]

पर व्यवस्था हो सकती है वहां तो यह ठीक है, लेकिन हम जिन-जिन लोगों तक इन सुव्यवस्थित और अच्छे मकानों को पहुंचाना चाहते हैं उन सभी स्तरों पर हम इन चीजों को नहीं ले जा सकते। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां मैं इस विधेयक को आवश्यक समझता हूं वहां यह भी जरूरी है कि इस विधेयक का प्रयोग इस तरह से होना चाहिये कि हम अधिक से अधिक मकानों का निर्माण करा सकें। इसके साथ ही हमें इस प्रदेश में "वेस्टेड इंटरेस्ट" नहीं क्रियेट करना चाहिये। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के संबंध में मेरी यह धारणा है कि वह अब कार्मशियल तरीके पर अपना काम कर रहे हैं और एक "वेस्टेड इंटरेस्ट" क्रियेट हो गया है, जिससे हमारे देश में अधिक मकान बनने में कठिनाई होती है। आप देखें कि इंग्लैंड में किस तरह से हाउसिंग का आन्दोलन चलता है। आप देखें कि जर्मनी ने, जो कि एक प्रकार से बिलकुल बर्बाद हो गया था किस तरह से अपना पुनर्निर्माण किया। यदि इन तमाम बातों पर गौर करें तो निश्चय ही हम को उस से बहुत सहायता मिल सकती है। वहां पर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज पर काफी ताना-बाना बनाया गया और उनको इस तरह की सहायता दी गयी जिससे वे काफी बलवान हो गयीं और उसके बाद जनता के अपने कोआपरेशन से बहुत कुछ अपनी बस्तियों का निर्माण किया। मैं उन सारी योजनाओं को बतला कर यहां सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता और न विस्तार से उनको यहां आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन सरकार को थोड़ा-सा संकेत अवश्य करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार को खास तौर से हाउसेज के संबंध में एक सुव्यवस्थित योजना का निर्माण करना चाहिये। एक संगठित योजना उसके लिये होनी चाहिये कि किस तरह से वे उसका प्रसार नगर में और किस तरह से ग्रामों में करेंगे।

आप जानते हैं कि हमारे प्लानिंग कमीशन ने ग्रामीण गृह व्यवस्था के लिये भी विशेष-तौर से अपनी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख किया है और उसके लिये धन रखा है। तो हमारे प्रदेश में भी कुछ गांवों में मकान बनाने की व्यवस्था है, लेकिन गांव की जो परिस्थितियां हैं उनको समझने में और वहां मकानों के निर्माण में हमको कठिनाई पड़ेगी और उसके लिये प्रदेश की सरकार को जितना सजग होना चाहिये उतना वह नहीं है।

मैं क्लाज बाई क्लाज चर्चा करके अधिक समय लेना नामुनासिब समझता हूं। मैं एक मूल आधार की बात आपसे कहना चाहता हूं। यह जो विधेयक सरकार ने प्रस्तुत किया है उसमें एक शक्ति उसने ले ली है, लेकिन उसका उपयोग आप किस प्रकार करेंगी इसका उल्लेख इसमें कहीं नहीं है। कहीं आपकी उस शक्ति का दुरुपयोग न हो। आपने कहा है कि कोई भी योजना, जो अथारिटी होगी वह तीन महीने के अंदर अस्वीकृत कर दे और अगर तीन महीने में अस्वीकृत न करे तो जो योजना प्रस्तुत करता है वह एक महीने का समय फिर दे और उसके बाद भी यदि कोई उत्तर न मिले तो वह योजना को स्वीकृत समझ सकता है। मेरा खयाल यह है कि इसमें भी कुछ कठिनाइयां हैं। जैसी कि अथारिटी आपने निर्माण की है अगर वह अनुचित तरीके से हस्तक्षेप करना चाहे तो कुछ ऐसे कारण भी वह दे सकती है वस्तुतः जिनमें तथ्य न हो और उन्हीं के आधार पर योजनाओं को रोक सकती है। आपको इन बातों का खयाल रखना चाहिये और प्रयत्न इस तरह का करना चाहिये कि हमारे प्रदेश में गृह-निर्माण की ओर अधिक से अधिक प्रगति हो, सरकार की तरफ से भी और नान आफी-शियल्स की तरफ से भी।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--परम आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री महोदय ने जो विधेयक हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है, मैं उसका पूर्णरूप से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यद्यपि मैं विरोधी पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन मैं यह उचित नहीं समझता कि एक विरोधी पार्टी का सदस्य इस सदन में सिर्फ विरोध करने के लिये ही उपस्थित होता है। हमारा यह पुनीत कर्त्तव्य है कि कोई भी अच्छी बात, चाहे वह विरोधियों की ओर से रखी गयी हो या सरकार की ओर से रखी गयी हो, हमको उसका समर्थन करना चाहिये, यही संसदीय परम्परा है।

जो बिल इस समय हम लोगों के सामने है उसमें तिवारी जी ने उसको जनमत के लिये प्रचारित करने की मांग की है तथा हमारे तीन माननीय सदस्य---श्री नागर जी, श्री प्रताप सिंह और श्री वर्मा जी ने प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द करने की मांग की है। मैं समझता हूं कि यदि इस विधेयक को जनमत के लिये प्रचारित करने को अथवा प्रवर समिति में भेजे जाने के लिये यह सदन तैयार हो जाता है तो यह सदन का समय बरबाद करना होगा। क्योंकि यह विधेयक सदन की मेज पर सन् १९५७ में ही आ चुका था और ९ अक्तूबर, १९५७ को विधान परिषद् द्वारा यह पारित भी कर दिया गया था। नियमावली से यह प्रतीत होता है कि जो विधेयक एक सदन से पारित कर दिया जाता है यदि उसी दशा में अगर दूसरे सदन से भी स्वीकार हो जाता है तब तो वह स्वीकार समझ लिया जाता है अन्यथा उसको पहले सदन में संशोधनों सहित पारित करने के लिए वापिस कर दिया जाता है और यदि पहला सदन उन संशोधनों को स्वीकार न करे तो दोनों सदनों का एक संयुक्त सेशन होता है और बहुमत से निर्णय किया जाता है। अतः अगर इस विधेयक में यहां कोई परिवर्तन किया जाता है और परिवर्तन के बाद यह विधेयक पुनः विधान परिषद् में जाता है और विधान परिषद् यदि हमारे किये हुये संशोधनों को स्वीकार नहीं करती है तो उसका मतलब यह होगा कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन इसे पारित करने हेतु बुलाया जाय तब संसदीय परम्परा के अनुसार एक बहुत लंबा समय उसके पारित होने में लग जायगा और इस विधेयक के पारित होने में हम लोगों का काफी समय और शक्ति नष्ट होगी।

यह एक नितान्त आवश्यक विधेयक है। इस सदन के सामने हम प्रतिदिन ही देखते हैं कि जो कामरोको प्रस्ताव आते हैं और उनमें अधिकांश ऐसे कामरोको प्रस्ताव होते हैं जिनमें यह होता है कि बाढ़ आ गयी, कोई गांव पानी से डूब गया, उस जगह से पानी का निकास नहीं है, इतने मकान बैठ गये और धन, जन तथा मकानों की क्षति हो गयी। इस तरह के कामरोको प्रस्ताव प्रतिदिन हमारे सामने आते हैं और हम प्रति वर्ष करोड़ों रुपया बजट में इस काम के लिये रखते हैं कि निचले भागों को, बाढ़-ग्रस्त इलाकों को और जहां पानी भर जाता है, उनको ऊंचा क ं। गांवों का लेविल ऊंचा उठाने के लिये करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है ताकि उनको बाढ़ से बचाया जाय। यह विधेयक उसी बात की दवा है। जो आज मकान और गांव निचले भागों में, गड्ढों में बनाये जा रहे हैं, यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो सरकार समय से पूर्व उन लोगों को चेतावनी दे सकेगी और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर सकेगी जिससे भावी खतरे और आपत्ति से उनको बचाया जा सके। जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य और कारण का सम्बन्ध है, उसमें एक बात बिलकुल निश्चित है। उसमें लिखा हुआ है "यह देखा गया है कि विकास की ओर उन्मुख नगरों के चारों ओर अनियोजित भवन निर्माण की प्रवृत्ति है तथा अंततोगत्वा ऐसे निर्माण उपयुक्त जल निष्कासन, जल वितरण और संचार साधन तथा समुचित स्वच्छता के अभाव के कारण सम्बद्ध प्राधिकारियों के लिये चिन्ता का कारण बनने के अतिरिक्त नगर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं"।

जो भाई यहां उपस्थित हैं उनमें से जो नगरों में रहते हैं, जिन्हें लोकल बाडीज में कभी सदस्य रहने का अनुभव है, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हमारे सामने इस तरह के मकानों की किस तरह से विकट समस्या बन गयी है। यह बार-बार कहा जाता है कि म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर हमको यह अधिकार मिला हुआ है कि म्युनिसिपैलिटी इस तरह के नियम, उपनियम बना सके जिससे भवनों के निर्माण पर वह कंट्रोल कर सके। यह बात बिलकुल सही है कि म्युनिसिपैलिटी धारा १७९ के मुताबिक भवन के निर्माण की आज्ञा देती है। यदि एक महीने के अन्दर किसी नागरिक द्वारा प्रस्तुत किया हुआ नक्शा नगरपालिका द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता तो दफा १८० के अनुसार १५ दिन का नोटिस देने के बाद फिर भी उसका नक्शा स्वीकृत न किया जाय तो वह अपने भवन का निर्माण कर सकता है? मकान के निर्माण के लिये तो म्युनिसिपैलिटी आज्ञा दे सकती है लेकिन म्युनिसिपल ऐक्ट में इस प्रकार की कोई धारा अभी नहीं है कि जो गड्ढे हैं या जो निचली सतह है, वहां पर कोई मकान नहीं बना सके इससे उसको रोक सके। ऐसी कोई धारा नहीं है कि नागरिक ऐसी जगह मकान न बनावें जहां

[श्री जगन्नाथ लहरी]

ड्रेनेज का या सिवर का कोई सिस्टम नहीं है, जहां जल की निकासी या मलमूत्र की निकासी का या सड़कों के आवागमन का प्रबन्ध नगरपालिका नहीं कर सकी है। उस एरिया का निवासी भी म्युनिसिपैलिटी को १५ दिन का दोबारा नोटिस देकर अपने भवन का निर्माण कर सकता है।

अब मैं फीरोजाबाद नगर का जिक्र करता हूं। फीरोजाबाद नगरपालिका के सामने आज जीवन और मृत्यु का प्रश्न उपस्थित है। आज उस नगर की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। वहां पानी की निकासी का कोई ठीक प्रबन्ध नहीं है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, सड़कों का ठीक प्रबन्ध नहीं है। अभी ३१ जुलाई की घटना मैं बतलाना चाहता हूं। जिन्होंने समाचार पत्रों को पढ़ा होगा उनको वहां की घटना के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। ३१ जुलाई को फीरोजाबाद नगरपालिका की बैठक हो रही थी, उसी समय फिरोजाबाद के पुरषोत्तम नगर, देव नगर और करबला मुहल्ले के सैंकड़ों व्यक्ति जलूस बना कर नगरपालिका के अन्दर घुस गये। चूंकि नगर में वहां कई दिन से बारिश हो रही थी जिसके कारण काफी पानी इन मुहल्लों में जमा हो गया था। ये तीनों मुहल्ले गड्ढे में बसे हुए हैं, वहां पानी की निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं है, शहर के जो नाले हैं वे वहां से ऊंची जगह पर हैं, जिससे उस आबादी का पानी निकल नहीं पाता है। चेयरमैन ने कहा कि हम पानी निकालने का प्रबन्ध कर रहे हैं, पम्प मंगा रहे हैं। लेकिन वहां की जनता ने यही कहा कि यदि इसका जल्दी प्रबन्ध नहीं होगा तो जिस तरह से हम कीचड़ में रहते हैं उसी तरह से हम चेयरमैन और उनके परिवार के, बाल बच्चों को उसी में रखेंगे और अन्त में उसी कीचड़ में दफन कर देंगे। जब उन लोगों ने इस तरह की धमकी दी तो चेयरमैन को और नगर-पालिका के सदस्यों को अपनी रक्षा के लिये पुलिस बुलानी पड़ी। मैंने सदन के सामने यह घटना रखी है। यह कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है बल्कि इसी ३१ जुलाई की ही घटना है। इस तरह से लोग शहर के बाहर नीची जगह में जमीन लेकर बस जाते हैं, गड्ढों में बस जाते हैं। पहले जहां जमीन में ईंट के भट्ठे बनाते हैं जिससे जमीन कट जाती है और फिर वहीं मकान बनाते हैं। नगरों के अन्दर जहां ९, १० रुपये स्क्वायर फुट जमीन मिलती है वहां उनको उस जगह तीन-चार आने स्क्वायर फुट जमीन मिल जाती है। लोग सस्ती लेकिन निचली जमीन पर अपना मकान बना लेते हैं और फिर मांग करते हैं कि उनके यहां नाली व सड़कों का प्रबन्ध किया जाय। तो ऐसी कौन सी ताकत है जिससे यकायक यह प्रबन्ध किया जा सके? लिहाजा जो आबादियां गड्ढों में बसती चली जाती हैं, जहां ड्रेनेज, सड़क व सीवेज का कोई प्रबन्ध नहीं है उनको कंट्रोल करने के लिये, योजना बद्ध मकान बनाने के लिये यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार का विधेयक सदन में पारित करें।

जहां म्युनिसिपैलिटीज को अपनी सीमाओं के अन्दर बसने वाले नागरिकों को इस बात के लिये विवश करती हैं कि वे बिना उसकी इजाजत के कोई भी मकान नहीं बना सकते वहां उसकी सीमा के १ इंच भी बाहर कोई मकान बनाता है तो नगरपालिकाओं के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है, कोई बाई-ला नहीं है कि उनको वह भवन निर्माण करने से रोक सकें। नगरपालिकाओं के बाहर जाने पर जमीन की कीमत नगरपालिका के भीतर की जमीन की कीमत से बहुत कम हो जाती है तो सस्ती जमीन मिलने के कारण लोग नगर-पालिकाओं की सीमा के बाहर मकान बना लेते हैं चाहे जमीन का लेविल ऊंचा हो या नीचा हो, जब लोग बस जाते हैं तो नगरपालिका के निकट होने के कारण वे फिर मांग करते हैं कि हमारे लिये सफाई, सड़कों व नालियों का प्रबन्ध किया जाय, लेकिन म्युनि-सिपल ऐक्ट के अनुसार नगरपालिका कोई भी ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकती।

गत वर्ष मैंने इस सदन में एक प्रश्न उपस्थित करते हुए कहा था कि फीरोजाबाद के बिल्कुल सेंटर में होकर नेशनल हाईवेज की सड़क जाती है। पहले यह सड़क पी० डब्लू० डी० के नियंत्रण में थी और अब वह नगरपालिका को हस्तान्तरित कर दी गयी है।

नगरपालिका ने अपनी सीमा के भीतर तो उस सड़क को बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन सीमा के बाहर दो फर्लांग का एक टुकड़ा रह जाता है जिसको बनाने के लिये नगरपालिका को कानून के अन्तर्गत मजबूर नहीं किया जा सकता और इस दो फर्लांग के टुकड़े में डेढ़-डेढ़ फुट के गड्ढे हो गये हैं और इसी टुकड़े पर इंस्पेक्शन हाउस भी बना हुआ है लेकिन उन गड्ढे की मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। हमने पूछा कि कौन उस सड़कों का मालिक है तो माननीय पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर ने कहा कि हम नहीं कह सकते कि कौन मालिक है, फिर कहा नगरपालिका है। नगरपालिका कहती है कि वह भी नहीं है। फिर उन्हों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो सकता है। बहरहाल आज उस सड़क को बनाने वाला कोई नहीं है।

मैं इसी तरह से पूछता हूं कि नगरपालिका की सीमा के बाहर बसने वाली आबादियों के लिये सड़कों, नालियों व सीवेज का प्रबन्ध कौन करेगा? आबादी बस गयी, लेकिन स्वच्छता व सफाई, सड़कों, पानी के निकास के लिये नालियों का प्रबन्ध नहीं हो सकता तो इसका मतलब है घरों का पानी निकल कर कच्ची सड़कों पर इकट्ठा होगा, कूड़ा करकट वहां सड़ेगा और वह आबादी बीमारियों का घर बन जायगी और मलेरिया जो हमारे देश के लिये एक अभिशाप है जिससे लाखों व्यक्ति शिकार होकर प्रतिवर्ष मर जाते हैं, वहां मलेरिया हमेशा के लिये वरदान स्वरूप हो जायगा? तो मैं पूछता हूं कि आखिर ऐसा कौन सा इलाज है जिससे हम उनकी सहायता करें। अब ऐसी आवश्यकता आ पड़ी है कि हम इस बात का प्रयत्न करें कि लोगों के लिये समुचित रूप से सफाई, पानी के निष्कासन के लिये ड्रेनेज और सड़कों का प्रबन्ध कर सकें क्योंकि इस प्रकार के नियंत्रण की आज अत्यन्त आवश्यकता है। हम इस जगह से इस तरह का एक कानून बनावें जिससे कि हम देख सकें कि जमीन की लेवेल भी ऐसी है या नहीं जहां कि मकान बनाया जा सकता है। आप कौंसिल हाउस में हैं, कौंसिल हाउस का लेवेल है, उसके नीचे एक ड्रेनेज जा रही है। अगर कोई साहब एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उससे १० फुट नीचे मकान बनाने लगें तो उनके लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है कि उनके घरों का मल-मूत्र का पानी निकल सके, उसके लिए ड्रेन बन सके। ऐसी परिस्थिति में यह नितान्त आवश्यक है कि जो मकान बनाये जायं उन पर भी कोई नियंत्रण होना चाहिए।

जीवन के लिए तीन वस्तुयें नितांत आवश्यक हैं, भोजन, वस्त्र और गृह। तो जहां भोजन के लिए इस बात की आवश्यकता हम समझते हैं कि स्वच्छ भोजन होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए, पौष्टिक भोजन होना चाहिए, वस्त्र चाहे मोटे ही क्यों न हों, लेकिन वह वस्त्र साफ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिये, तो फिर क्या आवास गृह के लिए हम कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकते जिससे कि हम कह सकें कि हमारे मकान चाहे छोटे क्यों न हों, लेकिन, वह साफ-स्वच्छ रह सकें, जहां पहुंचने के लिए सड़क का प्रबन्ध हो और जहां मलमूत्र का पानी निकलने के लिए ड्रेन्स का प्रबन्ध हो? जैसे शरीर में रक्त के संचालन के लिए नसें होती हैं, उनका होना आवश्यक होता है उसी तरह नगरों में और टाउन्स में ड्रेन्स का होना नितान्त आवश्यक है। जैसे किसी मनुष्य की नसों में खून का चलना बन्द हो जाय तो उसकी मृत्यु हो जाती है उसी तरह अगर किसी नगर या टाउन की ड्रेनेज बन्द हो जाय तो वहां एक आफत आ जाती है। तो लोग मकान बनाते चले जा रहे हैं, सड़कों के लिए जगह भी नहीं छोड़ते हैं। आज फीरोजाबाद में सड़कें ऐसी होती चली जा रही हैं कि जब कोई मर जाता है तो चार आदमी कंधे पर लेकर भी नहीं निकल सकते हैं हिन्दू परिपाटी के अनुसार और मुस्लिम परिपाटी के अनुसार भी चार आदमी कन्धा लगा कर मुर्दे को ले जाते हैं, लेकिन अब सड़कें इतनी कम चौड़ी होने लगी हैं कि चार व्यक्तियों को उस मृतक को अपने कन्धे पर रखकर ले जाने भर के लिए जगह नहीं मिलती। संकुचित गलियां बनती चली जा रही हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया तो रोगी को डाक्टर के यहां दिखाने के लिए सवारी पर ले जाना भी मुश्किल हो जाता है,

[श्री जगन्नाथ लहरी]

उसको या तो गोद में उठा कर ले जाया जा सकता है या दो आदमी मिल कर लटका कर ले जायं। ऐसी अवस्था जहां होती चली जा रही हो वहां इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि इस विधेयक को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द पास करके लागू किया जाय।

मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि जंगल भी आपने देखे होंगे और लखनऊ के पार्क भी आपने देखे हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि जंगल और पार्क में कौन आपको ज्यादा अच्छा लगता है? मानी हुई बात है कि पार्क अच्छा लगता है। जंगल में भी वही वृक्ष होते हैं, लेकिन वह अनियंत्रित होते हैं, उनकी शाखायें कुछ इधर को बढ़ी होती हैं, कुछ उधर को बढ़ी होती हैं, कहीं गड्ढा होता है, कहीं नाली होती है। जंगल का दृश्य इस प्रकार होता है, लेकिन जहां जंगल को काट पीट कर एक सुन्दर बाटिका में परिवर्तित कर दिया जाय तो वह लुभावना लगने लगता है। बाटिका में हम लोग वहां मनोरंजन के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य के लिए भी घूमने जाते हैं। परन्तु जंगलों में नहीं। जिस तरह जंगल और पार्क में अन्तर है उसी तरह का अन्तर अनियंत्रित तरह से बनने वाले मकानों और नये ढंग से बनने वाले मकानों में है। अगर हम वास्तविक तौर पर यह चाहते हैं कि प्रकृति और मानव पर कोई नियंत्रण न करें, तो दूसरी बात है। फिर चाहे जैसे मकान बनाने दीजिए। फिर हमें कोई अधिकार नहीं रहता कि जरा सा पानी भरने के बाद सदन में काम रोको प्रस्ताव पेश करें। हमें कोई अधिकार नहीं रहता कि अगर गांव बाढ़ की लपेट में आ गया तो उसके लिए हम सदन में मांग करें, मकानों की सतह को ऊंची करने के लिये करोड़ों रुपया खर्च करें। लेकिन अगर हम सचमुच चाहते हैं कि जनता को कुछ लाभ हो तो आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पर अच्छी तरह से विचार करें।

तिवारी जी ने यह कहा कि इस कानून के मुताबिक न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। अंग्रेजों की देन इस भारतीय न्याय के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह न्याय अधिक समय लेने वाला और काफी खर्चीला है। एक जरा सी एप्लीकेशन सिविल कोर्ट में, जहां मकानों के मुकदमें होते हैं, दी जाय तो मैं समझता हूं अगर आपके पास पैसा है तो २०, ३० साल तक उसका कोई भी फैसला नहीं हो सकता परन्तु इस विधेयक द्वारा यदि वह कमेटी कोई आज्ञा न दे तो नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है और उसका फैसला अन्तिम होगा। यह विधान इसीलिये रखा गया है कि उससे समय की देरी को रोका जाय। यदि आप चाहते हैं कि नव निर्मित मकानों के सम्बन्ध में भी ब्रिटिश शासन-काल की दी हुई खर्चीली न्याय पद्धति को अपनायें तो हमें कतई किसी योजना की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिये।

एक साहब ने यह कहा कि इसमें किसानों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। सिर्फ पूंजीपतियों के पोषण के लिये कानून बनाया गया है, उन्हीं के मकानों के लिये इसमें व्यवस्था की गई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि खंड १८ के उपखंड (ख), (ग), (च) और (छ) को पढ़ने की कृपा करें। (ग) में लिखा है--

"ऐसे भवन का निर्माण जो निवास-गृह न हो, यदि ऐसा भवन कृषि के अनुसेवी प्रयोजनों के निमित्त अपेक्षित हो,"

यानी इस पर कोई कानून लागू नहीं होगा।

(घ) में है कि--"किसी गाँव के, जैसा कि वह राजस्व अभिलेखों में परिभाषित हो, आवासित स्थल (inhabited site) के अन्तर्गत भूमि पर भवनों का निर्माण;" उस पर भी यह लागू नहीं होता। फिर उपखंड (च) में लिखा है "कृषि सम्बन्धी क्रियाओं के साधारण दौरान में खोदाई (जिसके अन्तर्गत कुंएं भी हैं), इन पर भी यह कानून लागू नहीं होगा।" और (छ) में लिखा है "एक मात्र कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि पर पहुंचने के उद्देश्य से कच्ची सड़क का बनाना"। तो किसानों के लिये जितनी वस्तुओं की आवश्यकता थी उनकी सारी

की सारी सुविधायें इस कानून में पहले से दे दी गई हैं। उनके ऊपर किसी तरह की रोक नहीं लगायी जायगी।

कुछ लोगों को ताज्जुब हुआ कि इसमें १०,००० रुपये तक जुर्माने की सीमा रखी गयी है और यदि इसी तरह का जुर्म बराबर किया जाय तो प्रथम दिन न्यायालय से जो दण्ड दिया गया है उस दिन से लेकर प्रतिदिन ५००-रुपये तक दंड दिया जा सकता है। कानून के पालन कराने के लिये कठोर दंड अति आवश्यक है। लोकल बाडीज़ के कानून को देखें तो पायेंगे कि उनकी कोई परवाह नहीं करता और मन चाहे मकान बना लेते हैं। कोई भी मिसाल नहीं दे सकता कि किसी नगरपालिका के अन्दर बाई-लाज के विरुद्ध बने हुए मकान को धारा ३०७ के अनुसार बने हुए मकान को खुदवाकर फिकवा दिया गया हो। जो बन गया सो बन गया। साथ ही साथ में कुछ जनतंत्र की भी कसर होती है। जहां हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं वहां जनतंत्र में कुछ जनता को रिश्वत देते हैं। यह है कि जिस जनता से वोट हासिल करना है यदि उसने अनियमित मकान बना लिया है उसके ऊपर न्यायालय द्वारा अभियोग चलाते हैं पर जब मकान खुदवाने का प्रश्न आता है तो देखा जाता है कि अगर आदमी काफी पापूलर है और १००, २०० वोट इससे मिल सकते हैं, अगर हमें नगरपालिका का सदस्य बनना है तो हमें कुछ झुकना पड़ेगा। साथ ही साथ वह व्यक्ति जो दिन रात उन व्यक्तियों के साथ खेला कूदा है, भले ही वह मेम्बर न हो, तो मानवता इस बात का तकाजा करती है कि हम कानूनों से भी कुछ हट करके ममता का प्रदर्शन करें ऐसी दशा में हमें कानूनों को एक ताक में रख कर प्रेम का प्रदर्शन करना पड़ता है। और इस तरह की अनियमितताओं को खुली छूट देते हैं। तो इस तरह से म्युनिसिपल ऐक्ट में धारा ३०७ के होते हुए भी जनतांत्रिक प्रतिनिधियों द्वारा भाई-चारे और मेल मुरव्वत का व्यवहार होता है और वह कानून बेकार सा ही रह जाता है। हो सकता है कि इस तरह से इस कानून में भी जन प्रतिनिधियों के रखने से दिक्कत हो। मैं तो चाहता हूं कि अगर वाकई में यह सदन चाहता है कि लोगों के जीवन का विकास हो, रहने के सुन्दर आवासों को विकसित किया जाय तो हमें और भी आगे बढ़ कर सैनिक अधिकारियों के हाथ में यह नियंत्रण दे देना चाहिये और सैनिक अधिकारियों के हाथ में ही आज्ञा देने का प्रबन्ध किया जाय, जब प्रबन्ध उनके हाथ में चला जाता है तो किसी तरह की चीं-चुपड़ की गुंजायश नहीं रहती। क्यों जब कभी भी कोई ऐसा अवसर आता है जब कि सिविल अधिकारी किसी काम को नियंत्रित करने में असफल रहते हैं तो सैनिक अधिकारियों को ही मदद के लिये बुलाया जाता है और उनके सुपुर्द सारी व्यवस्था कर दी जाती है, सिविल प्रशासन जब खतरे में होता है तब कंट्रोल करने के लिये सैनिक अधिकारियों को बुलाया जाता है। यदि वास्तव में आप उन बस्तियों का ठीक से विकास चाहते हैं तो आप को एक कठोर नियंत्रण की नीति अपनानी होगी और हो सके तो यह व्यवस्था सैनिक अधिकारियों के सुपुर्द की जानी चाहिये तभी इस कानून का सही मन्तव्य पूरा हो सकेगा।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि हमारे एक दोस्त ने कहा कि इसमें सिर्फ बैलों का प्रबन्ध किया गया है, उनके लिये कच्चे रास्तों का प्रबन्ध किया गया है, लेकिन पुरुषों की कोई परवाह नहीं की गई है। किसानों के लिये अगर कच्चे रास्तों का प्रबन्ध किया जा सकता है, उनके लिये इस कानून को थोड़ा सा माडरेट किया जा सकता है और अगर इस पर यह लांछन लगाया जाता है कि यह कानून केवल बैलों के लिये बनाया जा रहा है तो मैं नहीं समझ सकता कि मुझे उनके लिये क्या कहना चाहिये यह खंड १८ के जो आगे का भाग है उसको पढ़ें तो पता लगेगा कि पुरुषों के लिये भी विधान है "सड़क पर पहुंचने के रास्तों के बनाने का विनियमन"। तो जो सड़कें हैं उनके लिये भी नियम बनाने होंगे जैसे कि म्युनिसिपल ऐक्ट में धारा है कि अगर सड़क का ड्रेन मकान से १०० फुट के अन्दर पड़ता है तो नगरपालिका बाध्य कर सकती है कि मकान का मालिक अपना ड्रेन बना कर सरकारी ड्रेन में डाले। तो यह विधान के सड़क पर पहुंचने के रास्तों के बनाने का विनियमन भी होगा यह पुरुषों के लिये ही है।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

उसी में साथ ही यह भी है कि "वे सिद्धान्त जिन के अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा के निमित्त प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये जा सकें।" तो प्रार्थना-पत्र मकान, कारखाने आदि बनाने के लिये दिये जायंगे। क्या यह बैलों के लिये मकान बनाये जायंगे? वे सब पुरुषों के लिये बनाये जायंगे चाहे वह किसी प्रकार से भी उनका प्रयोग करें, आवास-गृह बनायें, कारखाने औद्योगिक कार्य के लिये बनायें, व्यापार के लिये या मानव अपने आवास के लिये बनायें। मैं एक बार फिर दोहरा दूं इस पर हमें फिर विचार करना चाहिये कि जो विधेयक विधान परिषद् द्वारा पारित हो चुका है उसके विरोध में हम ऐसी बातें कहें कि यह बैलों के लिये किया जा रहा है तो इस तरह से इसको खटाई में डालना मुनासिब न होगा। यह विधान परिषद् ने ९ अक्तूबर, सन् १९५७ को पारित किया था, दस मास हो गये हैं और अगर अब इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया या जनमत के लिये प्रसारित किया गया तो फिर महीनों लग जायंगे। हो सकता है कि इसमें किसी तरह के संशोधन कर दिये जायं और फिर दुबारा इसको विधान परिषद् में भेजा जाय। फिर सेलेक्ट कमेटी में जाय तो इस तरह से वर्षों लग जायंगे और देश के विकास में जो रुकावट आ रही है वह और भी बढ़ जायगी क्योंकि उस समय तक सैकड़ों व हजारों मकान और बस्तियां बस जायंगी जो अव्यवस्थित ढंग की होंगी फिर इनको उजाड़ना मुश्किल हो जायगा। यह विधेयक मकानों को उजाड़ने के लिये नहीं लाया जा रहा है बल्कि उनको सुव्यवस्थित ढंग से बसाने के लिये लाया जा रहा है।

हमारी सरकार प्रतिवर्ष म्यूनिसिपैलिटीज को, टाउन एरियाज को लाखों रुपया ड्रेनेज और सीवेज के लिये दे रही है और बहुत-सा रुपया शहरों के विकास पर खर्च हो रहा है। अभी कल परसों आगरे का जिक्र आया था। पता चला कि वहां की ड्रेनेज और सीवेज की स्कीम २३ लाख रुपये की थी जो अब ७३ लाख की हो चुकी है। पता नहीं पूरी होते-होते तो एक करोड़ तक पहुंच जाय। वहां एक शहर के ड्रेनेज के ऊपर एक करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है तो आप सोचिये कि यू० पी० में कितने शहर, टाउन्स, होंगे जिनका हमें विकास करना है। उनमें कितने करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।

अभी लखनऊ में सीवेज की लाइज खुद रही थी तो मैंने देखा कि कहीं-कहीं तो ३०-३० फुट गहरी खोद कर लाइन डाली गई। अगर यह कानून पहले से बना होता तो गढ़े में बनी आबादी के लिये क्यों ३० फुट खोदना पड़ता हमें भारत का नवनिर्माण करना है। शहरों का ही नहीं बल्कि ग्रामों का भी हमें विकास करना है। नगर की आबादी के विकास के लिये यह आवश्यक है कि आबादी बसने के पहले वहां पर कानून द्वारा पूर्ण नियंत्रण लगा दिया जाय तब हम विकास कर सकेंगे वरना देश का करोड़ों रुपया बरबाद हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि जिस रूप में यह विधेयक विधान परिषद् से पास होने के बाद यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसे दुबारा विधान परिषद् में न भेजना पड़े इसलिए इसी रूप में इसे पारित करने की कृपा करें।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)— आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, मैंने उन माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े आदरपूर्वक सुना जिन्होंने यह मांग की कि प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति या जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय। प्रवर समिति की मांग को तो मैं समझ सकता था, लेकिन ऐसे बिल को जनमत जानने के लिये भेजा जाय, ऐसी मांग करना और उसकी पुनरावृत्ति होना मेरी समझ में नहीं आई। आदरणीय महोदया, आपके आसन ग्रहण करने से पहले राजनारायण जी ने कहा था कि लोग जब प्रवर समिति में भेजने की मांग करते हैं या जनमत जानने के लिये मांग करते हैं तो आंख मूंद कर ऐसे प्रस्ताव दे देते हैं। महोदया, मेरा ऐसा साहस नहीं है कि मैं अपनी ओर से ऐसी बात कह सकूं। लेकिन यदि वास्तव में ऐसा होता तब तो कोई शिकायत की बात ही नहीं होती,

लेकिन मेरा तो विश्वास है कि माननीय सदस्य सोच विचार कर ही ऐसे प्रस्ताव देते होंगे तब मैं यदि यह शिकायत करूं तो अनुचित न होगा कि जनमत की मांग ऐसे प्रस्ताव पर करना उपहासपूर्ण बात है।

महोदया, हमारे देश में डेमोक्रेसी अभी शैशवावस्था में है, लेकिन दूसरे देशों की परम्परायें हमारे सामने हैं। जनमत की मांग केवल उन विधेयकों पर की जाती है जहां कोई ऐसी मौलिक या सैद्धान्तिक बात निहित हो जिसके बारे में यह जानने की आवश्यकता हो कि जनता का क्या मत होगा। यदि हम औषधि को भोजन बना लें तो उसके गुण और उपयोगिता दोनों ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिये मेरा आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जनमत की मांग करना ऐसे विधेयक के लिये कदाचित उचित नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

महोदया, इसके बाद मैं यह कहूंगा कि जहां बहुत से माननीय सदस्य इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने की मांग प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसके माने हैं कि उन्होंने सिद्धान्ततः उसको स्वीकार कर लिया है परन्तु इस संसदीय परम्परा को भूलते हुये उन्होंने उसका आमूल विरोध किया। आमूल विरोध ही नहीं एक माननीय मित्र तो यहां तक चले गये कि उन्होंने मंत्रियों और उपमंत्रियों की नीयत पर भी हमला कर दिया। महोदया, वास्तव में जब मैं उनके भाषणों को सुन रहा था तो मुझे तो एक पुरानी बात जो किताब में पढ़ी थी वह याद आ गई। जब लंदन में पहली दफा बिजली लगी तो वहां के किंग के पास एक डेपुटेशन गया और उनसे यह पनाह मांगी कि महाराज बड़ा भारी अन्याय हो रहा है जो यह बिजली लग रही है इससे चोरों को बड़ी सहायता मिलेगी, रात में चोर आयेंगे। बिजली की रोशनी जलती होगी तो उनको चोरी करने में सहायता मिलेगी। एक समय था जब कि कोई भी प्रगतिशील कदम उठाया जाता था तो उसका विरोध होता था। आज यह समय बदल चुका है। आज यदि कोई प्रगतिशील कदम उठाया जाय तब तो यह आशा की जानी चाहिये कि वे लोग जो कि प्रगतिशील होने का दावा करते हैं इसका स्वागत करेंगे।

महोदया, मेरा तो यह विश्वास था कि आज जब इस विधेयक पर भाषण होंगे तब माननीय सदस्य इस बात की शिकायत करेंगे मंत्री जी से कि यह विधेयक आज से बहुत पहले क्यों नहीं आया। मैं यह भी समझता था कि माननीय सदस्य इस बात की भी शिकायत करेंगे कि इसके उद्देश्य और कारणों में केवल गाजियाबाद का जिक्र करके, उदाहरणार्थ ही सही, क्यों इस बात का संकेत किया गया है कि वह एक सीमित क्षेत्र में ही इस बात को देखना चाहते हैं? लेकिन मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मैंने माननीय प्रतापसिंह जैसे प्रगतिशील नवयुवक, उत्साही माननीय सदस्य से यह सुना कि यह विधेयक प्रगतिशील नहीं है और इस विधेयक को लाना प्रगति का विरोध करना है। उन्होंने यह कहा कि पहले जमाने के प्लान इससे अच्छे होते थे। अब मैं क्या कहूं इस दलील के बारे में? जब रेल नहीं चलती थी तो आदमी के पैरों में शक्ति ज्यादा थी। जब माइक्रोफोन नहीं था तब उसकी वाक्शक्ति अच्छी थी। लेकिन जब समय प्रगति कर रहा है तो हमें वाक्शक्ति के लिये माइक्रोफोन का भी सहारा लेना पड़ेगा, चलने के लिये रेल का भी सहारा लेना पड़ेगा, एरोप्लेन का भी सहारा लेना पड़ेगा। यह कहना कि बिना प्लान के अच्छा रहता इसलिये प्लान का बनना देश या प्रदेश के लिये हानिकर है एक ऐसी दलील है जिसको मैं समझने में सर्वथा असमर्थ रहा।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मैं प्रत्यक्ष यह देखता हूं इस उद्देश्य और कारणों की तरफ दृष्टिपात करने पर कि सरकार का ध्यान इस समस्या कि ओर उस रूप में नहीं गया जैसा जाना चाहिये था और जैसा समय का तकाजा था। गाजियाबाद में, जो दिल्ली के नजदीक होने से एक नयी टाउनशिप बन रही है जिसके कारण भारतीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को काफी लिखापढ़ी भी की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रदेशीय सरकार का ध्यान दिलाया है, कदाचित् यह ध्यान न दिलाया गया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सरकार इस विषय में सोती रहती

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

और इस विधेयक को सदन में न लाती । यह विधेयक इससे पहले आना चाहिये था । आज जब यह विधेयक आया है तो सरकार और माननीय मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार करने की कृपा करें कि आज एक गाजियाबाद ही नहीं सारे प्रदेश में आवश्यकता है ऐसा विधेयक लागू होने की । परन्तु मैं उन माननीय मित्रों से सहमत नहीं हूं जिनका कहना है कि क्यों नहीं सारे प्रदेश में लागू करने का प्राविजन हुआ । यह तो अव्यावहारिक है । यदि सारे प्रदेश में एक साथ लागू होने की व्यवस्था हो जाय तो उससे उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा । क्यों कि फिर कहां से मशीनरी आयेगी जिससे उसका नियंत्रण करायेंगे और कैसे उन समस्याओं को सुलझा सकेंगे जो इस तरह से पैदा हो जायंगी । लेकिन हां, मेरा यह अवश्य निवेदन है कि इस विधेयक को सरकार गाजियाबाद तक ही सीमित न करे जैसा कि सरकार का मंशा उस तक ही सीमित करने का मालूम होता है ।

मैंने देखा है कि इस सदन में कभी-कभी सरकार की ओर से बिल तो आ जाते हैं क्योंकि उस वक्त एक आवश्यकता सामने आती है, लेकिन फिर उनका प्रयोग नहीं होता है । मैं जानता हूं अभी एक सेल्स टैक्स बिल आया था । वह बिल जिस संशोधन के लिये आया उसमें यह कहा गया कि आवश्यकता इस बात की है कि १२ से १५ हजार तक सेल्स टैक्स देने वाले लोगों के साथ कम्प्रोमाइज करने का अधिकार दिया जाय । बिल यहां से पास हो गया । आवश्यकता समझ कर इस सदन ने अपनी अनुमति प्रदान की, लेकिन आज तक उसको कार्यान्वित नहीं किया गया । मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का वही फेट न हो । इसको कार्यान्वित करने का पूरा यत्न हो । इसकी सीमा गाजियाबाद तक ही न रहे । इसके लिये उदाहरणार्थ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बरेली में रहता हूं । बरेली के बिलकुल समीप इसी तरह की समस्या हमारे सामने आई । वहां पर एक नगर बसाया गया । वह म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा के अन्तर्गत नहीं था । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास भी ऐसे कोई बाइ-लाज बिल्डिंग को नियंत्रण करने के नहीं थे । उसका फल यह हुआ कि हमारे नगर के समीप इतनी अच्छी टाउनशिप बनी परन्तु उसमें नियंत्रण न होनेसे ड्रेनेज का ठीक प्रबन्ध नहीं हुआ और न वहां पर सड़कें आदि हैं जब कि वह एक अच्छी टाउनशिप हो सकती थी । आज इस तरह की स्थिति प्रत्येक शहर के पास उपस्थित हो रही है । जब जन-संख्या बढ़ रही है, जब प्रत्येक प्रदेश का प्रसार हो रहा है तब यह स्वाभाविक है कि हर शहर की जन-संख्या बढ़ेगी और उसमें इस तरह की समस्या सामने आयेगी । मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी समस्या आज सभी बड़े शहरों के समीप वर्तमान है । तब ऐसे विधेयक को उन सभी जगह जल्द से जल्द लागू करने का प्रयत्न होना चाहिये ।

महोदया, मैं आपकी आज्ञा से इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें नियंत्रक प्राधिकारी बनाया गया है । जिस जिले का नियंत्रण किया जायगा उससे सम्बन्धित उसमें चार आदमी सरकार द्वारा नामांकित होंगे । इस पर बड़ा एतराज किया गया और इसमें जनतंत्र का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि जनतंत्र का बड़ा हनन है इसलिये कि यह चार आदमी नामांकित होकर क्यों आ रहे हैं । यह चुनकर आने चाहिये । इसका मतलब यह है कि हर जगह जहां पर हमें कोई कार्य करना है उसको पहले चुनाव का अखाड़ा बनायें । चुनाव के अखाड़े से कुश्ती लड़कर जब निकले तब एक कदम आगे बढ़ें । मैं समझता हूं किसी जनतांत्रिक राज्य में यह नहीं हो सकता । जब जनता ने एक सरकार को चुना तो उस सरकार को निहित अधिकार है कि वह अपने अधिकरी द्वारा कार्य कराये जिसको आवश्यक समझे और जिसको जनता के लिये हित में समझें और यदि आवश्यक समझें तो परामर्श देने के लिये वह विशेष अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में नामांकित करे जिसको वह उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक समझे । तो उस अधिकार को निहित करना आवश्यक था ।

एक कमी मुझे इसमें अवश्य दिखाई देती है जिसका जिक्र मैंने माननीय उपमंत्री से किया था । वह कमी यह है कि इसमें जहां पर कुछ विशेष नामांकन है कि म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट

बोर्ड या सम्बन्धित क्षेत्र के मेम्बर उसमें होंगे, मैं समझता हूं सरकार को यह भी करना था कि उस क्षेत्र के सम्बन्धित जो लेजिस्लेचर के मेम्बर हैं वह भी नियंत्रक प्राधिकारियों में शामिल होने चाहिये थे । मैं इसलिये कहता हूं कि जब सरकार की नीति का प्रतिपादन होता है तब उन सदस्यों के ऊपर जिम्मेदारी आती है जो उस क्षेत्र के चुने हुये होते हैं । अगर वहां पर कोई अच्छाई या बुराई होती है तो उस क्षेत्र के नुमाइन्दे पर उसकी जिम्मेदारी आती है । वे न अधिकारियों से जवाब लेने का अधिकार रख सकते हैं और न उसका अधिकारियों पर अच्छी तरह से असर पड़ सकता है और न उनसे पूछा ही जा सकता है कि उन्होंने उसमें क्या हाथ बटाया । तो महोदया, मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब भी यदि कोई वैधानिक कठिनाइयों के ऊपर काबू न पाया जा सके तो सरकार इस बात का यत्न करे कि वह किसी न किसी प्रकार से उस क्षेत्र से निर्वाचित माननीय सदस्य को उसमें अवश्य स्थान दे । यदि माननीय मंत्री जी यह समझते हों कि यह कठिनाई इस समय दूर नहीं हो सकती और उन्हें जल्दी ही इस बिल को पारित कराने की आवश्यकता है तब मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक दूसरा अमेंडिंग बिल न आ सके तब तक जो चार नामांकित व्यक्तियों को रखने का अधिकार सरकार को है उनमें से ही उस सम्बन्धित क्षेत्र के सदस्य को रखना अनिवार्य है क्योंकि उनके बिना आप उस क्षेत्र के रहने वाली जनता की भावनाओं, उनकी कठिनाइयों और उनकी समस्याओं की सही जानकारी न कर सकेंगे ।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

यह भी कहा गया कि उसमें जो टाउन प्लानर हैं उनके नामांकित व्यक्ति रहेंगे । इस प्रकार जो नामांकित व्यक्ति होगा उसका क्या स्टैटस होगा ? हमारे प्रदेश में एक ही टाउन प्लानर हैं । मैं चाहूंगा भी नहीं कि इस स्कीम की आड़ में टाउन प्लानर का डिपार्टमेंट बहुत बढ़ जाय और रीजनल टाउन प्लानर्स बढ़ाकर जनता के ऊपर भार बढ़ाया जाय । जब हर डिवीजन में पी० डब्लू० डी० से सम्बन्धित काफी अनुभवी अधिकारी हैं. . . . . .

श्री रामस्वरूप यादव—हमारे यहां भी ऐसे इंजीनियर्स हैं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—जी हां, आपके यहां भी हैं, तो उनसे लाभ उठाया जाय । रीजनल टाउन प्लानर्स के पदों को सृजित न करके पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स या जो सम्बन्धित अनुभवी अधिकारी हैं उनमें से वह व्यक्ति नामांकित हो । मैं समझता हूं कि यह जो नामांकित करने की धारा है यह सर्वथा ठीक ही है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अवश्य प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें इस बात की आवश्यकता अवश्य है कि इस बिल की की आड़ में यदि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का यह यत्न हो कि उसका विस्तार हो जाय यदि ऐसा हुआ तो मैं जानता हूं कि जनता के एक्सचेकर पर एक बहुत बड़ा बोझ बढ़ जायगा और उसका रोकना बहुत आवश्यक है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें डुप्लीकेशन को यहां रोकना है । मैं चाहता हूं कि रूल्स में इस प्रकार का प्राविजन हो और म्युनिसिपल बोर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा शक्ति दी जाय और अधिकार दिया जाय और उनका सहयोग लिया जाय ।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मुझे एक बात यह निवेदन करनी थी कि एक माननीय सदस्य ने एक ही सांस में दो बातें कहीं । पहले तो उन्होंने इस बात की शिकायत की कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से कितनी आज्ञायें जारी हुईं जिनके द्वारा मकान बनाने का निर्देश किया गया, लेकिन उनका पालन भी नहीं हुआ । उन्हीं माननीय सदस्य ने यह शिकायत भी की कि १० हजार रुपये, इतने बड़े जुर्माने का प्राविजन रख दिया गया है । मैं समझ नहीं सका कि दोनों बातें कैसे संगत हो सकती हैं । यह ठीक है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के जो ऐक्ट हैं जो पुराना ऐक्ट है उनके अन्तर्गत दिये गये बाइ-लाज या अधिकारों द्वारा वह अवैधानिक कार्यवाही को नहीं रोक सकते । तब तो यह और भी आवश्यक है कि आज उस अनुभव के आधार पर कड़े प्राविजन्स किये जायें । इस विधेयक को यदि इस निगाह से भी देखा जाय तो मैं कह सकता हूं कि निश्चय ही यह उसमें सुधार है ।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

श्रीमन्, यदि आप आज्ञा दें तो मैं निवेदन करूंगा कि १०, १२ साल तक म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य और अध्यक्ष रहने के नाते मेरा अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर मैंने देखा कि म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में जो सबसे बड़ी कमी है वह यह है कि यदि कोई एरेक्शन हो रहा हो जो म्युनिसिपल बाइ-लाज की किसी धारा के विरुद्ध हो तब उसकी धाराओं में ऐसा कोई प्राविजन नहीं है जिससे उसको रोक सकें । हम जानते हैं कि वह एरेक्शन कानून के खिलाफ है, बाई-लाज के विरुद्ध है, लेकिन म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे हम उसको बनने से रोक सकें । इस दृष्टि से भी अगर देखा जाय तो प्रस्तुत विधेयक उससे आगे बढ़ा है और इसमें ऐसे अधिकार दिये गये हैं कि अगर कोई एरेक्शन हो रहा है और वह आज्ञा और नियम के विरुद्ध है तो वह रुक सकता है । मैं इस दृष्टि से भी इस प्राविजन का स्वागत करूंगा ।

श्रीमन्, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो यह रखा गया है कि यदि तीन महीने तक कोई व्यक्ति आज्ञा न पा सके तब उसको अधिकार होगा कि वह स्वतः एक महीने का नोटिस देकर उस इमारत को बना सकता है, इस पर बड़े प्रबल शब्दों में एतराज किया गया । जिस विचार की ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया उसका पूरा संरक्षण उसी क्लाज से हो जाता है जिसके द्वारा कहा गया है कि यदि तीन महीने में ऐसी आज्ञा प्राप्त न हो तो उसको अधिकार होगा कि वह स्वतः इस कार्य को कर सकता है । इस निवेदन के बाद मैं पुनः सरकार से एक ही बात दोहराना चाहता हूं कि वह केवल इस विधेयक को गाजियाबाद के लिये ही सीमित न रखे । दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में जो परिस्थिति है, उद्देश्य और कारणों को पढ़ने से ऐसा पता लगता है कि सरकार केवल उसी से प्रभावित हो कर इस विधेयक को लायी है । मैं चाहता हूं कि सरकार अच्छी प्रकार से हमारी भावनाओं को जानने की कोशिश करे और चूंकि जो नगर समृद्धि कर रहे हैं उन सब में ऐसी समस्यायें हैं अतः इसका क्षेत्र वहीं तक सीमित न रहकर प्रदेश में हर जगह जहां इसकी आवश्यकता हो, बढ़ाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं और जनमत की मांग का विरोध करता हूं ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रतापसिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति के संशोधन का समर्थन करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल इसलिये बनाया जा रहा है कि देहातों में और शहरों के नजदीक कुछ इस तरह के मकान बना लिये जाते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं होते और जिनसे हानि की संभावना समझी जाती है उनको रोका जाय ।

श्रीमन्, अपना प्रदेश वैधीय दृष्टिकोण से (कानूनी दृष्टिकोण से) दो तीन भागों में विभाजित है—टाउन एरिया हैं, नोटिफाइड एरिया हैं, और गांव सभायें हैं । नगरों में म्युनिसिपैलिटीज हैं । अपने विधेयक में यह कहीं साफ नहीं किया गया है कि यह कानून कहां लागू होगा । एक उपखंड है खंड १८ का (घ), जिसमें कहा गया है कि—"किसी गांव के, जैसा कि वह राजस्व अभिलेखों में परिभाषित हो, आवासित स्थल (inhabited site) के अन्तर्गत भूमि पर भवनों का निर्माण" यानी इन स्थानों पर मकान बनाने में कोई अड़चन इस कानून से नहीं होगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट नहीं होता कि यह कानून कहां लागू होगा । टाउन एरिया में लागू नहीं हो सकता, म्युनिसिपल बोर्ड में लागू नहीं होगा, नोटिफाइड एरिया में लागू नहीं होगा, गांव सभा में लागू नहीं हो सकता, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर यह लागू कहां होगा ? मैं यह जानता हूं कि यह कहीं न कहीं अवश्य लागू होगा, लेकिन इसका स्पष्टीकरण कहीं नहीं किया गया है ।

एक स्थान पर उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है खंड ४ के उपखंड (२) के (घ) में, जिसमें लिखा है "उस म्युनिसिपैलिटी अथवा नोटिफाइड एरिया, यदि कोई हो, का प्रेसीडेंट जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो अथवा जो विनियमित क्षेत्र से संलग्न हो ।" तो इस धारा से कुछ स्पष्टीकरण होता है कि नोटिफाइड एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा टाउन एरिया में भी वह क्षेत्र हो सकता है जिस पर कि यह कानून लागू होगा । यदि ऐसी बात है तो

में इस कानून की कोई खास उपयोगिता नहीं समझता, कारण कि इन जगहों में तो मकानों के लिये पहले से ही कानून बने हुये हैं और इस नये कानून की आवश्यकता कोई है नहीं । केवल गांव सभाओं का क्षेत्र आप के लिये रह जाता है ।

गांव सभाओं में यह लागू ही नहीं होगा क्योंकि अन्तिम खंड १८ में लिखा है कि किसी गांव के, जैसा कि वह राजस्व अभिलेखों में परिभाषित हो, आवासित स्थान के अन्तर्गत भूमि पर भवनों के निर्माण पर यह लागू नहीं होगा । अब गांव सभा की वह भूमि रह जाती है जो आबादी से बाहर की हो । इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि इस विधेयक का प्रभाव गांव के उन गरीब किसानों पर पड़ेगा जो भूमिहीन हैं या जो परिवार अधिक हो जाने के कारण बाहर मकान बनाना चाहते हैं । देहात में किसान आम तौर पर ५०० रुपये में कच्चा मकान बना लेते हैं । उसके लिये उन्हें आज के भ्रष्टाचार के युग में आज्ञा लेने में ही १००, २०० रुपया खर्च करना होगा । गांव सभा में यह नियंत्रित भी नहीं हो सकता है । इसलिये यह कानून बिलकुल निरर्थक है ।

यदि माननीय मंत्री जी कहें कि इस कानून में वे क्षेत्र भी आ जावेंगे जो म्युनिसिपल बोर्ड और नोटिफाइड एरिया इत्यादि में हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि वहां तो पहले ही से कानून है, इसलिये इसकी वहां के लिये आवश्यकता नहीं है ।

कंट्रोल बोर्ड बनाये जायेंगे और प्राधिकारी रखे जावेंगे । सरकार द्वारा मनोनीत करने का अधिकार सरकार ले रही है और गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी भी उसमें होंगे । इकोनामी कमेटी की अभी रिपोर्ट आई है कि सरकार का बहुत बड़ा खर्चा है। तो इस विधेयक में प्राधिकारी, उनका स्टाफ और लिपिक तथा चपरासी होंगे, फिर टाइपराइटर वगैरह भी होंगे । तो फिर क्यों ये इतना खर्चा बढ़ाया जा रहा है एक और विभाग खोलकर ? यह सब व्यर्थ का खर्चा है । कंट्रोल बोर्ड के सारे अधिकारी या सरकारी अफसर हैं या सरकार द्वारा मनोनीत लोग हैं । आज के युग में स्पष्ट है कि किसी पार्टी को अधिक बल मिलेगा । ऐसी परिपाटी भी हो गई है कि सरकार अधिकतर अपनी ही पार्टी के लोगों को मनोनीत किया करती है । इसलिये मैं चाहूंगा कि नामीनेशन को समाप्त किया जाय और वहां के जन प्रतिनिधि बोर्ड में हों ।

माननीय मंत्री जी का खयाल हो सकता है कि गाजियाबाद की तरफ जिन लोगों ने मकान बनायें हैं वे धनी हो सकते हैं और १०,००० रुपये का जुर्माना उनके लिये अधिक न हो, परन्तु वे इस बात की गारण्टी नहीं कर सकते कि यह कानून वहीं लागू होकर और कहीं देहात में लागू नहीं होगा । इसलिये देहात के लिये १०,००० रुपया बहुत ज्यादा होगा । वह यह भी कह सकते हैं कि १०,००० रुपये तक है और १ रुपया भी हो सकता है । लेकिन यह अनुमान करना कठिन है कि १ रुपया होगा ।

खंड ११ में लिखा है कि "प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी के अपराध की सुनवाई न कर सकेगा" । इसका तात्पर्य यह है कि कमिश्नर भी नहीं सुन सकता है यद्यपि उसे अपील सुनने का अधिकार है । वह मैजिस्ट्रेट से भिन्न है । इसलिये वह इस धारा के अनुसार तो अपील भी नहीं सुन सकता है । मैं चाहूंगा कि "भिन्न" के बजाय "निम्न" शब्द हो ।

श्री अध्यक्ष--अंग्रेजी में "इनफीरियर" शब्द है । माननीय मंत्री जी इसे नोट कर लेंगे कि निम्न शब्द इस जगह कर दिया जाय हिन्दी में ।

श्री राजेन्द्र सिंह----तो श्रीमन्, "भिन्न" के स्थान पर "निम्न" रख दिया जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कन्ट्रोल बोर्ड में माननीय यादव जी ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट को रखा है । जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट ही नहीं तो उसके स्थान पर उसका सदस्य कौन होगा । जिसका कि वहां अस्तित्व ही नहीं है वह वहां कैसे जा सकता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--उसमें नीचे दिया हुआ है कि जिसके पास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के अधिकार होंगे वही अध्यक्ष समझा जायगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह—आज तो उसका नाम जिला परिषद् है तो या तो उसका नाम जिला परिषद् रखना चाहिये था या अन्तरिम् जिला परिषद् रखना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्वाइन्ट्स के द्वारा एक चीज सदन के सामने रखी है उसको फिर से बता देना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं। पहला प्वाइन्ट यही सबसे बड़ा है कि वह कहां लागू होगा। म्युनिसिपल एरिया में, टाउन एरिया में या गांवों में। खंड ४ (२) (घ) से ज्ञात होता है कि वह म्युनिसिपल एरिया में या टाउन एरिया में लागू होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब पहले से ही वहां कानून बने हुए हैं तो फिर इस नये कानून के लाने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि इस खंड में यह बताया गया है कि कंट्रोल बोर्ड का मेंम्बर कौन होगा। उसमें लिखा गया है "उस म्युनिसिपैलिटी अथवा नोटीफाइड एरिया, यदि कोई हो, का प्रेसीडेण्ट" तो मैं पूछना चाहता हूं कि वहां इस नये कानून के लाने की क्या आवश्यकता थी ?

दूसरे मैं पूछना चाहता हूं कि गांव समाज में यह कानून किस प्रकार से लाया जायगा, क्योंकि जो इनहैबिटेटेड एरिया है उसमें तो यह लगाया नहीं जा सकता है। जब बसे हुए क्षेत्र में यह कानून लागू नहीं हो सकता तो वहां लागू होगा जो स्थान आवास स्थानों से दूर हैं, जहां ऊसर है बंजर है, या जहां की जमीन खेती के योग्य नहीं है और जहां पटवारी के कागजात में आबादी लिखी हुई नहीं है वहां पर यह लागू नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष—यह जो आप खंड ४ (२) (घ) कह रहे हैं यह कहां से कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—श्रीमन्, इसमें लिखा हुआ है कि "उस म्युनिसिपैलिटी अथवा नोटीफाइड एरिया, यदि कोई हो, का प्रेसीडेंट जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो, अथवा जो विनियमित क्षेत्र से संलग्न हो" अध्यक्ष महोदय, इससे मालूम होता है कि नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के क्षेत्रों में लागू होगा। और नियंत्रक प्राधिकारी वहीं होगा जहां म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया हो।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं इसको जरा स्पष्ट कर दूं। स्थिति यह है कि जिस विधेयक पर हम यहां विचार कर रहे हैं वह विधान परिषद् द्वारा पारित होकर आया और माननीय सदस्य के हाथ में जो प्रति है तो वह उसकी है जो पुराना हम लोगों को वितरित किया गया है, आप उसी को पढ़ रहे हैं। इसके बारे में मैंने जानकारी हासिल की तो मालूम हुआ कि विधान परिषद् से जो विधेयक पारित होकर आया है उसकी प्रतियां सदस्यों को वितरित नहीं की गयीं। इसके लिये मैं आपसे आपत्ति भी करना चाहता था। हमारे इतने लोगों के बीच में केवल एक कापी आयी है बड़ी मुश्किल से। शुक्ला जी मांगने आये थे। हमने पता लगाया तो बताया गया कि सब लोग तो इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—आपके नाम से जो pigeon holes यानी खाने बने हुए हैं, उनमें वह रखी गयी होगी।

श्री राजनारायण—हमारे दल के लिये अध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था की थी कि हमारे दल के लोगों को यहां मिलेगी, दूसरे लोग वहां से लेंगे। हमको नहीं मिला। दिक्कत यह है कि मैं इसी के बारे में नहीं कह रहा हूं बल्कि और जो बड़े-बड़े साहित्य हैं उनके लिये भी साहित्य बांटने वाले कभी हमारे यहां १८ रख आते हैं, कभी १५ रख आते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—पिजन होल में बिलकुल नहीं रखा गया है। मैं ढूंढते-ढूंढते थक गया। जो विधान परिषद् से बिल पास हुआ वह नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—तो मैं उसकी भी तहकीकात करूंगा।

श्री राजेन्द्रसिंह—श्रीमन्, जो विधेयक मेरे पास था उसी से मैं पढ़ रहा था।

श्री अध्यक्ष—मैं बड़े ताज्जुब में पड़ा कि जो आप पढ़ रहे हैं वह तो मेरे पास है ही नहीं। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि आप कहां से पढ़ रहे हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—अब मैं खंड ६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कह नहीं सकता कि जो विधेयक विधान परिषद् से पारित हुआ है, उसी क्रम में यह खंड है या दूसरे क्रम में है।

श्री अध्यक्ष—मैं एक प्रति आपके पास भेज रहा हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर—११ तारीख को फिर यह बिल आने वाला है, तो यह सबों के लिये प्रबन्ध कर दिया जाय। सिर्फ माननीय नारायण दत्त तिवारी और किसी और महोदय को यह बिल मिला है।

श्री अध्यक्ष—मैं अगली तारीख को संम्भव हो सका तो सब के पास पहुंचवा दूंगा।

श्री राजनारायण—संशोधन हम लोग कैसे देंगे, इसकी भी व्यवस्था कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—संशोधन तो आप दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—हम लोग यहीं पर बैठ कर लिख रहे हैं, हमको तो यह बतलाया गया था कि इसकी ४०० कापियां छपी हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—मैं यह कह रहा था कि "राज्य सरकार नियंत्रक प्राधिकारी के लिये ऐसे लिपिकवर्ग तथा अन्य कर्मचारीवर्ग की व्यवस्था करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे।" यह खंड ४ के उपखंड (५) में दिया हुआ है। इसी खंड के उपखंड (३) में गणपूर्ति के संबंध में दिया हुआ है।

गणपूर्ति (quorum) के निमित्त अपेक्षित सदस्यों की संख्या में तथा कार्य सम्पादन में नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो नियत की जाय, तो इस उपखंड में नियंत्रक प्राधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है। इस अधिकार के बावजूद भी उपखंड (६) में दिया हुआ है कि "नियंत्रक अधिकारी द्वारा किया गया सब कार्य उस प्राधिकारी के नाम में किया हुआ प्रकट किया जायगा तथा उक्त प्राधिकारी के नाम में दी गयी आज्ञायें तथा अन्य करण (instruments) उस रीति से प्रमाणित (authenticated) किये जायेंगे जो नियत की जाय और इस प्रकार प्रमाणित किसी भी आज्ञा या करण की वैधता पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि वह आज्ञा या करण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की गयी अथवा निष्पादित नहीं है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपखंड (३) के द्वारा प्राधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस विधेयक को कार्यान्वित करने के लिये उपनियम बना सकेगा। फिर उपखंड (६) में उपनियम बनाने वाली बात को रखने की क्या आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको निकाल दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख खंड ८ को रख रहा हूं। खंड ८ में नियत प्राधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति को किसी भी भवन अथवा स्थल में अथवा उस पर सहायकों या श्रमिकों सहित अथवा उनके बिना किसी घर में २४ घंटे की नोटिस देकर जबरदस्ती घुस सकता है और जो चाहे किसी मकान में कर सकता है। अगर कोई मकान बना रहा है तो उसके निर्माण-कार्य को हटा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल २४ घंटे का नोटिस बहुत कम है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिये कि किसी ने अपना मकान बनाया और उन्होंने उसको नोटिस दिया २४ घंटे का, तो फिर वह अपने घर के मेम्बरों को इतनी जल्दी कहां और कैसे हटा सकेगा? हो सकता है कि उस मौके पर घर का मालिक घर पर मौजूद न हो, फिर ये लोग घर के अन्दर घुस कर

[श्री राजेन्द्रसिंह]

जांच वगैरह करना शुरू कर दें तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी और तारीफ की बात तो यह है कि अगर कोई घर में घुसने में किसी तरह की अड़चन डाले तो उसके ऊपर १,००० रुपये जुर्माना करने की व्यवस्था की गयी है। मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी २४ घंटे की नोटिस में अपने घर की व्यवस्था नहीं कर सकता है।

श्री अध्यक्ष--यह कोई बहुत बड़े सिद्धान्त की बात नहीं है। जब खंडों पर विचार हो तब आप इस पर टीका टिप्पणी करें। अभी सिद्धान्त की बातें आप कहें।

श्री राजेन्द्रसिंह--सिद्धान्तों का जहां तक संबंध है माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट कर दें कि यह कानून कहां लागू होगा? गांव सभाओं में यह कानून नहीं लागू होना चाहिये, क्योंकि किसान गरीब हैं और मकान बनाने की इजाजत गवर्नमेंट से लेने की बात वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर उनको मकान बनाने के लिये आज्ञा लेनी पड़ी तो कम से कम २०० रुपये उनको रिश्वत के तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों को देने होंगे और फिर इस भुखमरी के जमाने में ५०० रुपये में मकान बन भी नहीं सकता। इसलिये अच्छा हो वे इस बात को स्पष्ट कर दें और ज्यादा अच्छा हो अगर प्रवर समिति में भेज कर यह बात स्पष्ट कर दी जाय कि गांव सभाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय प्रतापसिंह द्वारा उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन में पेश है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस विधेयक के उद्देश्य व कारण में लिखा हुआ है कि गाजियाबाद व दिल्ली के दर्मियान गाजियाबाद या दिल्लीवालों ने जो भवन बनाना शुरू कर दिया है उस पर नियंत्रण करने के लिये इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी।

जिन सज्जनों ने इसके खिलाफ अपने प्रस्ताव उपस्थित किये हैं अगर उन्होंने दिल्ली व गाजियाबाद के बीच सफर करके उन हालात को देख लिया होता तो शायद जो विचार उन्होंने यहां व्यक्त किये हैं वे विचार व्यक्त नहीं करते, और उनके विचार उनसे मुख्तलिफ होते।

कुछ सज्जनों ने कहा कि सरमायादारों को प्रोत्साहन देने के लिये यह बिल लाया गया है और गरीब किसानों पर इसके जरिये सख्ती होगी। लेकिन मेरा खयाल है कि जो इस बिल का उद्देश्य है वह बिल्कुल उसके विपरीत सोच रहे हैं।

वर्मा जी ने बहुत से सुझाव गांवों की उन्नति के लिये दिये, उनके सुझाव बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस बिल का जो आशय है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि गांवों की उन्नति के लिये यह बिल लाया गया है। इसमें तो उल्टा यह है कि जो कुछ निर्माण कार्य वहां हो रहा है उस पर नियंत्रण करने के लिये यह बिल लाया गया है। दिल्ली में चूंकि एक डेवलपमेंट बोर्ड बना है, वहां उन्होंने मकान बनाने वालों पर नियंत्रण कर दिया है। जब से जमुना दरिया के किनारे पर शहादरा बांध बना है उस दिन से गाजियाबाद व दिल्ली के दर्मियान की जगह ज्यादा सुरक्षित हो गयी है। इसलिये दिल्ली में पैसे वाले लोग वहां किसानों से सस्ती जमीन ले कर और उस पर प्लाट बना कर बेच देते हैं और नफा उठाते हैं। उन्होंने बहुत सी जगह इस तरह घेर ली है। अगर उन पर नियंत्रण न किया जाय तो बड़ी हानि होने का अन्देशा है।

माननीय सदस्य गाजियाबाद जाकर कुछ बस्तियां देख लें, वह बड़ी साफ सुथरी बस्ती है। जो भूतपूर्व चेयरमैन थे उन्होंने काफी मेहनत करके उस शहर को साफ सुथरा करने की कोशिश की। फिर भी कुछ बस्तियां वहां ऐसी मिलेंगी जो हरिजन बस्तियां हैं जिनकी गलियां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

३-४ फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं होंगी। अगर दुर्भाग्यवश वहां आग लग जाय तो फायर इंजिन वहां नहीं जा सकता और नल का पानी तक वहां नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि अगर वहां नल लगा दिया जाय तो इतनी जगह नहीं रहती कि लोग आ जा सकें।

ऐसी हालत में गाजियाबाद में म्युनिसिपल बोर्ड भी है और उनके बाई-लाज भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इन आबादियों को वह बनने से रोक नहीं सके और बहुत सी आबादियां है जिनकी सीट को अभी तक पब्लिक सीट नहीं करार दिया गया है। वहां एक मिल मालिक ने एक आबादी बसायी है। वह आबादी कोई दस पन्द्रह हजार से बनी है और लाखों रुपया किराया उस आबादी से उसने वसूल किया है। लेकिन अब तक वहां नालियां नहीं बनी हैं। अभी तो मैंने केवल हरिजन आबादियों का जिक्र किया था। वह तो बेचारे गरीब आदमी हैं। लेकिन जिसका अब जिक्र कर रहा हूं वह भी चूंकि एक ऐसी हालत में बनी है कि कोई उसका प्लान पास नहीं करवाया गया या चूंकि वह एक मजबूत व्यक्ति था तो उसने आबादी बना दी और अब कोई म्युनिसिपल बोर्ड के बाई-लाज ऐसे नहीं हैं कि उनसे रुपया वसूल करके उस इलाके को डेवलप करें। मकान बने हुए हैं, लेकिन पानी के निकास का या नालियों का कोई इन्तजाम नहीं है। ऐसे ही जो आजकल के चेयरमैन हैं उन्होंने भी एक आबादी चन्द्रपुर नाम की बनायी है। मकान बहुत अच्छे बने हुए हैं। हजारों की लागत से बने होंगे, लेकिन उसका पानी एक बूंद भी बाहर नहीं निकला।

तो जो सज्जन यह कह रहे थे कि यह बिल नहीं आना चाहिये और जैसा कि और सज्जनों ने कहा कि म्युनिसिपल बोर्ड के बाई-लाज लोगों को मकान बनाने से नहीं रोक सकते। ज्यादा से ज्यादा यह होता है कि अगर कोई मकान बना ले तो उसके बाद कम्प्रोमाईज हो जाता है और पांच एक रुपया उस पर जुर्माना हो जाता है। जिन सज्जनों को यह खतरा है कि किसान को इससे तकलीफें होगी तो वह इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसानों पर यह लागू ही नहीं होता है। यह तो सिर्फ उन मकानों को रोकने के लिये है जो कि म्युनिसिपल बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड के बाहर जो खाली मैदान हैं उनमें जो अमीर लोग किसानों की जमीन सस्ती लेकर उसके बाद प्लाट बनाकर उसको बेचना चाहते हैं। आप अगर दिल्ली जायं और जाकर उस इलाके को देखें तो आपको नजर आयेगा, मीलों तो कहना ज्यादा होगा, लेकिन कई-कई बीघे जमीन लोगों ने घेर ली है क्योंकि इसमें यह है कि अगर वह घेर लेगा तो वह जो चाहे कर सकता है। उसमें वह खेती कर रहे हैं। लेकिन उसके चारों तरफ दीवार बना दी है ताकि वह इस ऐक्ट से बच सकें। इसलिये मेरा विचार है कि यह बिल बहुत जरूरी है।

मैं एक और आबादी का जिक्र करता हूं जिसका नाम है सुन्दरपुरी। स्टेशन पर आप जायं तो उसके पश्चिम की तरफ वह आबादी बसी हुई है। उसके एक तरफ तो रेलवे की हद है और दूसरी तरफ चांदमारी है। जिस समय उस आदमी ने उस जमीन को बेचा और लोगों ने खरीदकर मकान बना लिए उस वक्त रेलवे वालों ने मना नहीं किया। उन्होंने अपने दरवाजे और खिड़कियां रख लीं रेलवे की तरफ। लेकिन अब रेलवे वालों ने वहां दीवार बना दी है। तो दो साल से आबादी वालों की कोशिश है और वह डेप्युटेशन पर डेप्युटेशन ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो दीवार रेलवे वाले बना रहे हैं उसमें से शहर में आने का रास्ता मिल जाय। एक तरफ वह रेलवे की दीवार आ जाती है और दूसरी तरफ फायरिंग रेंज की दीवार आ जाती है। इन दोनों के बीच में वह आबादी बनी हुई है। जिस वक्त वह आबादी बनी किसी ने खयाल नहीं किया और आज अब उनको दिक्कत हो रही है। मिस्टर बेवन भी वहां गये थे, और भी व्यक्ति उस आबादी को देखने के लिये आते हैं क्योंकि उस आबादी वालों ने अपने गलियारे बहुत अच्छे पक्के कर लिये हैं और जो बाहर से हमारे मेहमान आते हैं उनको दिखाने के लिये हमारे अधिकारी वहां से आते हैं। जब उनके गलियारे कच्चे थे तो उनकी नालियों का पानी गलियारे में ही गल, सड़ के खत्म हो जाता था, पर जब से उन्होंने उसे पक्की बनवा ली है उसकी निकासी का कोई इन्तजाम नहीं है। वहां मोटर या तांगा

[श्री तेजा सिंह]

जाने का भी कोई इन्तजाम नहीं है। जब बेवन साहब आये तो रेलवे के हद्द से उनको ले जाया गया। अगर पहले ही यह खयाल कर लिया जाता कि पहले उसको डेवलप करें तब आबादी को बसाया जाय, तो आज यह दिक्कत न होती। इसलिये यदि इस तरह से इन आबादियों को न रोका गया तो उसके बाद सरकार को ही तकलीफ होगी कि उनके लिये रास्ते और ड्रेनेज का इंतजाम करना पड़े।

जहां मैं इसका समर्थन करता हूं वहां एक खतरा भी है कि हमारी सरकार के काम में कुछ ढील आ जाती है। एक रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट बना ताकि उन सड़कों के साथ जो हाईवेज हैं उनके साथ मकान न बनें यह ऐक्ट सन् १९४९ में पास हुआ था, लेकिन उसके रूल्स १९५७ में बने। तो इसमें भी अगर ऐसी भूल की गई कि ८,१० साल तक रूल्स न बनें और किसी को तब तक इजाजत न दी जाय तो गाजियाबाद में पहले ही मकानों की कमी है, बड़ी मुश्किल से मकान मिलते हैं। नतीजा यह होगा कि मकान बनने बन्द रहेंगे और लोगों को किराये पर मकान मिलने में काफी दिक्कतें पैदा हो जायेंगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही रूल्स बनाने का काम भी जल्दी ही किया जाय।

जो नियंत्रक कमेटी बनेगी उसमें म्युनिसिपिल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। मेरा सुझाव है कि जिस इलाके में कोई आबादी बसानी हो, जिस गांव की जमीन ली जाय, चाहे गवर्नमेंट एक्वायर करे चाहे सेठ लोग लें या लोग खुद खरीदें ले, तो मेरा सुझाव है कि उस गांव के प्रधान को भी उसका मेम्बर जरूर रखना चाहिये।

मुझे एक और थोड़ा सा खतरा नजर आता है। खंड १८ में दिया हुआ है कि जो किसान रहने के लिये कोई मकान बनायेगा तो उसको इजाजत उसमें मकान बनाने के लिये नहीं होगी, लेकिन कृषि के कार्यों के लिये इजाजत है। अब चकबन्दी होने वाली है, हो सकता है कि जब चकबन्दी हो जाय और जिस इलाके को सुरक्षित इलाका घोषित किया जायगा उसमें किसान लोग चाहेंगे कि सिर्फ कृषि के कार्य के लिये ही अपने चकों पर न रहें, हो सकता है वह अपना घर भी बनायें और रहना भी शुरू करें। तो इसके लिये भी कोई प्रोवीजन होना चाहिए कि अगर किसान अपने चक पर रहकर मकान बनाना चाहे तो इसकी भी इजाजत होनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने यह शक जाहिर किया था कि जो बिल लाया गया वह इसलिये लाया गया है कि मंत्री जी या सभा सचिव अपने लड़के के लिये या किसी सम्बन्धी के लिये कोई पोस्ट क्रीयेट करना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात हो तो माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं मैंने उसको रोक दिया था कि ऐसी बात न कही जाय। यह कोई बहस का तरीका नहीं है।

श्री तेजासिंह--मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं इस खतरे के साथ कि रूल्स जल्दी बनाये जायं और उसमें ढील न की जाय।

***श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामस्वरूप वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

यह विधेयक खासतौर से बढ़ती हुई आबादी के सम्बन्ध में सदन के सामने आया है। चाहे वह दिल्ली में बढ़ रही हो या गाजियाबाद में, या लखनऊ में या कानपुर में। यह इन कस्बों और शहरों और गांवों से सम्बन्धित है। यह मानी हुई बात है कि शहरों में आबादी बढ़ रही है और जब शहरों की आबादी बढ़ती है तो वह गांवों की तरफ ही बढ़ती है। मैं खासतौर से यह कहना चाहता हूं कि जो नियंत्रण लगाया जा रहा है उसमें यह है कि सुव्यवस्थित ढंग से,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजनाबद्ध रूप से यह कार्य किया जाय। दरअसल इस दृष्टिकोण की जरूरत है कि जिन लोगों को शहरों में नई ज़मीन की आवश्यकता है और जो घनी आबादी से हटकर मकान बनाना चाहते हैं उनको सरकार की ओर से कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिये। ऐसा न हो कि जिनके बाहर मकान बने हैं उन को गिराने की व्यवस्था की जाय, या जो सड़क के किनारे हैं उन को गिराया जाय, या नालियों के कारण हटाया जाय। इस तरह की चीजें यदि हुई तो नागरिक जीवन के साथ अन्याय होगा। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति शहरों से बाहर आबाद होना चाहते हैं उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिले, यह न हो कि वह किसी दंड या जुर्माने की स्कीम के अनुसार दंडित किये जायं ऐसी हालत में हमारा विकास रुक जायगा।

इसके अलावा हमारे गांवों की समस्या भी बहुत जटिल है। हर माननीय सदस्य को यह अच्छी तरह से मालूम है कि वहां का जीवन इतना अस्त व्यस्त है, इतना ढीला ढाला है, रहन-सहन का स्तर इतना गिरा हुआ है कि उस को जल्द सुधारने की आवश्यकता है। उसको अगर केवल कानूनी ढंग से ही सुधारा गया तो यह समस्या हल नहीं हो सकेगी। उनमें ऐसा उत्साह पैदा किया जाय, ऐसी योजना उनके समक्ष रखी जाय जिसको पाकर गांवों का जीवन सुधर सके। गांवों के अन्दर जो घर बने हैं वह ऐसी संकीर्ण जगह में बने हैं कि उन्हीं में जानवर भी रहते हैं, आदमी भी रहते हैं और अनाज और खेती का सामान भी उन्हीं में रहता है। इसलिये विशेष रूप से इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। शहरों, कस्बों आदि की ओर सरकार का ध्यान जल्द जाता है, दिल्ली में आबादी बढ़ी, गाजियाबाद में लोगों ने मकान बनाना आरम्भ कर दिया, लेकिन हमारे गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति अब भी गिरी हुई है, उनकी ओर सरकार उचित ध्यान नहीं देती है। आज हमारे गांवों में लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहां भी हमें रहन-सहन के तरीके को सुधार कर अच्छा समाज बनाना है। अगर सरकार की यही नीति रही कि गांवों से अधिक टैक्स वसूल किया जाय और निर्माण-कार्य शहरों में ज्यादातर हुआ, वहीं अच्छी सड़कें और बढ़िया मकान बने और गांवों की तरफ उपेक्षा की नीति रही तो यह विधेयक अपूर्ण रह जायगा। अभी श्री विभव जी ने कहा है कि यह विधेयक जो सदन के सामने है वह अपूर्ण है। जब कांग्रेस बेंचेज की तरफ से ही ऐसी आवाज आये तो यह जरूरी बात हो जाती है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। वहां पर इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाय जिस से हमारे प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो। गांव, कस्बे, शहर आदि का सब का साथ-साथ विकास हो। यदि इस तरफ ध्यान दिया गया तो गांवों का जीवन भी सुधर सकता है।

सब को मालूम है कि गांवों के रास्ते, कुयें मकान, नालियां आदि किस हालत में रहती हैं, वहां अधिकतर घर कच्चे होते हैं। उन के बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है कि वे किस तरह से पक्के और मजबूत बनवाये जा सकते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि गांवों में कोआपरेटिव ढंग से ईंट के भट्टे बनवाये जायं और उनके लिये सरकार की तरफ से कोयला और रुपया अनुदान के रूप में दिया जाय तो वहां के मकानों की समस्या का कुछ हल हो सकता है। परन्तु आज भी कोयला जो व्यक्तिगत रूप से भट्टे भी चला रहे हैं उन्हीं को दिया जाता है और वे मनमाने दामों पर ईंट बेचते हैं। तो भवन निर्माण के लिये जरूरी हो गया है कि सस्ते दामों पर ईंटा और लोहा मिले। यह मानी हुई बात है कि आज जितना लोहा है वह शहरों में खर्च हो जाता है और उसका बहुत थोड़ा अंश गांवों में पहुंच पाता है। किसानों को एक तो लोहा मिलता ही नहीं है और यदि मिलता भी है तो १०-५ बार सप्लाई आफिस का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इसलिये एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो नये निर्माण की ओर जा रहे हैं उनके लिये सब तरह की सुविधायें प्रदान की जायं।

सरकार की तरफ से जो योजना है वह सुनियोजित नहीं है। कोई नक्शा सरकार के सामने नहीं है कि किस तरह से घरों का निर्माण हो, रास्ते का निर्माण हो, नालियों का निर्माण हो। इसके लिये सरकार का न तो कोई इंजीनियर है और न कोई सुझाव देने वाला ग्राम सेवक ही है। पुराने ढंग से ही मकानों का निर्माण हो रहा है। यह काम सरकार का है। सरकार

[श्री सजीवनलाल]

के पास एक नकशा हो कि इस तरह से मकान बनेंगे, खिड़कियां बनेंगी, दरवाजे बनेंगे, इधर जानवर बांधने की जगह होगी। अगर यह चीज नहीं है तो हम समझते हैं कि सरकार की योजना अधूरी है। किसानों की इतनी बड़ी संख्या है कि शहर की जिन्दगी इनके ही ऊपर निर्भर है। फिर देहात के किसानों के उत्थान के लिये क्यों नहीं नियम रखे गये हैं। शहरों के अन्दर आज भी ऊंची-ऊंची अट्टालिकायें बनाई जा रही हैं, चौड़ी-चौड़ी सड़कें बन रही हैं, लेकिन गरीब किसानों के लिये जिसने अपना सर्वस्व देकर शहरों की जिन्दगी को स्थापित किया है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक अधूरा रहेगा। इसलिये किसानों के लिये भोजन, वस्त्र और घर के लिये ध्यान देना चाहिये।

सरकार के इस ११ साल के जीवन में किसानों का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं हुआ है। इसलिये हमारा सुझाव है कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। सिर्फ गाजियाबाद, कानपुर या लखनऊ की आबादी की तरफ ही ध्यान न दिया जाय, बल्कि किसानों के जीवन के बनाने के लिये विशेष ध्यान दिया जाय। यह मानी हुई बात है कि जब शहरों में आबादी बढ़ती है तो लोग गांव की तरफ जाते हैं और जब कानपुर की आबादी बढ़ी तो बहुत से किसानों के खेत उसके अन्दर ले लिये गये। इसलिये उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरी यह कि सरकार के पास कोई ऐसी योजना होनी चाहिये जो ग्रामों के विकास में हरिजनों का भी साथ दे सके। आज यह मानी हुई बात है कि हरिजनों की संख्या गांवों में काफी मात्रा में है, लेकिन उनके विकास का सरकार के पास कोई नक्शा नहीं है। उनका जीवन स्तर उठाने के लिये जो नक्शा सरकार के पास है, लेकिन वह नहीं के बराबर है। आज प्रत्येक गांव में जाइये तो मालूम होगा कि सरकार की ओर से उनके विकास के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है और उनको सुविधा भी प्राप्त नहीं हो सकी है और अगर कुछ हुई भी है तो वह नहीं के बराबर है जिससे उनका कोई उत्थान नहीं हो सकता है। आज हरिजनों को बड़ी मुसीबत उठानी पड़ रही है यह किसी से छिपा नहीं है और सभी माननीय सदस्य इसको जानते हैं कि गांवों के अन्दर रहने के लिये, उनके मकानों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। इस बिल में इस बात पर विचार नहीं किया गया कि जो लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कहीं भवन निर्माण करवाना चाहते हैं, उनको जो प्रोत्साहन या सुविधा मिलनी चाहिये वह नाकाफी है। इसलिये मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि सुबह से उठने बैठने के बाद यह कीमती टाइम मुझे भी आपने दिया है। मेरे बोलने से पहले इस प्रस्तुत विधेयक पर इस सदन के काफी सदस्यों ने अपनी ओर से प्रकाश डाला है। मैं भी इस बिल का स्वागत करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं और साथ ही इसमें जो संशोधन पेश किये गये हैं वह अनावश्यक हैं या इसके लिये उचित यह स्थान नहीं है, इसलिये उन संशोधनों का विरोध करना चाहता हूं।

अभी जब सभी संशोधन पेश हुये थे तो आप यहां चेयर पर थे। हम लोगों ने देखा कि अपोजीशन की तरफ से बोलने वाले हमारे दो एक साथी इतने जोश में आ गये थे कि तमाम अंटसंट बातें कहने की हिम्मत उन्होंने की और वह कह भी गये। उसी के साथ-साथ उन्होंने दो एक खंडों का रिफरेंस दे कर यह आक्षेप किया कि इस बिल की आड़ में सरकार पूंजीपतियों को परवरिश देना चाहती है। मैं नहीं जानता कि उनको यह गंध कहां से मिल गयी कि यह बिल पूंजीपतियों के लिये है। उन्होंने खंड १६ का रेफरेंस दिया कि कोई अधिकारी सद्भाव के लिये काम करेगा। तो सद्भाव की व्याख्या में यह लगा लिया कि पूंजीपतियों की परवरिश के लिये सद्भाव शब्द रखा गया है। मैं नहीं समझता हूं कि जो अधिकारी काम करेगा या इस बिल के अन्दर जो स्कीम चलेगी अगर उसमें माननीय सदस्य यह पढ़े होते तो उनको पूरे तौर से इस बात का ज्ञान होता कि जो इसमें बातें निहित हैं, इस बिल में जिन कामों का सम्पादन होगा वे ऐसे

कार्य हैं जो आम जनता से संबंधित हैं, उन्हीं की सुविधा और सुख के लिये, आराम के लिये इस बिल को लाना बहुत जरूरी हो गया है। इसको उन्होंने उल्टे रूप में देखा। बल्कि उन्होंने उस ऐक्शन का भी हवाला दिया, जिसमें सरकार ने रखा है कि जो इस कानून को तोड़ेगा उसको दस हजार रुपया जुर्माना और पांच सौ रुपया रोजाना पेनाल्टी होती रहेगी जो लोग उसका पालन न करें, जो उनको आदेश दिया गया है, उसको भी उन्होंने उल्टे रूप में देखा कि यह भी सरकार की तरफ से ज्यादती है। मैं इसको सदन के फैसले पर छोड़ देता हूं कि वह दोनों बातों को देखे। एक तरफ वह सरकार की नीयत पर शुबहा करते हैं कि सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिये, उनकी परिवरिश के लिये बिल ला रही है और दूसरी तरफ वह यह मांग करते हैं कि दस हजार का जुर्माना बहुत ज्यादा है और पांच सौ रुपया पेनाल्टी बहुत ज्यादा है तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार पूंजीपतियों के फेवर में है या उनको परेशान करने के फेवर में है या उनको उचित जगह पर लाने के लिये है यह उनके ऊपर छोड़ता हूं। इस बात को देखें तो उनको यह भी खयाल करना चाहिये कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जैसा कि हमारे भाई तेजा सिंह जी ने बतलाया जो कि उनके जिले में हुआ तो उससे यह साफ जाहिर है जिसकी वजह से पूंजीपति और धनवान लोग अपने पैसे का बेजा फायदा उठाकर समाज के दूसरे लोगों के रास्ते में या लोगों के दैनिक जीवन में एक अड़चन पैदा करने के लिये सामने आते हैं तो ऐसी दशा में उनके ऊपर दस हजार या इससे भी ज्यादा पेनाल्टी रखी जाय और वह पेनाल्टी सरकारी खजाने में आकर जमा हो और जमा होने के बाद उससे उन गरीबों का भला हो जिसकी दुहाई रामस्वरूप जी वर्मा और सजीवनलाल जी ने दी है, और जिन हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के लिये उन्होंने दुहाई दी है तो यह उचित ही है। मैं तो यह समझता हूं कि इस विधेयक का हमारे विरोधीदल के साथियों को तहेदिल से समर्थन करना चाहिये था।

हमारे राजनारायण जी हमेशा समाजवाद की क्रान्तिकारी बातें करते हैं। उनको इस इस बात के लिये आभार प्रकट करना चाहिये था कि सरकार की इस बिल के जरिये से यह कोशिश है कि जो पूंजीपति किसी तरह से दूसरों को दबा सकते हैं उनको दूसरों की सुख-सुविधा को हनन करने का मौका न दें। उनके लिये तो यह उल्टी बात हो गई कि "उल्टे चोर कोतवाल को डांटे" इसलिये मैं यह कहता हूं कि यह स्पष्ट बात है कि जो धनी आदमी हैं उनके ऊपर यदि इस तरह से इम्पोज किया जाता है तो इसमें दो राय नहीं हो सकती और इनके लिये विरोधीदल को तहेदिल से समर्थन करना चाहिये।

मैं दो एक बातें इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर यह शंका प्रकट की गई और यह कहा गया कि इस बिल में यह प्राविजन नहीं है कि जो आज्ञा लेने वाला व्यक्ति होगा उसको जल्दी आज्ञा मिल जाय। जो मकान बनाने की आज्ञा लेने वाला व्यक्ति होगा वह नियंत्रक प्राधिकारी के पास दरख्वास्त देगा तो उसके अन्दर सीमा का नियंत्रण नहीं है। यह शायद ब्रजनारायण जी ने कहा था जिन्होंने पहले ही अपना प्रस्ताव रखा था। मैं उनका ध्यान इसी विधेयक की तरफ ले जाना चाहता हूं। उन्होंने अगर इसको पढ़ने की कृपा की होती तो इसमें यह लिखा हुआ है कि ९० दिन के अन्दर वह नियंत्रक प्राधिकारी उनको इत्तला देगा कि उनके मामले में उसने क्या फैसला किया है। इसके साथ-साथ मैं इस बिल को बहुत ही डेमोक्रेटिक दृष्टि से देखता हूं इसलिये कि इसके जो उद्देश्य और कारण हैं उनमें यह दिया हुआ है कि इस बिल को लाने का यही आधार नहीं है, बल्कि इसमें रिफरेंस दिल्ली के रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशंस ऐक्ट का है जो इसी कारण से सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने बनाया था। तो जब मैं इस बिल की तुलना उससे करता हूं तो यह देखता हूं कि यह बिल जो है बहुत ही डेमोक्रेटिक है उस बिल से इस मायने में कि इस बिल में· · ·

श्री अध्यक्ष—अब आप कल बोलियेगा।

(कुछ ठहर कर)

[श्री अध्यक्ष]

मैं यह सूचना देना चाहता हूं, मुझे बताया गया है, कि जैसा कि यह विधेयक विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है उसकी प्रतियां आदरणीय सदन के सदस्यों को नहीं मिलीं, लेकिन यह कार्यवाही में दिया हुआ है कि ९ दिसम्बर, सन् १९५७ को वह सदन की मेज पर रखी गयी थीं, यानी जिस वक्त ९ दिसम्बर, १९५७ को यहां पर रखी गयीं तो माननीय सदस्य अपने-अपने घर को ले गये होंगे। यह परिषद् की तरफ से छपकर यहां पर आती हैं उस संख्या में जिस संख्या में हमारे यहां पर सदस्य हैं। वह प्रतियां यहां पर आयीं और सबको बांट दी गयीं। १०,१२ प्रतियां बची हुई थीं। तो जो सदस्य घर से अपनी प्रति नहीं लाये थे और जिन्होंने खासतौर पर हासिल करने की कोशिश की उनको वे बची हुई प्रतियां मिल गयीं। अब इस वक्त उनका फिर से छपना असम्भव है। यह बात सम्भव नहीं है कि अब उनको चार पांच सौ की संख्या में फिर छपवा कर बंटवा दिया जाय। इसलिये यदि आवश्यकता पड़े तो माननीय सदस्य जिनके पास वह प्रतियां हैं उनसे लेकर प्रयोग करें। लेकिन मैं अब इस विधेयक को दोबारा छपवाने के लिये नहीं कहूंगा। यह मैं सूचना देना चाहता हूं।

अब हम उठते हैं और कल फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
७ अगस्त, १९५८।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर)

घटना का संक्षिप्त विवरण

ग्राम रामपुर कटचूड़ा, पट्टी वल्ला गेवाड़, जिला अल्मोड़ा के निवासी श्री कमलसिंह जो लोक सहायक सेना से नायक के पद से पदच्युत किये गये थे, के पास एक मारने वाली (सी० एस० बी० एम० एल०) बन्दूक थी जिसका लाइसेन्स जिलाधीश ने १९-२-१९५८ को रद्द कर दिया। श्री कमलसिंह ने उक्त बन्दूक जमा करने से इनकार किया और जब बन्दूक तथा लाइसेंस जब्त करने के हेतु हल्के के पटवारी दिनांक १०-७-१९५८ को उनके घर गये तो श्री कमलसिंह और उनके परिवार वालों ने पटवारी और उसके साथ के आदमियों पर हमला कर दिया जिससे पटवारी को भागना पड़ा। तत्पश्चात् एक नायब तहसीलदार एक एस० आई० पुलिस और कुछ सिपाहियों को लेकर श्री कमलसिंह को गिरफ्तार करने तथा बन्दूक जब्त करने गये। श्री कमलसिंह ने उनका भी मुकाबला किया और उन पर गोली चलाई। पर इस पर १४-७-१९५८ को पुलिस पार्टी श्री कमलसिंह को पकड़ने को गई। कमलसिंह ने उस पुलिस पार्टी पर कई बार गोली चलाई। पुलिस ने कमलसिंह का घर घेर लिया और उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा। परन्तु उन्होंने और उनके परिवार वालों ने नहीं माना और विरोध किया। अन्त में उनको पकड़ने तथा नाजायज बन्दूक जब्त करने एवं अपने बचाव में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप श्री कमलसिंह के एक भाई की मृत्यु हुई और परिवार के तीन सदस्य जिनमें श्री कमलसिंह तथा उनकी स्त्री भी थी जख्मी हुये। जख्मी व्यक्तियों को रानीखेत उपचार के लिये भेज दिया गया और मृतक शरीर भी रानीखत पोस्टमार्टम के लिये लाया गया।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर)

भिन्न-भिन्न उद्योगों की सूची जिनके विकास हेतु १९५७–५८ में लोगों ने सहायता की मांग की

१--सिलाई उद्योग
२--चश्मे के शीशे बनाने का उद्योग
३--साइकिल के हिस्से बनाने का उद्योग
४--फर्नीचर व लकड़ी के अन्य वस्तुएं बनाने का उद्योग।
५--जूता व अन्य चर्म वस्तुएं बनाने का उद्योग
६--ब्रुश उद्योग
७--ड्राई क्लीनिंग (dry cleaning)
८--प्लास्टिक उद्योग
९--पेन्ट व वार्निश उद्योग
१०--रंगाई व छपाई उद्योग
११--लोहे के बक्स बनाने का उद्योग
१२--बर्तन बनाना
१३--नमक शोधन उद्योग
१४--स्याही बनाना
१५--ताड़-गुड़ उद्योग
१६--तेल घानी, आटा व धान चक्की उद्योग
१७--लोह उद्योग
१८--कढ़ाई उद्योग
१९--गन्ना पेरने का उद्योग
२०--ब्लाक बनाने का उद्योग
२१--तार की कीलें बनाने का उद्योग
२२--हस्त कर्घा उद्योग
२३--चर्म शोधन उद्योग
२४--खंडसारी उद्योग
२५--होजरी उद्योग
२६--बिस्कुट फैक्टरी उद्योग
२७--क्राउन कार्क बनाना
२८--बुनाई उद्योग
२९--साबुन उद्योग
३०--कटलरी उद्योग
३१--अम्बर चर्खा उद्योग
३२--सेफ्टीरेजर उद्योग
३३--पीतल उद्योग
३४--बीज पेराई उद्योग
३५--डेरी उद्योग
३६--दरी बनाना
३७--जिल्द साजी
३८--खराद मशीन
३९--औषधि निर्माण उद्योग
४०--बरफ उद्योग
४१--हस्त निर्मित कागज उद्योग
४२--कैल्शियम कार्बोनेट उद्योग
४३--फाउन्टेनपेन बनाना

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बाराबंकी जिले में जो उद्योग जिन-जिन स्थानों में खोले गये हैं तथा उनमें इस समय जो व्यक्ति लगे हैं उसका विवरण निम्नप्रकार है

क्रम-संख्या	योजना का नाम	स्थान का नाम	उद्योग का नाम	व्यक्तियों की संख्या
१	औद्योगिक शिक्षालय योजना	हरहा	लोहारी	१७
		फतेहपुर	काटन पाईल कार्पेट ..	१०
२	सघन विकास योजना]	रामनगर	काष्ठकला तथा चाक् आदि बनाना ..	२९
		रुदौली	काष्ठकला तथा साबुन बनाना	१४
		मसौली	कर्घा निर्माण तथा फिटर एवं मैकेनिकल उद्योग ..	१४
३	हथकरघा योजना	बाराबंकी	उत्पादन केन्द्र, बिक्री घर, रंगाई घर तथा पैटर्न मेकिंग केन्द्र	लगभग २,०००
		दाराहारा	उत्पादन कन्द्र	
		मसौली	उत्पादन केन्द्र, बिक्रीघर तथा रंगाई घर	
		हरियाबाद	उत्पादन केन्द्र	
		फतेहपुर	उत्पादन कन्द्र	
४	गुड़ योजना	पोखरा, बहुटा, बहादुरपुर, लछिमनगढ़, हसनपुर, गौरवा उसमानपुर, बाड़ा, खरखोटिया, तेजवापुर, घटकोइयां		लगभग ३,६००

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २०३ पर)

गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २०, १९५६।

गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २०, १९५६।

यह इष्टकर है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ को आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संशोधित किया जाय;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा २ का संशोधन।

२—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(त) 'अध्यापक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध कालेज अथवा किसी घटक कालेज द्वारा, वहां पढ़ाये जाने वाले पाठ्य-क्रम के किसी विषय में शिक्षण देने अथवा अनुसंधान विषयक पथ-प्रदर्शन अथवा अनुसंधान संचालन के लिये रक्खा गया हो तथा इसके अन्तर्गत प्रिंसिपल भी है।"

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा ५ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (२) में शब्द "विश्वविद्यालय" तथा "के अनुमोदन से" के बीच में आये हुए शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "कुलपति" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा ८ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (४) की मद (ग) में शब्द "जो" तथा "में एतदर्थ" के बीच में आये हुए शब्द "अध्यादेशों" के स्थान पर शब्द "परिनियमों" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा १४ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १४ में—

(१) उपधाराएं (५) तथा (६) निकाल दी जायं, तथा

(२) उपधारा (८) में अंक तथा शब्द "उपधारा (५) के खंड (क) या" निकाल दिये जायं।

६—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (३) में शब्द "वित्त समिति" तथा उसके पश्चात् आया हुआ अर्ध-विराम (comma) निकाल दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा १६ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा १७ में—

(१) उपधारा (१) के वर्ग १ में मद (४) के पश्चात् निम्नलिखित मद (४-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(४-क) उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर विधि द्वारा स्थापित अन्य समस्त विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति"

(२) उपधारा (१) के वर्ग ४ की मद (१२) में शब्द "नियत किये जायं" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"उन पंजीकृत स्नातकों में से जो विश्वविद्यालय, घटक कालेज, संबद्ध कालेज अथवा 'हाल' की सेवा में न हो, ऐसी संस्थिति के पंजीकृत स्नातकों द्वारा जो नियत की जाय एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार निर्वाचित होंगे।"

(३) उपधारा (२) निकाल दी जाय।

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा १७ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (१) में—

(१) मद ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—
"५—सम्बद्ध कालेजों के दो प्रिंसिपल;"

(२) मद ६ में शब्द "विभागाध्यक्षों (Heads of Departments)" के स्थान पर शब्द "डीन (Dean)" रख दिया जाय;

(३) मद ७ में शब्द "उस रीति से जो नियत की जाय" के स्थान पर शब्द "एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार" रख दिये जायं; तथा

(४) निम्नलिखित उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन अथवा नामनिर्देशन द्वारा लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिये कार्यकारिणी परिषद् की सदस्यता का पात्र न होगा।"

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा २० का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (३) में शब्द "तथा परीक्षकों" तथा "को देय शुल्क" के बीच में आये हुए शब्द "की नियुक्ति और परीक्षकों" निकाल दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा २१ का संशोधन।

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा २४ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा २४ में—

(१) उपधारा (६) में शब्द "विभाग का सबसे ज्येष्ठ (senior-most) प्रोफेसर" के स्थान पर शब्द "विभाग में विश्वविद्यालय का सबसे ज्येष्ठ (senior-most) अध्यापक" रख दिये जायं; तथा तत्पश्चात् आया हुआ अर्द्धविराम तथा शब्द "और यदि किसी विभाग में प्रोफेसर न हो तो विभाग का सब से ज्येष्ठ रीडर अध्यक्ष होगा" निकाल दिये जायं।

(२) उपधारा (८) में शब्द "पाठ्य-क्रम और अध्ययन समितियों (Committees of Courses and Studies)" के स्थान पर शब्द "अध्ययन मंडलों" रख दिये जायं; और तत्पश्चात् शब्द "समितियों" के स्थान पर शब्द "मंडलों" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा २७ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा २७ में उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(३) जब अधिनियम में निर्वाचन की व्यवस्था की गई हो तो ऐसा निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा और जब परिनियमों में ऐसी व्यवस्था हो तो यह परिनियमों में नियत रीति से होगा।"

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा २८ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा २८ की उपधारा (४) में शब्द "प्रकृत नियुक्ति (substantive appointment)" तथा "के लिये" के बीच में शब्द "अथवा ६ मास या इससे अधिक के लिये अस्थायी नियुक्ति" जोड़ दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा ४२ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा ४२ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड (ख) में अंक "४३" के स्थान पर अंक "४४" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम सं० २०, १९५६ की धारा ५३ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा ५३ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "दिनांक से" तथा "मास" के बीच में आये हुए शब्द "चौबीस" के स्थान पर शब्द "छत्तीस" रख दिया जाय।

निरसन।

उ० प्र० अध्यादेश सं० ५, १९५८

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९०४।

१५—गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों कि वह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित विधायन हो।

उद्देश्य तथा कारण

लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की मांग के परिणामस्वरूप सरकार ने राज्य क समस्त विश्वविद्यालयों के लेक्चररों और रीडरों का वेतन-क्रम एक करने का तथा उपकुलपति के अनुशासन सम्बन्धी अधिकार के उपबन्ध को निकालने का निश्चय किया है। इस निश्चय के अनुसार लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में पहले ही संशोधन किय जा चुके हैं। अब यह प्रस्ताव ह कि गोरखपुर, विश्वविद्यालय अधिनियम में उसी प्रकार का संशोधन किया जाय। अधिनियम में अन्य आवश्यक संशोधन करने के लिये भी इस अवसर का उपयोग किया जा रहा है।

अतएव, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
शिक्षा मंत्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २०३ पर)

जौनसार बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधयक, १९५८

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान-परिषद् द्वारा पारित हुआ)

जौनसार-बावर परगना जिला देहरादून के राजस्व-पदधारियों को पुलिस-पदाधिकारी (police officer) अथवा थाना के अवधायक पदाधिकारी (officer incharge of police station) के अधिकारों का प्रयोग करन का अधिकार दन का

विधेयक

यह इष्टकर है कि देहरादून जिले के जौनसार-बावर परगना के राजस्व-पदधारियों को पुलिस-पदाधिकारी अथवा थाने के अवधायक पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा आरम्भ।

१--(१) यह अधिनियम जौनसार-बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व-पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार देहरादून जिले के जौनसार-बावर परगना में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

कतिपय क्षेत्र क राजस्व-पदधारियों में पुलिस पदाधिकारी अथवा थान के अवधायक पदाधिकारी के अधिकार निहित करना।

२--(१) राज्य सरकार के आज्ञा द्वारा तदर्थ घोषणा करने पर लेखपाल, पटवारी अथवा ऐसे अन्य राजस्व-पदधारी (revenue officials) जो निर्दिष्ट किये जायं, एसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहत हुय जो निर्दिष्ट की जायं, तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन पुलिस पदाधिकारी (police officer) अथवा थाने के अवधायक पदाधिकारी (officer incharge of a police station) के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का सम्पादन करेंग, जो निर्दिष्ट किय जायं भल ही उस विधि में कोई बात इससे असंगत हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा में ऐसे प्रासंगिक एवं आनुषंगिक उपबन्ध हो सकते हैं, जिन्हें राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन की गयी घोषणा के उपबन्धों को कार्यान्वित करने क लिये आवश्यक समझे।

(३) उपधारा (१) के अधीन की गयी घोषणा में निर्दिष्ट लेखपाल, पटवारी अथवा राजस्व-पदधारी को केवल उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसरण में पुलिस पदाधिकारी अथवा थाने के अवधायक-पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने के कारण पुलिस ऐक्ट, १८६१ के अधीन नामांकित (enrolled) पुलिस-पदाधिकारी नहीं समझा जायगा।

धारा २ के अधीन दी गयी आज्ञा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायगी।

३—(१) प्रत्येक आज्ञा, जिसे धारा २ के अधीन जारी करने का विचार हो, राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब कि उनका सत्र हो रहा हो, १४ दिन से अन्यून अवधि के लिये रखी जायगी, और यदि उस अवधि के भीतर कोई भी सदन इसका अननुमोदन करे अथवा केवल परिष्कारों सहित अनुमोदन करे, तो उक्त आज्ञा जारी नहीं की जायगी, अथवा, जैसा कि स्थिति के अनुसार अपेक्षित हो, केवल ऐसे परिष्कारों सहित जारी की जायेगी, जिनका दोनों सदन अनुमोदन करें।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी और उस प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

४—देहरादून जिले में जौनसार-बावर परगना के अन्तर्गत चकराता के तहसीलदार को विज्ञप्ति संख्या ८७४/८—२१, दिनांक ३ जुलाई, १९१३ द्वारा बंगाल रेगुलेशन्स संख्या ११, सन् १८३१ के अधीन दिये गये पुलिस-अधिकार धारा २ के अधीन दी गई आज्ञा के प्रचलित होने के दिनांक से वापस ले लिये गये समझे जायंगे।

उद्देश्य तथा कारण

अल्मोड़ा तथा गढ़वाल जिले के तथा नैनीताल जिले की पहाड़ी पट्टियों के राजस्व-पदधारी पुलिस-पदाधिकारियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग एवं कुछ कर्तव्यों का पालन करते हैं। क्योंकि यह पद्धति बहुत सन्तोषजनक रूप से चल रही है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में अपराध अधिक नहीं है, अतः १९५६ में टेहरी-गढ़वाल में उसी प्रकार की पद्धति, टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६ (उ० प्र० अधिनियम संख्या २५, १९५६) बनाकर अपनाई गई। अब यह प्रस्ताव है कि यही पद्धति देहरादून जिले के जौनसार-बावर परगना में प्रचलित की जाय तथा उस क्षेत्र के राजस्व-पदधारियों को पुलिस-पदाधिकारी अथवा अवधायक पदाधिकारी के कुछ अधिकार दे दिये जायं। क्योंकि ऐसे अधिकार केवल नये विधायन द्वारा ही दिये जा सकते हैं, अतः यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

कमला पति त्रिपाठी,
गृह मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११७ एल० ए०—१९५८—८३७।